खण्ड-428, अंक-5
मंगलवार, 27 माघ, शक संवत् 1920
(16 फरवरी, 1999 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1999)

खण्ड 428 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1999

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	ग–ङ
नियम 311 की सूचनाओं को उठाये जाने का प्रयास (जारी)	1–4
प्रश्नोत्तर	4
नियम 311 की सूचनाओं को उठाये जाने का प्रयास (जारी)	4–79
नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं	80–82
श्री सुधाकर सिंह, श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री अब्दुल कलाम (बस्ती), श्री वसीम अहमद तथा श्री चन्द्र पाल सिंह को सदन की सेवा से निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	82–83
श्री राम औतार शाक्य, श्री श्याम किशोर यादव, श्री रमेश राही, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री राम प्यारे सिंह तथा श्री योगेन्द्र सिंह को सदन की सेवा से निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)...	83–84
श्री महराज सिंह यादव, श्री छोटे सिंह यादव, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री श्रीराम यादव, श्री अशोक कुमार सिंह तथा श्री श्याम लाल रावत को सदन की सेवा से निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)...	84–85
डा० अशोक वाजपेयी, श्री अरविन्द गिरि, डा० कौशल किशोर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह, श्री राम पाल वर्मा, श्री राम सिंह सैनी, श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री बाबू राम यादव, श्री गौरी शंकर एडवोकेट, श्री बृजेन्द्र पाल सिंह, श्रीमती बिजमा यादव, श्रीमती उर्मिला देवी, श्रीमती सुखदेवी वर्मा तथा श्री मूलचन्द को सदन की सेवा से निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)...	85–88
सदन की सेवा से निलम्बित सदस्यों के निलम्बन की वापसी की मांग ...	88–89
विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 299 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न	89–100
श्री धनीराम वर्मा, श्री मुन्ना चौहान, श्री इकबाल महमूद, श्रीमती गौरी देवी, श्री सौलत अली, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री अफ्जाल अहमद, श्री तौफीक अहमद, श्री अम्बरीष कुमार, श्री योगेन्द्र कुमार तथा श्री आलमबदी को सदन की सेवा से निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	100–101
प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के साथ बलात्कार अपहरण की घटनाओं से जनता में आक्रोश के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचनायें	101–110
प्रदेश में कार्यरत सभी राजकीय नलकूपों का हस्तान्तरण ग्राम सभाओं को कर दिये जाने के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	110–115
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	115
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण कोटे को पूर्ण किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	115–116

विषय	पृष्ठ संख्या
मेरठ में लड़कियों एवं महिलाओं के साथ छेड़खानी एवं अभद्र व्यवहार की घटनाओं को रोकने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	116
निदेशक होम्योपैथी एवं शिक्षक चिकित्सकों द्वारा कालेज का शैक्षिक वातावरण एवं अनुशासन भंग करने की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	116
जनपद पौड़ी के विकास क्षेत्र कल्जीखाल के अन्तर्गत मुण्डेनेश्वर पेयजल पम्पिंग योजना को स्वीकृत करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	117
जनपद जालौन के परिषदीय/प्राइमरी/सीनियर बेसिक विद्यालयों के अध्यापकों के स्थानान्तरण आदेश जारी करके कथित रूप से अवैध धन वसूली की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	117
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	117
विधायक निधि की धनराशि अवमुक्त न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न...	118–125
उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों, तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों को यू० जी० सी० वेतनमान स्वीकृत किये जाने के संबंध में वक्तव्य	126–127
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव	127
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	128
नत्थियां	129–131

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

मंगलवार, दिनांक 16 फरवरी, 1999

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद	उबैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा
अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच	ओइमूवेश, स्वामी	बिजनौर
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	ओंकार सिंह, श्री	एटा
अजय कुमार पोइया, श्री	मथुरा	ओमकार सिंह, श्री	बदायूं
अजय राय, श्री	वाराणसी	ओम प्रकाश गुप्त, श्री	सीतापुर
अजित कुमार मेहरोत्रा, श्री	सीतापुर	कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	कमलेश कुमार सिंह, श्री	बलरामपुर
अनिल कुमार, श्री	बलिया	कुंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
अफज़ाल अन्सारी, श्री	गाजीपुर	काज़िम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर	काज़ी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री	हरिद्वार
अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी	काशिम हसन, श्री	फतेहपुर
अब्दुल ख़ालिक़, श्री	अलीगढ़	किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	के० सी० सिंह "बाबा", श्री	उधम सिंह नगर
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर	कैलाश, श्री	गाजीपुर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया	गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर	गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री	मेरठ
अरविन्द कुमार जैन, श्री	ललितपुर	गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
अरिमर्दन सिंह, श्री	महोबा	गोपाल कृष्ण, श्री	पीलीभीत
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद	चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
अशफ़ाक़ अहमद, श्री	बरेली	चन्द्र नाथ सिंह, श्री	प्रतापगढ़
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद	चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर
आर० के० सिंह पटेल, श्री	बांदा	जगपाल, श्री	सहारनपुर
इन्द्रजीत सरोज, श्री	इलाहाबाद	जगदीश नारायण राय, श्री	जौनपुर
इन्द्रदेव, श्री	बिजनौर	जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
इलम सिंह, श्री	सहारनपुर	जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
उदय राज यादव, श्री	उन्नाव	जोखूलाल यादव, श्री	इलाहाबाद
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	ज्ञान चन्द्र, श्री	उत्तरकाशी

ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री ,	महराजगंज
दिलीप कुमार, श्री	बहराइच
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
धर्मज्ञ मिश्र, डा०	हरदोई
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकर नगर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नारायण राम दास, श्री	अल्मोड़ा
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
नेत्तराम सिंह, श्री	एटा
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेम स्वरूप पाठक, श्री	बदायूं
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरीद महफूज़ किदवई, श्री	बाराबंकी
बच्चा पाठक, श्री	बलिया
बनवारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बाबू खां, श्री	हरदोई
बिहारी लाल आर्य, श्री	झांसी
बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री	सीतापुर
बेचन राम, श्री	गोरखपुर
भाई लाल, श्री	मिर्जापुर
भीम प्रसाद सोनकर, श्री	अम्बेडकर नगर
भोला शंकर मौर्य, श्री	बदायूं
मंगल सिंह सैनी, श्री	मुरादाबाद
मंजू, श्रीमती	बलिया
मथुरा प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
मानिक चन्द्र यादव, श्री	मैनपुरी
मारकण्डेय चन्द, श्री	गोरखपुर
मुख्तार अन्सारी, श्री	मऊ
मुस्ताक सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
मुस्लिम, डा०	रायबरेली
रंगनाथ मिश्र, श्री	भदोही
रंग बहादुर पटेल, श्री	इलाहाबाद
रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया", कुंवर	प्रतापगढ़
रणधीर सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
रमेश पोखरियाल "निशंक", डा०	गढ़वाल
रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
रवीन्द्र शुक्ला, श्री	झांसी
राजधारी, श्री	बलिया
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राज राय सिंह, श्रीमती	पीलीभीत
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र, श्री	गाजीपुर
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेश कुमार सिंह, श्री	मुरादाबाद
राधेश्याम, श्री	कानपुर देहात
राधेश्याम गुप्त, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
राम चन्द्र मौर्य, श्री	मिर्जापुर
रामचन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
रामजग, श्री	आजमगढ़
रामतेज यादव, एडवोकेट	बहराइच
राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
राम पाल सिंह, श्री	गोण्डा
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम विशुन आजाद, श्री	गोण्डा

रामवीर 'ाह, श्री	फिरोजाबाद
राम शकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राम सेवक सिंह, श्री	इलाहाबाद
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
राम हर्ष सिंह, श्री	सुल्तानपुर
रामाधार सिंह, श्री	हमीरपुर
रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री	मैनपुरी
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लवकुश कुमार, श्री	बिजनौर
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लाल जी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
लालमणि प्रसाद, श्री	बस्ती
लाल सिंह वर्मा, श्री	इटावा
लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
वकार अहमद शाह, डा०	बहराइच
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय पाल सिंह, श्री	आगरा
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू", श्री	गोण्डा
विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद मणि, श्री	महराजगंज
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
विशम्भर सिंह, श्री	मथुरा
विश्वनाथ, श्री	पडरौना
वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	एटा
वेद प्रकाश सिंह, एम०एस०, डा०	बिजनौर
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शिव गणेश लोधी, एडवोकेट	रायबरेली
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव पूजन राम, श्री	वाराणसी
श्याम सुन्दर, श्री	रायबरेली
सत्य प्रकाश सोनकर, श्री	वाराणसी
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुंवर	मुरादाबाद
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखवीर सिंह पुण्डीर, श्री	सहारनपुर
सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 16 फरवरी, 1999

(विधान सभा की बैठक सभा मंडप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

नियम–311 की सूचनाओं को उठाये जाने का प्रयास

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। पूरे गरीब असुरक्षित हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरे पास नियम 311 के अन्तर्गत कुछ सूचनायें आयी हुई हैं। एक सूचना विधायक निधि से संबंधित है। उसे मैंने नियम 300 में परिवर्तित कर दिया है। नियम 300 में मैं माननीय सदस्यों के विचार सुन लूंगा। बाकी सूचनायें जो 311 के अन्तर्गत हैं, मेरा अनुरोध है कि प्रश्नकाल हो जाने दीजिये। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं। पहला प्रश्न ही विधायक निधि से संबंधित है। 12.20 के बाद शून्य प्रहर में मैं उन सूचनाओं पर आप लोगों के विचार जान लूंगा।

* श्री शिवपाल सिंह यादव–

मान्यवर, 311 में हमने एक महत्वपूर्ण सूचना दी है। आज प्रदेश में आये दिन हत्यायें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में हत्याओं का सिलसिला जारी है। बिहार में लोकप्रिय सरकार चल रही थी। वहां पर लोकतंत्र की हत्या हुई है।

श्री अध्यक्ष–

बिहार के बारे में हम यहां पर कैसे संज्ञान ले सकते हैं ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

यहां पर लखनऊ में जो प्रधानमंत्री का क्षेत्र है.....

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

वह अपनी बात कह सकते हैं। आपकी आवश्यकता नहीं है।

*श्री रामवीर उपाध्याय–

एक थानेदार ने दलित महिला के साथ बलात्कार किया .....

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपकी सूचना पढ़ ली है। उस पर बाद में व्यवस्था हो जायेगी। इस समय मेरा अनुरोध है कि प्रश्नकाल होने दीजिये।

*कुंवर रेवती रमण सिंह –

मान्यवर, बिहार का उदाहरण दिया जा रहा है आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जब चर्चा होगी और शान्ति व्यवस्था का जब उल्लेख होगा तो उस समय आप अपनी पूरी बात कह सकते हैं । श्री शिवपाल जी मैं आपको उस समय पूरा मौका दूंगा । इस समय प्रश्नकाल हो जाने दीजिये । आप ही लोगों के प्रश्न हैं ।

*नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, क्या बात सुनी जायेगी ? कानून-व्यवस्था के बारे में प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

311 में प्रस्ताव आता है । मेरे सामने कोई प्रस्ताव है नहीं । इस प्रकार से उसमें चर्चा नहीं होती है । उसके कुछ शब्द हैं और कुछ प्रस्ताव होता है ।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मान्यवर, बिहार की लोकप्रिय सरकार को बर्खास्त कर दिया गया । उससे बदतर स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश की है । यहां पर लगातार हत्याओं का सिलसिला जारी है । उत्तर प्रदेश में जनपद (मुजफ्फरनगर) में चार लोगों की हत्यायें हुई । भदोही में धनंजय के नाम पर चार निर्दोष लोगों की हत्यायें हुई । इसी तरह से इटावा जनपद में .....

श्री अध्यक्ष–

यह विषय आप कब उठायेंगे । 311 में हो सकता है या फिर सामान्य चर्चा में इस बात को आप उठा सकते हैं ।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मान्यवर, लखनऊ राजधानी है और प्रधानमंत्री का जिला है । लगातार लखनऊ में हत्याओं का सिलसिला जारी है, डकैतियां हो रही है और अपहरण हो रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

यह सारे प्रश्न आप जब महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा होगी और आपका भाषण होगा, उस समय रख दीजिये । उस समय मैं आपको पूरा समय दूंगा ।

(व्यवधान)

* श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

एक ओर तो कहा जाता है कि धारा–356 लागू नहीं होनी चाहिये, दूसरी ओर मुख्य मंत्री जी उसका स्वागत करते हैं । यह विरोधाभास है ।

श्री अध्यक्ष–

नियम–311 के अन्तर्गत यह नहीं आता है । वह सब राजनैतिक वक्तव्य होते हैं ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, हमारा निवेदन है कि आप इस पर चर्चा करवा दें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री राम औतार शाक्य–

आप विद्वान हैं मान्यवर, आज संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है । उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य समाप्त हो गया है ।

श्री अध्यक्ष–

कहां संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है ?

श्री राम औतार शाक्य–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश से इसका कोई संबंध नहीं है । यह लिखा नहीं जायेगा । यह बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं ।

श्री राम औतार शाक्य–

कानून व्यवस्था का कोई राज नहीं रह गया है । सैकड़ों लोगों की हत्यायें हो गयी हैं । मान्यवर, आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं । यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

जो चीज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय में कही जानी चाहिये वह नियम–311 की सूचना का आधार नहीं बनेगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

इसको मान्यवर, अलग से सुन लें । महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में अन्य बातों का उल्लेख कर सकेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

जो महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं कृपया उन्हें प्रारम्भ करने दीजिये ।

श्री शिव पाल सिंह यादव–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई है । इटावा में राम केशरी मल्लाह की हत्या कर दी गई ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नियमों के अन्तर्गत उचित समय व उचित अवसर पर यह बात कहिये ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

पूरे प्रदेश में तमाम लोगों की हत्यायें हो गयी हैं और रोजाना कई हत्यायें हो रही हैं । मान्यवर, इसको सुन लें और इस पर चर्चा करा लें ।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, आप तो संवेदनशील हैं यहां पर जो अधन्य हत्यायें हो रही हैं उसका संज्ञान लें ..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

[illegible]

इसको निरस्त करता हूं।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

[illegible]

**1–श्री गोरखनाथ पाण्डेय तथा श्री अवधेश प्रसाद–

[illegible]

कितनी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

जी हां।

विधायक निधि की स्थापना दिनांक 22-12-98 को कर दी गयी है।

रु० 133.50 करोड़ अवमुक्त किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

(अल्पसूचित प्रश्न संख्या–1 पुकारे जाने पर मंत्री जी द्वारा उत्तर पढ़ा गया)

नियम–311 की सूचनाओं के उठाये जाने का प्रयास (क्रमागत)

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, इसको सुन लिया जाता

[श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री सुधाकर सिंह और श्री अब्दुल कलाम (बस्ती) अपनी कुर्सियों, मेंजों पर खड़े होकर जोर-जोर से बोलने लगे।]

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें।

(अनेक सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारे लगाने लगे)

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। [illegible] तो आप यह प्रस्ताव पास करा दीजिये कि विधान सभा न चले। यह उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार [illegible]। कृपया बैठ जायें। जनता के अन्दर विधान सभा की क्या छवि बनेगी ?

(कई सदस्यों के बोलते रहने पर व्यवधान)

सामान्य जनता क्या बात करती है ? यह आप जानते हैं । कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

(घोर व्यवधान)

कृपया अपना स्थान ग्रहण करिए ।

(कई सदस्यों द्वारा निरन्तर नारे लगाये जाने पर)

श्री अध्यक्ष

11.30 तक सदन को स्थगित किया जाता है ।

(इस समय 11 बजकर 12 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी) (11 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता डा. [illegible] सिंह डंग के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(बहुजन समाज पार्टी तथा समाजवादी पार्टी के सदस्य के एक ओर खड़े होकर नारे [illegible])

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय [illegible] का उल्लंघन हो रहा है । [illegible] के प्रति [illegible] हो रहा है । अभी हाथरस में एक घटना घटी है । यह बड़ा ही शर्मनाक घटना है । यह सरकार दलितों के उत्पीड़न की कार्यवाही कर रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग अपने स्थान पर बैठ जायें ।

(समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे)

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । पहले प्रश्न प्रहर हो जाने दें । इस मुद्दे को उठाने के लिए नियमों में प्राविधान है । कृपया उसके तहत उठायें । आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं पहले उसे हो जाने दें । लोकतंत्र में इस तरह का आचरण ठीक नहीं है । इससे जनता में गलत मैसेज जाता है ।

(विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर नारे लगाते रहे)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को 12.20 बजे तक स्थगित करता हूं ।

[11 बजकर 35 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी ।]

प्रदेश में फाइनेन्स कम्पनियों द्वारा ठगी रोकने हेतु प्रभावी कानून बनाने की मांग

**2–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में कम से कम समय में जमा धन को कई गुना कर देने के नारे देकर फाइनेन्स कम्पनियों द्वारा जनता के करोड़ों रुपयों की ठगी करने तथा भाग जाने की घटनायें लगातार हो रही हैं ? यदि हां,तो क्या उस पर प्रभावी रोक लगाने एवं जनता के धन की सुरक्षा हेतु सरकार प्रभावी कानून बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक और इसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

जी नहीं । नान बैंकिंग फाइनेन्स कम्पनियों के बारे में इस प्रकार की शिकायतें शासन में प्राप्त हुई हैं ।

नान बैंकिंग फाइनेन्स कम्पनियों पर नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत होता है । जिसमें संशोधन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया गया है । शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारियों/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिये गये हैं कि वह अपने क्षेत्र में अवैध कार्य करने वाली फाइनेन्स कम्पनियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अधीन कार्यवाही करायें ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में पूर्वांचल के औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने एवं निवेश को बढ़ावा देने की कार्य योजना

*1–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य के पिछड़ेपन, विशेषकर पूर्वांचल में औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने एवं निवेश का बढ़ावा देने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

उ० प्र० के पिछड़ेपन एवं निवेश को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा विकास परक औद्योगिक नीति 98, खनिज नीति एवं निर्यात नीति बनाई गयी है ।

पूर्वांचल क्षेत्र के विकास के लिये गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी को औद्योगिक गलियारों के रूप में चयनित किया गया है । इन चयनित क्षेत्रों में उच्च स्तरीय औद्योगिक एवं श्रेष्ठ सामाजिक अवस्थापना सुविधायें विकसित की जायेगी । ताकि इन क्षेत्रों की वर्तमान औद्योगिक संभावनाओं में वृद्धि हो तथा यह अधिक निवेश आकर्षित करने में सक्षम हो सके ।

पूर्वांचल क्षेत्र के विशेष औद्योगिक विकास के लिये गीडा (गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण) की स्थापना की गयी है तथा इसका विकास शीर्ष प्राथमिकता पर किया जा रहा है ।

व्यापार-कर के अन्तर्गत पूर्वांचल के कुल 25 जनपदों को सामान्य स्तर से अधिक व्यापार-कर छूट दी गयी है ।

आयकर के अन्तर्गत पूर्वांचल के बहराइच, श्रावस्ती, बस्ती, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, बाराबंकी, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, फैजाबाद, गोण्डा, सुल्तानपुर, मिर्जापुर एवं मऊ जनपदों में आयकर छूट उपलब्ध है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नोट :–विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–41 के अनुसार शेष प्रश्न उत्तरित माने गये ।

मिर्जापुर मण्डल के जिलों में विश्वविद्यालय की स्थापना की स्थिति

*2–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि मिर्जापुर मण्डल के तीन जिलों में से किरी में भी कोई विश्वविद्यालय स्थापित नहीं है ? क्या यह सही है कि उक्त जिलों के छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु अन्य मण्डलों में स्थापित विश्वविद्यालयों में जाना पड़ता है ? क्या सरकार उक्त जिलों के पिछड़ेपन को देखते हुए वहां विश्वविद्यालय की स्थापना करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च, प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं । आवश्कता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मिर्जापुर मण्डल नया मण्डल है । इस मण्डल के छात्र पूर्व से ही पूर्वांचल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं । इसके अतिरिक्त वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी स्थित है । इलाहाबाद में भी राज्य विश्वविद्यालय स्थापित हैं ।

प्रदेश में बेसिक शिक्षा के उन्नयन की कार्य योजना एवं भवन विहीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण की जानकारी

*3–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बेसिक शिक्षा के उन्नयन हेतु कोई विशेष कार्य योजना वित्तीय वर्ष 1998-99 में सरकार बनाने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक और उसका प्रारूप क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश में कितने भवन विहीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं और उनके नवीन भवन कब तक बनवा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री बालेश्वर त्यागी)–

जी हां ।

वर्ष 1998–99 में शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित विशेष कार्यक्रम संचालित हैं :–

1–बच्चों की पहुंच हेतु नये विद्यालय की व्यवस्था, बच्चों का विद्यालय में ठहराव, सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित करना तथा शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु क्रमशः 17 जनपदों में बेसिक शिक्षा परियोजना एवं 18 जनपदों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित हैं ।

2–प्रदेश के 5310 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजनान्तर्गत सज्जित किये जाने हेतु आच्छादित किये जा रहे हैं । इसी योजना के अन्तर्गत 100 से अधिक छात्र संख्या वाले प्राथमिक विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण कराया जा रहा है ।

3–यूनिसेफ की सहायता से 12 जनपदों में शिक्षण विधाओं को रुचिकर ढंग से प्रयोग करने हेतु रुचिपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम संचालित है ।

4–अध्यापकों को आधुनिक शिक्षा विधाओं से परिचित कराने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित हैं ।

5–प्रदेश के 596 विकास खण्डों में अनौपचारिक शिक्षा परियोजनाएं संचालित हैं जिसमें ऐसे बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो विद्यालय नियमित रूप से नहीं जा सकते हैं।

प्रदेश के जनपदों में ग्रामीण क्षेत्र भवनहीन 837 प्राथमिक तथा 735 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिषदीय भवनहीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण प्रदेश सरकार अपनी संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर प्रतिवर्ष कराती है।

प्रश्न नहीं उठता।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में वित्त विहीन विद्यालयों को मान्यता एवं इसमें कार्यरत अध्यापकों को सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों की भांति वेतन दिए जाने की जानकारी

1–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितने वित्त विहीन विद्यालयों को मान्यता दी गयी है तथा उनमें कितने अध्यापक कार्यरत हैं ? क्या सरकार इन विद्यालयों के अध्यापकों को सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों की भांति वेतन दिलाये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)–

दिनांक 14-10-86 के बाद प्रदेश में 3225 से अधिक अशासकीय विद्यालयों को वित्त विहीन मान्यता दी गयी है तथा इनमें 19800 से ऊपर व्यक्ति अंशकालिक शिक्षक/अनुदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ऐसे विद्यालयों में प्रबन्धाधिकरण द्वारा अंशकालिक अध्यापकों/अनुदेशकों को अपने स्रोतों से सेवायोजित किये जाने की व्यवस्था है।

उत्तरांचल के जिला चम्पावत में पर्यटक आवास घर निर्माण की मांग

2–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या पर्यटक मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से श्यामलाताल जि०–चम्पावत में पर्यटक आवास घर का निर्माण संबंधी प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब से प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

जिला चम्पावत के श्यामलाताल में पर्यटन आवास गृह निर्माण के लिये नहीं बल्कि पांच पर्यटन हटस के निर्माण हेतु वर्ष 1997-98 में रु० 17.25 लाख का आगणन अनुमोदित करते हुए रु० 10.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। स्वीकृति धनराशि कार्यदायी संस्था कुमायूं मण्डल विकास निगम, नैनीताल को उपलब्ध करा दी गयी है। पांच हट के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था, कुमायूं मण्डल विकास निगम द्वारा निविदायें भी आमंत्रित कर ली गयी हैं। इस प्रकार हटस के निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है।

प्रदेश में मिनी सीमेन्ट प्लान्ट एवं सेक्शन–29 में अधिग्रहीत प्लान्ट की संख्या की जानकारी

*3–श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत दो वर्षों (वर्ष 1996-97 तथा 1997-98) से प्रदेश में कितने मिनी सीमेन्ट प्लान्ट चल रहे हैं ? उक्त अवधि में कितने मिनी सीमेन्ट प्लान्ट की इकाइयों को सेक्शन–29 के अन्तर्गत अधिग्रहीत किया गया है ?

श्री कल्याण सिंह–

(क) प्रदेश में विगत दो वर्षों क्रमशः 1996-97 में 28 एवं वर्ष 1997-98 में 35 मिनी सीमेन्ट प्लान्ट कार्य कर रहे थे ।

(ख) सेक्शन–29 के अन्तर्गत उ० प्र० वित्तीय निगम द्वारा वर्ष 1996-97 में 3 तथा 1997-98 में 5 इकाइयों को अधिग्रहीत किया गया ।

तारांकित प्रश्न

*1–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद अम्बेदकर नगर, तहसील टाण्डा में कन्या महाविद्यालय स्थापित करने की मांग

*2–श्री लालजी वर्मा–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील टाण्डा जनपद अम्बेडकर नगर में छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिये क्या कोई कन्या महाविद्यालय की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं ।

आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुरादाबाद के सिंग फील्ड स्कूल की अध्यापिकाओं का प्रबन्ध तंत्र के विरुद्ध आन्दोलन को शासन द्वारा समाप्त कराने की जानकारी

*3–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जुलाई, 1997 से सिंग फील्ड स्कूल, मुरादाबाद की अध्यापिकाओं का प्रबन्ध तंत्र के विरुद्ध आन्दोलन चल रहा है ? क्या यह सही है कि इस संबंध में मंत्री जी, जिलाधिकारी को समय-समय पर अनेक ज्ञापन भी दिये गये हैं ? यदि हां, तो इस विवाद को समाप्त कराने हेतु शासन द्वारा क्या प्रभावी कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

आन्दोलन किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है ।

सूचना प्राप्त की जा रही है ।

इस संबंध में जांच के आदेश शिक्षा निदेशक (मा०) को दिये गये हैं और जांचोपरान्त अनियमितता पाये जाने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के बौद्ध पर्यटक स्थल को विकसित करने फिरोजाबाद, तहसील जसराना ग्राम बड़ागांव के प्राचीन बौद्ध विहार के पुनरुद्धार की मांग

*4–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार प्रदेश में बौद्ध संस्कृति को कायम रखने एवं प्राचीन बौद्ध पर्यटक स्थलों को विकसित करने की कोई विशेष कार्य योजना बनाने जा रही है ? यदि हां, तो कब से ? उसका प्रारूप क्या है ? क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम बड़ागांव, तहसील जसराना, जिला फिरोजाबाद (पुराना जिला मैनपुरी) में प्राचीन बौद्ध स्तूप एवं बौद्ध विहार मौजूद है जो खण्डहर हो रहे हैं और उन पर अतिक्रमण कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके रख-रखाव अथवा पुनरुद्धार की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

बौद्ध परिपथ के विकास हेतु रु० 1020.60 करोड़ की योजना बनाकर भारत सरकार को प्रेषित की गई है ।

उक्त योजना पर भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही योजना क्रियान्वित की जा सकेगी ।

प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत बौद्ध परिपथ पर पड़ने वाले राष्ट्रीय राज मार्गों एवं राज्य मार्गों पर सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण तथा सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण, संग्रहालय, पर्यटक आगन्तुक केन्द्र का निर्माण, नौवहन प्रणाली विद्युत वितरण एवं जलापूर्ति का उच्चीकरण, पर्यटक ग्राम की स्थापना एवं दो स्थलों पर मार्गीय सुविधाओं का निर्माण आदि कार्य प्रस्तावित है ।

ग्राम बड़ागांव तहसील जसराना में पुरानी आबादी के बीच एक खण्डहर मौजूद हैं । इस खण्डहर में सैकड़ों मीटर ऊंचाई पर केकेया ईंट का चूरा मिट्टी के बुर्ज के रूप में बना हुआ है । खण्डहर होने के कारण इस पर पड़ोसी लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है । जहां तक रख-रखाव व पुनरोद्धार का प्रश्न है । पुरातात्विक निरीक्षण के उपरान्त बड़ागांव अन्तर्गत किसी भी प्रकार का बौद्ध स्तूप तथा बौद्ध विहार या उससे सम्बन्धित अवशेष उपलब्ध नहीं हुए हैं, जिन्हें राजकीय संरक्षण में लिया जा सके ।

जनपद लखनऊ के आईडियल इलेमेनटरी इण्टर कालेज, अर्जुनगंज के हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट के छात्रों से परीक्षा फार्म हेतु अधिक धनराशि लिए जाने की जानकारी

*5–श्री अफरोज अली खां–

क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि ''आईडियल इलेमेनटरी इण्टर कालेज, अर्जुनगंज लखनऊ'' ''हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट'' के अगली वर्ष परीक्षा केन्द्र हो जाने के कारण प्रति फार्म हाईस्कूल के बच्चों से 500 रु० तथा इण्टर के बच्चों से 600 रु० छात्रों से लेकर फार्म दे रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

विभागीय जांच में ऐसे कोई बिन्दु की पुष्टि नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा स्थलीय जांच की गई तथा निर्धारित दर से अधिक धनराशि लिये जाने की पुष्टि नहीं हुई है ।

जनपद फैजाबाद पौधशाला कुमारगंज में सागौन के पौध सस्ती दर पर उपलब्ध कराने की जानकारी

*6–श्री राम चन्द्र यादव–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद स्थित पौधशाला कुमारगंज में सागौन के पेड़ों की पौध पर्याप्त मात्रा में न उगाये जाने के कारण किसानों को उक्त पेड़ों की पौध नहीं उपलब्ध हो पा रही है ? क्या सरकार पर्याप्त मात्रा में सागौन के पौधे उगाकर किसानों को सस्ती दर पर उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त पौध की बिक्री से सरकार को अब तक कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

वन मंत्री (श्री रघुवर दयाल वर्मा)–

फैजाबाद वन प्रभाग के अन्तर्गत कुमारगंज पौधशाला में सागौन के 10,600 पौधे उगाये गये जिनमें 5,300 पौधे किसानों के द्वारा उठाये गये ।

विभागीय स्तर पर पर्याप्त मात्रा में सागौन के पौधे उगाकर किसानों को सस्ती दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है ।

इस वित्तीय वर्ष में फैजाबाद वन प्रभाग में कुल 5.56 लाख पौधों की बिक्री किसानों को की गई जिसमें 11.14 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हुई । इसमें 1.40 लाख सागौन के पौधों से प्राप्त रु० 2.80 लाख की धनराशि सम्मिलित है ।

*7–श्री चेतराम–

[दिनांक 11-2-99 को ता० प्र० सं० 10 द्वारा उत्तरित]

हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय गढ़वाल में शिक्षकों के रिक्त पदों पर आरक्षण कोटा लागू किये जाने की जानकारी

*8–श्री अशोक कुमार–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय, गढ़वाल में दिनांक 30-9-98 तक विभिन्न संवर्गों, में शिक्षकों के कुल कितने पद सृजित हैं ? क्या इन सृजित पदों पर चयन आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त विश्वविद्यालय में कब तक आरक्षण कोटा पूरा करा दिया जायेगा ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में आचार्य के 25 पद, उपाचार्य के 50 पद तथा प्रवक्ता के 234 पद सृजित हैं ।

रिक्त पदों को आरक्षण/रोस्टर के अनुसार आवंटित किया गया है ।

प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में शासनादेशों के अनुसार शिक्षकों के पदों पर आरक्षण/रोस्टर प्रणाली न लागू करने की जानकारी

*9–श्री सर्वेश कुमार–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 1046/सत्तर–1-97-17(13)95/टी०सी०, दिनांक 19 सितम्बर, 1997 एवं एतद्विषयक जारी शासनादेश दिनांक 16 अक्टूबर, 1997 द्वारा प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के पदों पर आरक्षण अधिनियम 4/94 के अधीन रोस्टर प्रणाली लागू करने का निदेश दिया गया था ? यदि हां, तो 30-9-98 तक प्रदेश के किन-किन विश्वविद्यालयों में रोस्टर प्रणाली लागू कर दी गयी है ? क्या सरकार जिन विश्वविद्यालयों द्वारा उक्त शासनादेश का अनुपालन नहीं किया गया है, उनके कुलपतियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

समस्त राज्य विश्वविद्यालयों में लागू है ।

सूचना/शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के समस्त विद्यालयों को अनुदान सूची में लिए जाने की जानकारी

*10–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने विद्यालय, हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट तक किस सन् तक के अभी तक अनुदान सूची पर नहीं आये हैं और कब तक सभी विद्यालय अनुदान सूची पर आयेंगे ? क्या उच्च न्यायालय ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो वह निर्णय क्या है ?

डा० नैपाल सिंह–

दिनांक 6 अगस्त, 1985 तक मान्यता प्राप्त हाईस्कूल अनुदान सूची पर लिये गये हैं ।

दिनांक 14-10-1986 से प्रदेश में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को वित्त विहीन मान्यता दी जा रही है । इस प्रकार सभी विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने की सम्प्रति नीति नहीं है ।

इसकी जानकारी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*11–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

प्रदेश के उद्योगों को सिंगल टेबुल सिस्टम अवस्थापन फण्ड योजना लागू करने की जानकारी

*12–श्री राजधारी–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में उद्योगों को बेहतर माहौल उपलब्ध कराने हेतु सरकार "सिंगल टेबुल सिस्टम" एवं अवस्थापना फण्ड योजना को अमली जामा देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या होगा ? यह योजना कब से लागू होगी ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रदेश में उद्योगों को बेहतर माहौल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उद्यमियों के लिये एक छत के नीचे "एकलामेज व्यवस्था" लागू कर दी गयी है तथा अवस्थापना फण्ड योजना घोषित औद्योगिक नीति 1998 में लागू हो गई है ।

उद्यमियों को अनावश्यक चक्कर लगाने की कठिनाइयों से मुक्त हेतु विभिन्न विभागों की वांछित स्वीकृतियों/अनुदानों के संबंध में आवेदन प्रपत्रों का निस्तारण केन्द्रीय तथा समयबद्ध रूप से सम्पन्न कराये जाने हेतु "एंकल मेज व्यवस्था" की गई है ।

अवस्थापना फंड योजनान्तर्गत एक्सप्रेस–वे, पुल, हवाई अड्डे तथा विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में निजी क्षेत्र को सहभागिता प्रदान करने के लिये इन संस्थाओं के माध्यम से विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त करके परियोजनाओं का गठन किया जायेगा, रियायतें निर्धारित की जायेगी तथा सक्षम प्रवर्तकों का चयन किया जायेगा । इन्फ्रास्ट्रक्चर्स इनिशिएटिव फण्ड" के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संस्थाओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय एवं विश्वस्तर की वित्तीय संस्थाओं को प्रदेश के व्यापक अवस्थापना विकास से जोड़ा जाएगा तथा अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता का प्रदेश हित में प्रयोग किया जायेगा । अवस्थापना के महत्व एवं त्वरित निर्णय प्रक्रिया की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए बड़ी अवस्थापना परियोजनाओं के लिये मा० मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित मंत्रि-परिषद की आर्थिक विकास उप-समिति उच्चतम स्तर पर नीति निर्धारण का कार्य करेगी ।

"एक छत के नीचे" एकल मेज व्यवस्था शासकीय आदेश दिनांक 14-12-98 द्वारा तथा अवस्थापना फण्ड योजना घोषित औद्योगिक नीति 1998 में लागू हो गई है ।

प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में बी० टी० सी० वेतनमान में कार्यरत शिक्षिकाओं को एल० टी० ग्रेड में शासन की नीति के अनुसार पदोन्नति का प्राविधान करने का प्रस्ताव

*13–डा० वकार अहमद शाह–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के प्रथम मंगलवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–7 के उत्तर के क्रम में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि प्रश्नगत प्रकरण पर शासन ने शिक्षा निदेशक से कतिपय सूचनाओं सहित स्पष्ट प्रस्ताव 14 मई, 97 को मांगा था ? यदि हां, तो यह प्रस्ताव शासन को किस तिथि में प्राप्त हुआ और उसके बिन्दु क्या हैं ? क्या तत्संबंधी राजाज्ञा निर्गत की जा चुकी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसमें विलम्ब के लिये कौन उत्तरदायी है ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

दिनांक 20 जून, 98 को प्राप्त हुआ, जिसमें शिक्षा निदेशालय द्वारा सी० टी० संवर्ग के मृत घोषित हो जाने के फलस्वरूप बी० टी० सी० ग्रेड के शिक्षकों को एल० टी० ग्रेड मे 5 प्रतिशत पदोन्नति का प्राविधान किये जाने का प्रस्ताव किया गया ।

जी नहीं ।

विचाराधीन है ।

जनपद जौनपुर नागरिक इण्टर कालेज प्रबन्ध संचालक कार्यालय को मा० उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करने की जांच एवं कार्यवाही की मांग

*14–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के नागरिक इ० का० जौनपुर का 30-10-96 को प्रबन्ध संचालक कार्यरत था, जिसका प्रमाण उप निदेशक, आजमगढ़ के आदेश पृ० सं०-203–6–97-98 द्वारा निर्गत किया था ? यदि हां, तो क्या मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 5-3-97 का अनुपालन न करके गुमराह किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर संबंधित लोगों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी हां ।

संयुक्त शिक्षा निदेशक (वाराणसी) ने अपनी जांच आख्या में अवगत कराया है कि मा० उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उपशिक्षा निदेशक (मा०) आजमगढ़ द्वारा जो निर्णय दिनांक 29-4-97 को दिया गया वह त्रुटिपूर्ण है ।

तत्कालीन उपशिक्षा निदेशक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई विकास खण्ड बेहन्दर प्राइमरी पाठशाला सिरौली के निर्माण में अनियमितताओं के संबंध में विधायक के पत्र पर जांच/कार्यवाही की जानकारी

*15–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेहन्दर के अन्तर्गत प्राइमरी पाठशाला, सिरौली के निर्माण में की जा रही अनियमितितायें एवं विवाद के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र दिनांक 6-11-98 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसके मुख्य बिन्दु क्या हैं ? क्या उसकी जांच करायी गयी ? जांचोपरान्त क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

प्राइमरी पाठशाला सिरोही के भवन निर्माण हेतु चकबन्दी विभाग द्वारा पूर्व में सुरक्षित स्थान पर न कराया जाना, प्रभारी अध्यापक एवं ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग करना, निर्माण में अनियमिततायें करना एवं चकबन्दी विभाग द्वारा विद्यालय हेतु पूर्व में सुरक्षित स्थान परिवर्तित करके दूसरे स्थान को विद्यालय हेतु सुरक्षित करना ।

जी हां ।

जांचोपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया कि चकबन्दी विभाग द्वारा सुरक्षित भूमि विद्यालय के भवन निर्माण हेतु उपयुक्त है तथा उसी भूमि पर भवन निर्माण कराया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1998 में माध्यमिक शिक्षकों की हड़ताल

*16–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई-अगस्त, 1998 में शिक्षकों (माध्यमिक) की हड़ताल वैध थी ? हड़ताल में भाग लेने के कारण कितने शिक्षकों को नौकरी से निकाला गया ? क्या सरकार उन्हें पुनः सेवा लेने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

कोई शिक्षक (माध्यमिक) निकाला नहीं गया ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

*17–श्री गोपाल कृष्ण–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद बदायूं अमियापुर विकास खंड ग्राम बेहटा गुसाई माध्यमिक विद्यालय के निर्माण रोके जाने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*18–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के अमियापुर विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम–बेहटागुसाई में पूर्व माध्यमिक विद्यालय (अल्पसंख्यक समुदाय) के निर्माण कार्य को रोके जाने के संबंध में शासन ने बेसिक शिक्षाधिकारी, बदायूं से शिक्षा अनु०–5 के पत्र सं०–3663-ए/15-5-98-10(1) 107/98 दि० 24-7-98 द्वारा आख्या मांगी थी ? यदि हां, तो बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं ने पत्र सं० विविध/1048/98-99 दिनांक 24-8-98 के द्वारा क्या आख्या प्रस्तुत की है ? जिलाधिकारी द्वारा पूर्व अनुमोदित गाटा संख्या 1160 पर निर्माण न कराने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की आख्या शासन में प्राप्त नहीं हुयी है ।

गाटा सं० 1160 पर निर्माण हेतु जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन नहीं दिया गया है ।

प्रश्नगत आख्या प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़, पट्टी के ब्लाकों में राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोलने की मांग

*19–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि पट्टी नगर मुख्यालय पर एवं पट्टी विधान सभा क्षेत्र, प्रतापगढ़ में कोई राजकीय कन्या इण्टर कालेज नहीं है ? यदि हां, तो उतरास ब्लाक मंगरौरा में इण्टर कालेज खोलने का प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है ? क्या उक्त कालेज तुरन्त खोला जायेगा । यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जिला योजना प्रतापगढ़ में सराय भिखारी कोहडौर, नरहरपुर ब्लाक आसपुर देवसरा एवं मंगरौरा में उक्त कालेज हेतु डी० आई० ओ० एस० प्रतापगढ़ ने प्रस्ताव किया है ? यदि हां, तो सरकार उक्त कालेज को स्वीकृत कर कब तक खोलने एवं प्रारम्भ करने के आदेश देगी ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासन से राज्य सेक्टर में सीधे इंटर कालेज खोलने की कोई योजना वर्तमान में नहीं है । जिला सेक्टर में जिला प्लान में राजकीय कन्या हाई स्कूलों की स्थापना की जाती है तत्पश्चात् यथा आवश्यकतानुसार इंटरमीडिएट स्तर पर उच्चीकरण की कार्यवाही की जाती है ।

जिला योजना, प्रतापगढ़ के सराय भिखारी कोहडौर एवं नरहरपुर में विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है । आसपुर देवसरा स्थित विद्यालय को इण्टर स्तर पर उच्चीकरण किये जाने एवं उतरास मंगरौरा में हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

आसपुर देवसरा स्थित विद्यालय ग्राम पंचायत के भवन में संचालित है। इण्टर स्तर पर उच्चीकरण हेतु अतिरिक्त कमरों की आवश्यकता होगी जो उपलब्ध नहीं है। अतः इस विद्यालय का उच्चीकरण सम्भव नहीं है । उतरास मंगरौरा में हाई स्कूल स्थापना के संबंध में भूमि/भवन/शैक्षिक औचित्य की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण कार्यवाही सम्भव नहीं है।

प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के परिषदीय/शासकीय विद्यालयों के छात्रों हेतु निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक खरीद में अनियमितताओं की जांच

*20–श्री श्रीराम पाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के परिषदीय/शासकीय विद्यालयों के छात्रों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराये जाने की कोई योजना क्रियान्वित की गयी है? यदि हां, तो क्या पुस्तकों की खरीद माह अगस्त-सितम्बर 1998 में बिना टेण्डर के की गई थी तथा विलम्ब से पाठ्य-पुस्तकें खरीदी गई थीं ? यदि हां, तो क्या इस मामले में की गई गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराई जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी–

प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०) से आच्छादित 18 जनपदों में परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बालकों तथा सभी वर्गों की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरण की व्यवस्था है।

जी हां। विश्व बैंक परियोजना के क्रय नियमों में टेण्डर मांगना आवश्यक नहीं है। बाजार में उपलब्धता होते ही राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकें क्रय की गयी। पुस्तकों का मूल्य निर्धारण विभाग द्वारा टेण्डर मांगकर किया गया था। क्रय प्रक्रिया एवं विलम्ब के संबंध में जांच की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित अध्यापकों को सेवा में लिये जाने की मांग

1–मास्टर छोटे लाल गंगवार –

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित सभी अध्यापकों को सेवा में ले लिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक सेवा में ले लिया जायेगा ?

डा० नैपाल सिंह–

प्रवक्ता पुरुष के 248, प्रवक्ता महिला के 252 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है ।

स्नातक वेतनक्रम के अध्यापक/अध्यापिकाओं के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में मान्यता प्राप्त इस्लामिया जूनियर हाई स्कूलों की जनपदवार संख्या एवं उन्हें अनुदान सूची में लिये जाने की जानकारी

2–श्री अफ़ज़ाल अहमद–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में मान्यता प्राप्त इस्लामिया जूनियर हाई स्कूल, जनपदवार कितने हैं ? इस वित्तीय वर्ष में कितने इस्लामिया जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची में लिये जाने की योजना बनायी गयी है ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के नियमों के अन्तर्गत अशासकीय इस्लामियां जूनियर हाई स्कूलों की पृथक श्रेणी नहीं है और न ही पृथक से उक्त विद्यालयों को अनुदानित किये जाने की कोई योजना है।

जनपद मैनपुरी तहसील भोगांव स्वर्ण जयन्ती ग्रामों को पक्की सड़कों से जोड़ने की मांग

3–श्री राम औतार शाक्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कितने चयनित स्वर्ण जयन्ती ग्रामों को वित्तीय वर्ष 1997-98 में पक्की सड़कों से जोड़ा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार वर्ष 1998 में ग्राम नगला मिरकर व तोड़तपुर, तहसील-भोगांव जनपद मैनपुरी स्वर्ण जयन्ती ग्रामों को पेन्टिंग स्तर तक पक्की सड़कों से जोड़ेगी ? यदि हां, तो कब से कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

वर्ष 97-98 में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 14 स्वर्ण जयन्ती ग्रामों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित इस योजनान्तर्गत कार्य की स्वीकृति प्राप्त नहीं है।

जनपद रायबरेली, तिलोई ब्लाक सिंहपुर कस्बा इन्हौना में छात्र-छात्राओं हेतु इण्टर/हाई स्कूल की स्थापना हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही की मांग

4–डा० मोहम्मद मुस्लिम–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र तिलोई, रायबरेली में स्थित सिंहपुर ब्लाक के इन्हौंना कस्बा में छात्रों के लिये एक इण्टरमीडिएट कालेज व बालिकाओं के लिये हाईस्कूल की स्थापना किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-3-1998 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त क्षेत्र में विद्यालयों को खोले जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

पत्र प्राप्त होना प्रतीत नहीं हुआ है।

असेवित विकास खण्ड सिहंपुर ब्लाक में रानी अवन्तिबाई लोधी बालिकां उ० मा० विद्यालय झहीखा रायबरेली खोले जाने का मामला जिला स्तरीय समिति द्वारा संस्तुत पत्र के आधार पर कार्यवाही विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर, तहसील आलापुर में राजकीय कन्या विद्यालय के नामकरण की जांच एवं कार्यवाही की मांग

5–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर की तहसील आलापुर में राजकीय कन्या विद्यालय का नाम जिस व्यक्ति के नाम है, उसका सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्र में क्या योगदान है ? क्या इस संबंध में दिनांक 24-2-96 को जनपद-अम्बेडकर नगर व फैजाबाद के पूर्व सांसदों, विधायकों व विधान परिषद् के सदस्यों ने सरकार को कोई प्रत्यावेदन दिया था जिसकी जांच जिला अधिकारी, अम्बेडकर नगर ने की है ? यदि हां, तो जिलाधिकारी की अपनी जांच आख्या क्या है ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि जिस व्यक्ति का नाम लिया गया है वह आज भी आलापुर में प्राइमरी पाठशाला, जिला परिषद् में सहायक अध्यापिका है ? यदि हां, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

विद्यालय के नामकरण के विषय में जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर की रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिस पर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) को पूर्ण तथ्यों को एवं वर्तमान रिपोर्ट पर आख्या देने के निर्देश दिये गये हैं तथा आख्या प्राप्त होने पर उचित निर्णय लिया जायेगा ।

23 अगस्त, 1994 को माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के फलस्वरूप अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्तियों की जानकारी

6–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 23 अगस्त, 1994 को मुख्य मंत्री जी की अंशकालिक शिक्षकों को समायोजित करने की घोषणा के फलस्वरूप अपर शिक्षा निदेशक (उ०) के अर्द्ध शा० पत्र सं० (प्रा) यो/3933/96-94-95, दिनांक 12 मार्च, 1995 द्वारा क्या वंचित अंशकालिक शिक्षकों को नियुक्ति दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

अंशकालिक स्वयं सेवियों को शैक्षिक गुणांक के आधार पर अन्य अभ्यर्थियों के साथ ज्येष्ठता क्रम में आने पर तदर्थ नियुक्तियां प्रदान की गई थी ।

जनपद जौनपुर मीठेपार इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य के विरुद्ध छात्रवृत्ति गबन व निधियों के दुरुपयोग की जांच

7–श्री श्रीराम यादव–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेगे कि इण्टर कालेज मीठेपार, जौनपुर के प्रधानाचार्य श्री शीतला प्रसाद तिवारी के विरुद्ध छात्रवृत्ति का गबन व निधियों के दुरुपयोग की जांच की जा रही

है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार जांच कराकर प्रधानाचार्य के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी, हां ।

निदेशालय की आडिट पार्टी द्वारा जांच करायी जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद आजमगढ़ के ब्लाक धौलाना, मार्टिनगंज के ग्रामों में निर्माणाधीन विद्यालय भवनों में अनियमितता की जांच

8–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामों में प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों हेतु वर्ष 1995-96 व 1996-97 में कुल कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी है ? क्या यह सही है कि भवनों के निर्माण में निर्धारित माप-दण्डों का पालन नहीं किया जा रहा है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के ग्राम पारपा ब्लाक धौलाना (गाजियाबाद) फूलपुर-तहसील मार्टिनगंज ब्लाक के ग्राम कोहरौली एवं ग्राम इकलैडी ब्लाक धौलाना में निर्माणाधीन विद्यालय भवन में निर्धारित मापदण्डों का पालन न करके भवन निर्माण सामग्री कम मात्रा में प्रयोग कर वांछित धनराशि बचायी गयी है । यदि हां, तो क्या मा० मंत्री जी यह बतायेंगे कि उक्त विद्यालय भवन में वास्तविक रूप से कितनी धनराशि खर्च की गयी ? क्या मा० मंत्री जी उक्त कार्यों की जांच करायेंगे ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 में 10264 प्राथमिक विद्यालयों के लिये रु० 11,937.55 लाख की धनराशि भवन निर्माण हेतु स्वीकृत की गयी ।

इस प्रकार की सामान्य शिकायत नहीं है ।

प्रश्नगत विद्यालयों के बारे में जांच करायी जा रही है ।

जांच कराई जा रही है ।

जी हां, जांच कराई जा रही है ।

कुमाऊं मण्डल के राजकीय विद्यालयों की भांति गढ़वाल मण्डल के अध्यापकों को एल० टी० में संविलीन करने की मांग

9–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आदर्श विद्यालय से संलग्न दीक्षा विद्यालय के अध्यापकों की सी० टी० संवर्ग में गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत 50 प्रतिशत कोटे में पदोन्नति की गई ? क्या वर्ष 1989 में सी० टी० संवर्ग समाप्त होने पर गढ़वाल मण्डल के दीक्षा विद्यालयों से संबंधित अध्यापकों की 10 वर्ष की सेवा पर बी० टी० सी० से एल० टी० में संविलीन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि कुमायूं मण्डल के राजकीय आदर्श विद्यालयों के समस्त अध्यापक सी० टी० से 10 वर्ष की नियमित व सन्तोषजनक सेवा के उपरान्त एल० टी० में संविलीन हो गये हैं ? यदि हां, तो गढ़वाल मण्डल में ऐसे पदधारी व इसी प्रकृति के शिक्षकों को उक्त लाभ अभी तक क्यों नहीं दिया गया ? उक्त लाभ कब तक दे दिया जायेगा ?

डा० नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

10–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

(सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया)

जनपद बलरामपुर, उतरौला में भूमि संरक्षण तुलसीपुर व पचपेड़वा इकाई द्वारा निर्माण कार्यों में अनियमितता के संबंध में शिकायती-पत्र

11–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 में कार्यदायी संस्था भूमि संरक्षण ए० पी० डी० पी० तुलसीपुर इकाई तथा पचपेंड़वा इकाई विधान सभा क्षेत्र उतरौला जनपद बलरामपुर में निर्माण कार्यों में की गयी अनियमितता की जांच विषयक विधायक प्रकोष्ठ का पत्र संख्या एम०–4/82-10/गोण्डा/97, दिनांक 27-9-97 को प्राप्त हुआ है ? क्या स्थलीय जांच करा ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

क्षेत्रीय विकास एवं परती भूमि विकास मंत्री (श्री मण्डलेश्वर सिंह)–

जी हां । इस संबंध में अवगत कराना है कि विधायक प्रकोष्ठ से विषयगत पत्र दिनांक 27-9-97 को ग्राम्य विकास विभाग को सम्प्रेषित किया गया, परन्तु पर्याप्त छानबीन के पश्चात् भी उक्त पत्र ग्राम्य विकास विभाग में उपलब्ध न हो पाने के कारण ग्राम विकास विभाग द्वारा इस विभाग को अभी तक उपलब्ध नहीं कराया जा सका है । इस कारण इस संबंध में इस विभाग द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है । मा० विधायक जी से इस संबंध में पुनः संदर्भित पत्र उपलब्ध कराने हेतु पत्र व्यवहार किया गया है और स्थिति स्पष्ट होने पर ही अपेक्षित कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा ।

जनपद जालौन उरई क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु ऋण एवं भूमि आवंटन आदि की जानकारी

12–श्री श्रीराम पाल–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन के उरई यू० पी० एस० आई० डी० सी० क्षेत्र में कितनी औद्योगिक इकाइयां चालू हैं ? कितनी इकाइयों की स्थापना हेतु पंजीकरण भूमि आवंटन तथा ऋण उपलब्ध कराया गया है ? क्या यह सच है कि अधिकांश औद्योगिक इकाइयों के मालिकों द्वारा सस्ते ब्याज पर सरकारी ऋण प्राप्त करके इकाइयों को चालू न कराकर अन्य लोगों को इकाइयां विक्रय कर दी हैं ? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचना अनुसार, प्रश्नगत क्षेत्र में 87 इकाइयां चालू हैं और 54 इकाइयों को यू० पी० एफ० सी० अथवा पिकप द्वारा ऋण उपलब्ध कराया गया है ।

जी नहीं । अतः प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में बन्द पड़े सीमेन्ट कारखानों को चलाने की कार्य योजना की जानकारी

13–श्री राम नरेश यादव–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने सीमेन्ट के कारखाने बन्द हैं और इसका क्या कारण है ? सरकार उन बन्द कारखानों को चलाने के लिये क्या कार्य योजना तैयार कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रदेश में 26 सीमेन्ट कारखाने बन्द हैं।

कार्यशील पूंजी के अभाव, घाटा होने अथवा साझेदारी विवाद होने के कारण यह इकाइयां बन्द हैं।

नयी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत पुनर्वासन योजना से आच्छादित होने वाली इकाइयों को सहायता प्रदान की जाने की व्यवस्था है।

जनपद फैजाबाद रुदौली में राजकीय कन्या इण्टर कालेज की छात्राओं के अनुपात में शिक्षिकाओं की नियुक्ति एवं कमरे की व्यवस्था

14–आचार्य रामदेव वैश्य–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या इंटर कालेज, रुदौली जनपद–फैजाबाद की छात्राओं के अध्यापन हेतु छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षिकाओं की नियुक्ति है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या छात्राओं के बैठने हेतु पर्याप्त कमरे तथा उपकरण उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं।

सृजित पदों के रिक्त होने के कारण।

जी नहीं।

निजी भवन उपलब्ध न होने के कारण।

जनपद प्रतापगढ़ ब्लाक आसपुर देवसरा में प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण में अनियमितताओं की जांच संबंधी शिकायती-पत्र

15–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या–ख–2, नं०–380581, दिनांक 7-7-97 पर ब्लाक आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़ के नवीन स्वीकृत प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण में की गयी अनियमितताओं के जांच के आदेश अपर निदेशक, बेसिक शिक्षा को दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले तथा इस संबंध में दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं।

ऐसा कोई पत्र शिक्षा निदेशालय में प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद ब्लाक रुदौली रोजागांव कन्या जूनियर हाई स्कूल भवन निर्माण में घटिया सामग्री एवं प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त निर्माण के संबंध में जानकारी

16–आचार्य रामदेव वैश्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के ब्लाक रुदौली स्थित रोजागांव कन्या जूनियर हाई स्कूल के नये भवन का निर्माण घटिया सामग्री द्वारा प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अलग नम्बर में कराया जा रहा था, जो मा० उच्च न्यायालय ने रोक दिया है ? क्या मंत्री जी यह

बतायेंगे कि किस अध्यापक को इसके निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है ? क्या इसके पूर्व इस अध्यापक को चार अन्य स्कूल भवनों के निर्माण की जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी द्वारा दी गयी थी ? यदि हां, तो उन विद्यालयों के नाम क्या हैं ? क्या उक्त भवन पूर्ण रूप से निर्मित हो गये हैं ? यदि नहीं, तो उक्त अध्यापक को नये भवन निर्माण की जिम्मेदारी किस आधार पर दी गयी ?

श्री बालेश्वर त्यागी--

प्रश्नगत निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन मा० उच्च न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री अरविन्द कुमार, प्रधानाध्यापक प्राइमरी पाठशाला, सराय हामिद, विकास खण्ड--रुदौली ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रकरण की जांच करायी जा रही हैं ।

हिन्दुस्तान लीवर कम्पनी, चम्पावत में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने की जानकारी

17--श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नव सृजित जिला चम्पावत में हिन्दुस्तान लीवर कम्पनी द्वारा डिटरजेन्ट बनाने का उद्योग स्थापित कर दिया है ? यदि हां, तो कितने स्थानीय बेरोजगार युवकों को इसमें रोजगार दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

हिन्दुस्तान लीवर कम्पनी द्वारा यह औद्योगिक इकोई स्थापित की जा रही है ।

डिटरजेन्ट का उत्पादन प्रारम्भ न होने के कारण कम्पनी द्वारा स्थानीय लोगों को अभी कोई रोजगार नहीं दिया गया है ।

जनपद मैनपुरी, ब्लाक बेवर, ग्राम अपूरपुर के प्राथमिक विद्यालय के निर्माण में प्रश्नकर्ता के पत्र पर रोक एवं उसे निरस्त करने की मांग

18--श्री राम औतार शाक्य--

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 2-9-97 के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी द्वारा अपने पत्रांक 4616/6/97-98 दिनांक 2-9-97 के क्रम में ग्राम अपूरपुर ब्लाक बेवर जनपद मैनपुरी में प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण का कार्य रोके जाने का आदेश सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी बेवर (मैनपुरी) को किया था ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय के निर्माण के लिये बी० एस० ए० मैनपुरी द्वारा बाद में चैक क्यों काट दिया गया ? क्या यह सही है कि सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी बेवर (मैनपुरी) ने अपनी आख्या में उपरोक्त ग्राम अपूरपुर के पास ग्राम दुर्गापुर ब्लाक सुल्तानगंज, मैनपुरी में 300 मीटर की ही दूरी पर पहले से प्राथमिक विद्यालय का बन्द होना दर्शाया है ? यदि हां, तो क्या ग्राम अपूरपुर का प्राथमिक विद्यालय निरस्त किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी--

जी हां ।

प्रकरण की जांच करायी जा रही है ।

जी हां ।

जांचोपरान्त निर्णय लिया जायेगा ।

शीघ्र

प्रश्न नहीं उठता ।

मेरठ मण्डल के उप शिक्षा निदेशक आदेशानुसार जनपद बहराइच के राजकीय इण्टर कालेज के एल० टी० शिक्षकों को प्रोन्नति वेतनमान दिये जाने की जानकारी

19–श्री राजीव कुमार सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य लेखाधिकारी शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद के अ० शा० पत्रांक राज०/लेखा/4909/93-94, दिनांक 6-1-94 के अनुसार शासकीय विद्यालयों के एल० टी० शिक्षकों को प्रोन्नति वेतनमान अनुमन्य करने की क्या शर्तें हैं ? क्या यह सत्य है कि उप शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल ने अपने आदेश संख्या प्रबन्ध/143/93-94, दिनांक 4-2-94 द्वारा कुछ शिक्षकों को उक्त पत्र के अनुपालन में प्रोन्नति वेतनमान अनुमन्य किया है ? क्या राजकीय इंटर कालेज बहराइच के कुछ एल० टी० शिक्षकों ने 25-9-97 को प्रोन्नति वेतनमान की स्वीकृति हेतु आवेदन दिया है ? यदि हां, तो इनके नाम क्या हैं ? क्या इन्हें प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

स्नातक वेतनक्रम के जिन अध्यापकों को द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड 16 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर स्वीकृत किया गया था, उन्हें शासनादेश सं०/वे० आ–1-2186/0–90-39 (एम०)/89, दिनांक 31 मई 1990 के साथ संलग्न शासनादेश दिनांक 3-4-89 के अनुच्छेद 3(10) के स्पष्टीकरण के अनुसार चयन वेतनमान की 6 वर्ष की अनवरत सेवा के उपरान्त पदोन्नति/अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य हो किन्तु उक्त सेलेक्शन की गणना दिनांक 1-7-82 अथवा वास्तविक रूप से अनुमन्य सेलेक्शन ग्रेड की तिथि जो भी बाद में हो, से की जायेगी । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चयन वेतनमान की उक्त 6 वर्ष की सेवा के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि संबंधित कर्मचारी की उस पद की कुल सेवा कम से कम 16 वर्ष की हो । साथ ही यह प्रतिबन्ध भी होगा कि कर्मचारी संबंधित पद पर नियमित हो ।

जी हां ।

जी हां ।

श्री महीप कुमार सिंह स० अ० (एल० टी०) राजकीय इण्टर कालेज, बहराइच । जी नहीं ।

राजाज्ञा सं०– 4772(11)/15-2-89-27(59)/88 टी० सी०, दिनांक 28 सितम्बर/18 अक्टूबर, 1989 एवं निदेशालय के पत्रांक राज० लेखा/1924/94-95, दिनांक 22-8-94 में निहित निर्देशानुसार देय न होने के कारण स्वीकृत नहीं किया गया है ।

जनपद बाराबंकी, प्राथमिक पाठशाला रामपुर कटरा के भूतपूर्व प्रधानाध्यापक के विरुद्ध परिपत्र एवं शिकायतों की जांच का शिकायती-पत्र

20–श्री गंगा प्रसाद पुष्कर–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम उजागर सिंह, प्रधानाध्यापक प्राइमरी पाठशाला, रामपुर कटरा, शिक्षा क्षेत्र सिरौली गौसपुर, जिला बाराबंकी के प्रार्थना-पत्र के साथ

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा पत्र दिनांक 9-3-98 जो श्री सुरेश सिंह, भूतपूर्व प्रधानाध्यापक, प्राथमिक पाठशाला, रामपुर कटरा, शिक्षक क्षेत्र–सिरौली गौसपुर, जिला बाराबंकी के विरुद्ध कतिपय शिकायतों की जांच के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं, बल्कि श्री राजेन्द्र सिंह पटेल के पत्र के साथ श्री कीर्तिवीर सिंह पुत्र श्री राम उजागर सिंह का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था ।

संबंधित को निलम्बित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर की अभिसूचना इकाई द्वारा फर्जी शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्रों की जांच आख्या एवं महाविद्यालय के प्राचार्य के बयान की जानकारी

21–श्री अफजाल अहमद–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद की स्थानीय अभिसूचना इकाई ने 17-6-97 को जिलाधिकारी, जौनपुर को फर्जी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों के बारे में जांच आख्या सौंपी है ? क्या शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य का बयान भी संलग्न कर प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों के बारे में प्राचार्य के बयान क्या हैं ? क्या प्राचार्य का बयान नहीं लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्राथमिक विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड, टाट-पट्टी मदों पर व्यय हेतु अतिरिक्त धनराशि की मांग

22–श्री राजधारी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1994-95, 1995-96, 1996-97 में प्राथमिक विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड, टाट-पट्टी की व्यवस्था एवं अन्य मदों में कितना-कितना धन व्यय किया गया ? क्या यह सही है कि जो धनराशि शासन द्वारा व्यय की गयी है, पर्याप्त नहीं है ? यदि हां, तो क्या शासन इस कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करेगा ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

वर्ष 1994-95 में धनराशि रुपये 189.45 लाख, वर्ष 1995-96 में धनराशि रुपये 255.15 लाख तथा वर्ष 1996-97 में 189.99 लाख शासन द्वारा स्वीकृत किये गये हैं ।

व्यय जनपद स्तर पर होता है जिसके अद्यतन आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं ।

व्यय के अद्यतन आंकड़े एकत्र होने के उपरान्त स्थिति स्पष्ट की जाएगी ।

श्रीमती बीना देवी सहायक अध्यापिका (सी० टी० ग्रेड) राजकीय कन्या इण्टर कालेज, सरदार नगर, गोरखपुर को मूल पद पर वापसी का मामला

23–श्री शिव सिंह चक–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के पहले मंगलवार हेतु निर्धारित अता० प्र० सं०–54 के उत्तर के संदर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक अध्यापिका श्रीमती बीना देवी,

राजकीय कन्या इण्टर कालेज, सरदार नगर, गोरखपुर में सहायक अध्यापिका सी० टी० ग्रेड के पद पर किस दिनांक से कार्यरत हैं ?

डा० नैपाल सिंह–

श्रीमती बीना देवी, सहायक अध्यापिका राजकीय कन्या इण्टर कालेज, सरदार नगर, गोरखपुर में सी० टी० ग्रेड में दिनांक 5-11-88 से दिनांक 30-11-89 तक एवं दिनांक 01-7-96 से 31-7-96 तक तथा दिनांक 14-5-97 से दिनांक 29-6-97 तक कार्यरत रहीं ।

मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जनपद भदोही में बी० टी० सी० अध्यापकों की कमी को बी० एड० के अध्यापकों से पूर्ण कराया जाना

24–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार को जानकारी है कि भदोही जनपद में बी० टी० [illegible] अध्यापकों की कमी के कारण उनकी पूर्ति बी० एड० के अध्यापकों से करने हेतु मा० उच्च न्यायालय ने [illegible] दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इसे अभी तक अमल में नहीं लाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त आदेश का कब तक कार्यान्वयन होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मा० उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24-4-97 द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेशित किया है कि **बी० टी० सी०** प्रशिक्षित अभ्यर्थी यदि उपलब्ध नहीं है तो बी० एड०/एल० टी० के माध्यम से याचीगण की **नियुक्ति** पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें ।

मा० उच्च न्यायालय का आदेश सशर्त है । जनपद में अभी बी० टी० सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध है । अतः बी० एड०/एल० टी० अभ्यर्थियों पर विचार करने का अवसर नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थ नगर श्री कृष्ण करुणाकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति आरक्षण रोस्टर प्रणाली से करने की [illegible]

25–श्री लालमणि प्रसाद–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिद्धार्थनगर जनपद में श्री कृष्ण करुणाकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सकारपार में कौन-कौन से अध्यापक कार्यरत हैं ? क्या इस विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की नियुक्ति आरक्षण रोस्टर प्रणाली के अन्तर्गत की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तरांचल में जिलेवार विद्यालयों/इण्टर कालेजों के कथित रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

26–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उत्तरांचल में रा० उ० मा० विद्यालय, इण्टर कालेजों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो जिलेवार किन-किन रा० उ० मा० विद्यालयों, इण्टर कालेजों में एल० टी० ग्रेड प्रवक्ता एवं प्रधानाचार्यों के पद रिक्त हैं ? क्या सभी रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्तियां होंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

27–श्री भारत सिंह रावत–

[2रे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–187 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

28–श्री भारत सिंह रावत–

[2रे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–188 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

श्री मदन सिंह नयाल, पूर्व प्रमुख कोट (गढ़वाल) का जिला विद्यालय निरीक्षक पौड़ी गढ़वाल को सम्बोधित पत्र के बिन्दुओं पर कार्यवाही

29–श्री मोहन सिंह रावत ''गांववासी''–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, पौड़ी गढ़वाल को संबोधित एवं शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को पृष्ठांकित मदन सिंह नयाल, पूर्व प्रमुख एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत कोट (गढ़वाल) का पत्रांक तैडी/13–शिक्षा/97-98, दिनांक 11 दिसम्बर, 1997 प्राप्त हुआ है ? पत्र में उठाये गये बिन्दु क्या-क्या हैं ? उनके निराकरण हेतु अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

पत्र में निम्न बिन्दु उठाये गये हैं :–

(1) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बहेड़ाखाल के क्षतिग्रस्त भवन की मरम्मत कराने विषयक ।

(2) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसन्तपुर पौड़ी गढ़वाल के अध्यापकों के रिक्त पद भरने विषयक ।

(3) खण्ड विकास अधिकारी कोट की 1995 की जांच विषयक ।

(4) खण्ड विकास अधिकारी कोट की बैठक दि० 30-8-95 के बिन्दु 21 विषयक ।

(5) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बहेड़ाखाल के अध्यापकों की जांच विषयक ।

(6) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बहेड़ाखाल के अध्यापकों की अनुपस्थिति एवं भवन के क्षतिग्रस्त होने विषयक ।

(7) सामान्य छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति विषयक ।

(8) स्थानान्तरित रिक्त पदों को भरने विषयक ।

निराकरण हेतु बिन्दुवार निम्न कार्यवाही की गयी है :–

(1) डी० आर० डी० ए० कार्यालय पौड़ी के पत्रांक 197/बजट/97, दिनांक 7-1-98 द्वारा रु० 3,75,000/–विद्यालय भवन की मरम्मत हेतु स्वीकृत किया गया। उक्त कार्य पूर्ण हो गया है।

(2) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

(3) बिन्दु शिक्षा (माध्यमिक) विभाग से संबंधित नहीं है ।

(4) बिन्दु शिक्षा (माध्यमिक) विभाग से संबंधित नहीं है ।

(5) जांच कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

(6) इस सम्बन्ध में प्रधानाचार्य को कठोर निर्देश दे दिये गये हैं और भवन मरम्मत हेतु रुपये 3,75,000/-की धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ।

(7) छात्रवृत्ति अनुदान संख्या-72 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में स्वीकृत करने की कार्यवाही मुख्य लेखाधिकारी द्वारा कर दी गयी है ।

(8) रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल द्वारा की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चित्रकूट बाबूपुर के ललक सिंह सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय की सेवाकाल में मृत्यु के उपरान्त देयकों का भुगतान

30-श्री आर० के० सिंह पटेल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व० ललक सिंह स० अ० प्रा० वि० बाबूपुर क्षेत्र पहाड़ी, जनपद चित्रकूट की मृत्यु सेवाकाल के दौरान दिनांक 30-8-92 को हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या इनके आश्रित को सामूहिक जीवन बीमा की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या हैं ? क्या उक्त बीमा का लाभ इनके आश्रित को दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी-

जी हां ।

जी हां ।

भुगतान किया जा चुका है ।

फूल चन्द सहायक अध्यापक प्राथमिक पाठशाला बाबूपुर क्षेत्र पहाड़ी जनपद चित्रकूट की मृत्यु के उपरान्त सामूहिक बीमा का भुगतान

31-श्री आर० के० सिंह पटेल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फूलचन्द स० अ० प्रा० पा० बाबूपुर क्षेत्र पहाड़ी, जनपद चित्रकूट की मृत्यु सेवा के दौरान दिनांक 30-10-97 को हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या सामूहिक जीवन बीमा का लाभ मृतक के आश्रित को दिया गया ? यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या हैं ? क्या सामूहिक जीवन बीमा का लाभ उनके आश्रित को दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी-

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत धनराशि का भुगतान किया जा चुका है ।

32-श्री अब्दुल कलाम-

[दिनांक 11-2-99 को अता० प्र० सं०-127 द्वारा उत्तरित]

शासनादेश के अनुसार प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ सचिव शाखा में विभिन्न पदों के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमान

33–श्री राम पाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या–वे०आ०–1–166/दस–12 (एम)–95, दिनांक 05-3-1995 के अनुसार प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, लोक निर्माण सचिव शाखा में कार्यरत किन-किन लिपिकों, वैयक्तिक सहायक/आशुलिपिकों, ड्राइवरों व अनुसेवकों/वरिष्ठ अनुसेवकों को दिनांक 31-12-1995 तक 14 वर्षों की सेवा पर प्रथम पदोन्नति वेतन व 19/20 वर्ष की सेवा पर सेलेक्शन ग्रेड व 23/24 वर्ष की सेवा पर द्वितीय पदोन्नति वेतनमान देय हो चुका है ? देय कर्मचारियों के पक्ष में आवश्यक आदेश आज तक निर्गत न किये जाने के क्या कारण हैं ? सरकार कब तक संबंधित देय कर्मचारियों को शासनादेश के अनुसार 08 एवं 20 वर्ष की सेवा पर सेलेक्शन ग्रेड तथा 14 एवं 24 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य कराये जाने का आदेश निर्गत करवा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

शासनादेश संख्या–वे०आ०–1–166/दस–12(एम०)/95, दिनांक 08 मार्च, 95 के अनुसार दिनांक 31-12-95 तक प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ लोक निर्माण सचिव शाखा में श्री आर० के० तिवारी वरिष्ठ सहायक, श्रीमती आशा रानी शर्मा, श्रीमती दीपाली डे, कु० बीना अग्निहोत्री एवं श्रीमती कृष्णा देवी सिंह आशुलिपिक को 14/16 वर्षीय प्रथम पदोन्नति वेतनमान देय हो चुका है । इनमें से श्री आर० के० तिवारी, वरिष्ठ सहायक तथा श्रीमती कृष्णादेवी सिंह, आशुलिपिक को उक्त वेतनमान अनुमन्य कराया जा चुका है ।

श्री आर० के० तिवारी वरिष्ठ सहायक श्रीमती आशारानी शर्मा, आशुलिपिकों को 19/20 वर्षीय वेतनवृद्धि देय हो चुकी है, जिसमें से श्री आर० के० तिवारी को वेतनवृद्धि का लाभ मिल चुका है । उक्त शासनादेश के तहत 23-24 वर्षीय द्वितीय प्रोन्नति वेतनमान किसी भी कर्मचारी को देय नहीं है । क्योंकि वेतन समिति 1997 की संस्तुतियों पर लिए गये निर्णयानुसार 1-1-96 के पश्चात् समयमान वेतनमान की अनुमन्यता को अभी स्थगित रखा गया है ।

प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 8-3-95 के तहत सम्बन्धित कर्मचारियों को नियमानुसार अनुमन्य वेतनमान/वेतनवृद्धि का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही क्रमित है । यथाशीघ्र आदेश निर्गत कर दिये जायेंगे ।

जनपद हरदोई, विकास खण्ड बेंहदर, सण्डीला आदि की प्राथमिक पाठशालाओं में नियमानुसार शिक्षकों की नियुक्ति का प्रकरण

34–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेंहदर, सण्डीला तथा कछौना के प्राथमिक पाठशालाओं में कार्यरत अध्यापकों के स्थानान्तरण वर्ष 1997-98 में किये जाने के फलस्वरूप उक्त विकास खण्डों के कतिपय प्राथमिक पाठशालाएं पूर्णतया बन्द हो गयी हैं ? क्या यह सही है कि अध्यापकों को पदस्थापित न किये जाने के कारण ग्राम जाहिदपुर कुदौरी, कुन्डानी छनोइय्या की प्राइमरी पाठशालाएं वर्तमान में पूर्णतया बन्द हैं ? यदि हां, तो इस व्यवस्था हेतु कौन अधिकारी दोषी हैं ? क्या सरकार उपरोक्त प्रकरण में सम्बन्धित अधिकारियों को दण्डित करते हुए पाठशालाओं में शिक्षकों की नियुक्तियां करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि कोई भी पाठशाला बन्द नहीं हुयी है ।

आवश्यकता एवं उपलब्धतानुसार शिक्षक नियुक्त हैं ।

मुरादाबाद मण्डल में विगत एवं वर्तमान शिक्षा सत्रों में अशासकीय बालक/बालिका हाई स्कूल/इण्टर विद्यालय संचालित होने की जानकारी

35–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत दो शिक्षा-सत्रों में तथा वर्तमान शिक्षा-सत्र में सम्पूर्ण मुरादाबाद मण्डल में कितने अशासकीय इण्टरमीडिएट कालेज बालक तथा इण्टरमीडिएट कालेज बालिका तथा हाई स्कूल बालक तथा बालिका कार्यरत हैं ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

मुरादाबाद मण्डल में विगत 2 शिक्षा-सत्रों एवं वर्तमान शिक्षा-सत्र में निम्नलिखित विवरण के अनुसार अशासकीय बालक एवं बालिका हाईस्कूल/इण्टर विद्यालय संचालित हैं :–

(अ) हाईस्कूल

शिक्षा सत्र	बालक	बालिका	योग
1996-97	88	18	106
1997–98	95	20	115
1998-99	110	23	133

(ब) इण्टरमीडिएट

शिक्षा सत्र	बालक	बालिका	योग
1996-97	136	39	175
1997–98	147	40	187
1998-99	156	41	197

जनपद उन्नाव बांगरमऊ की मुरादाबाद से बल्लापुर सड़क के निर्माण में अनियमितता की जांच, दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

36–श्री राम शंकर पाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव जनपद के बांगरमऊ विधान सभा क्षेत्र की मुरादाबाद से बल्लापुर सड़क के निर्माण कार्य में अनियमितता की जांच करायी गयी थी जिसमें कुछ अधिकारी दोषी पाये गये थे ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जांच में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये गये सर्वश्री आकाश दीप सोनकर, अधिशासी अभियन्ता एवं आर० के० तिवारी, सहायक अभियन्ता को कार्यालय ज्ञाप दिनांक 20-5-98 द्वारा निलम्बित कर अनुशासनिक कार्यवाही आदेशित कर दी गयी है ।

37–श्री नेतराम सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

जनपद बाराबंकी, श्री गुलजार हैदर सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय रुदौली के चिकित्सा अवकाश का भुगतान

38–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री गुलजार हैदर, सहायक अध्यापक, प्राइमरी विद्यालय रुदौली, जनपद बाराबंकी का 25-8-92 से 3-1-93 तक का चिकित्सा अवकाश का वेतन अब तक भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ? अवशेष का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

दिनांक 6-1-99 को भुगतान कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा, यमुना नदी पर चिल्ला फेरी के पान्टून सेतु की विशेष मरम्मत में सरकारी धन के दुरुपयोग की जानकारी

39–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार को जानकारी है कि लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड बांदा के अधिकारियों द्वारा ज्ञाप संख्या 44 झां० क्षे०/एस०आर०/97-98 के अन्तर्गत जनपद बांदा में यमुना नदी पर चिल्ला फेरी के पान्टून सेतु की विशेष मरम्मत कार्य के नाम पर 10 लाख रुपयों का भुगतान कर लिया गया है ? क्या यह सही है कि मौके पर मरम्मत कार्य न कराकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या पूरे प्रकरण की जांच कराकर दोषी से धन की वसूली की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया विकास खण्ड सीयर अखोप माइनर की नहरों की पटरियों के बीच निर्माण के दुरुपयोग की जानकारी

40–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया अन्तर्गत विकास खण्ड सीयर में अखोप माईनर से निकली नहर जो ग्राम रूपा तरछापार होते हुये जाती है, की एक पटरी को पीच कराया गया है ? क्या मानक के अनुरूप कार्य न कर घटिया किस्म का कार्य कराकर धन का दुरुपयोग किया

गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसकी गुणवत्ता को टी० ए० सी० जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं । कार्य मानक के अनुरूप कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हरिद्वार–नजीबाबाद मार्ग पर कुल रपटों की संख्या, नदियों पर पुल निर्माण की मांग

41–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिद्वार–नजीबाबाद मार्ग पर कुल कितने रपटे हैं ? वर्ष 1998 में वर्षाकाल में कितने दिन यातायात अवरुद्ध रहा ? कितने रपटे बिल्कुल नष्ट हो गये तथा कितने आंशिक रूप से ध्वस्त हुए ? इसके स्थायी समाधान हेतु क्या सरकार कुछ नदियों पर जो बहुत अधिक प्रवाह से बहकर यातायात अवरुद्ध कर देती है, पुल निर्माण हेतु विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

कुल आठ रपटे हैं ।

हरिद्वार–नजीबाबाद मार्ग के किमी० 139 में स्थित रवासन नदी पर बने रपटे के क्षतिग्रस्त होने के कारण दिनांक 19-8-98 से 30-8-98 तक यातायात अवरुद्ध रहा ।

पूर्णतया कोई रपटा नष्ट नहीं हुआ । आंशिक रूप से केवल 4 रपटे क्षतिग्रस्त हुये । जी नहीं । संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जहां आवश्यक हो, प्रत्येक वर्ष नये पुलों का निर्माण कार्य स्वीकृत किया जाता है, तदनुसार ही उल्लिखित पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में यथासमय निर्णय लिया जायेगा ।

निर्माण निगम के आर्कीटेक्ट/इंजीनियर्स सेवा नियमावली के अनुसार वर्तमान में उप अभियन्ता के पदों की भर्ती हेतु शर्तों को पूरा करने वालों की संख्या एवं वरिष्ठ उप अभियन्ता का संवर्ग पृत घोषित किये जाने की जानकारी

42–श्री बनवारी लाल दोहरे–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के पांचवें सोमवार के लिये निर्धारित श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी स० वि० सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 56 के उत्तर के संबंध में क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि निर्माण निगम के आर्कीटेक्ट एवं इंजीनियर्स सेवा नियमावली के अनुसार उप-अभियन्ता के पद पर भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव अभियंत्रण में डिप्लोमा के साथ-साथ दो या तीन वर्ष का अनुभव आवश्यक है तथा वर्तमान समय में कार्यरत लगभग 300 नियमित उप-अभियन्ता इस प्रारम्भिक शर्त को पूरा करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन उप अभियन्ताओं को वरिष्ठ उप-अभियन्ता मानते हुए उसका वेतनमान दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

वर्तमान में कार्यरत कुल 282 उप अभियन्ता इस शर्त को पूरा करते हैं ।

जी नहीं। उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० के निदेशक मण्डल की 57वीं बैठक में वरिष्ठ उप अभियन्ता का संवर्ग मृत संवर्ग घोषित किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है।

उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम सेतु निगम के सेवा संवर्ग हेतु अर्हता, अनुभव की शर्तों में भिन्नता के कारण वेतनमान में असमानता को ठीक कराने की मांग

43–श्री बनवारी लाल दोहरे–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के चौथे सोम० के अतारांकित प्रश्न संख्या–78 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या दोनों निगमों के लेखाकारों के कार्य एवं उत्तरदायित्व सेवा नियमावली के अनुसार एक समान हैं ? क्या यह सही है कि निर्माण निगम की अन्य वर्ग की सेवा नियमावली के अनुसार लेखाकार श्रेणी–"डी" के कर्मचारी हैं ? यदि हां, तो इन्हें अलग-अलग वेतनमान दिये जाने का कारण क्या है ? क्या इस असमानता को सरकार पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से पूर्व ठीक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

सेवा नियमावली में लेखाकारों के कार्य एवं उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं होते हैं।

जी हां।

दोनों निगमों के कार्यों, दायित्वों, स्थिति एवं मापदण्डों में भिन्नता है, इसलिए सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण हेतु गठित समता समिति, उ० प्र० (1989) द्वारा दोनों निगमों के लेखाकारों के वेतनमान के लिये भिन्न-भिन्न संस्तुतियां की गई हैं। निगमों से सम्बन्धित पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के सम्बन्ध में कार्यवाही को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम इकाई–12 के उप अभियन्ता के विरुद्ध जांच/स्थानान्तरण की मांग

44–श्री बनवारी लाल दोहरे–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० की इकाई–12 में कितने उप अभियन्ता ऐसे हैं, जिन्हें लखनऊ जनपद में कार्य करते हुए 10 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है ? क्या यह सही है कि अनेक उप अभियन्ताओं के विरुद्ध जांच लम्बित/प्रस्तावित हैं ? यदि हां, तो उक्त अभियन्ताओं को एक ही स्थान पर बनाये रखने के कारण क्या है ? क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई विभागीय नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे लोगों को तत्काल अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

केवल एक।

जी नहीं, केवल एक उप अभियन्ता (वि०) के विरुद्ध जांच लम्बित है।

अपरिहार्य परिस्थितिवश।

जी हां।

शासकीय नीति के अनुसार अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर 5 वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान/इकाई पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण किये जाने की व्यवस्था है।

अगले स्थानान्तरण सत्र में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

डा० गणेश कृष्ण जेतली इण्टर कालेज अकबरपुर अम्बेडकर नगर परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा संस्थागत प्रबन्धक के विरुद्ध जांच की मांग

45–श्री अजय कुमार पोइया–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के चौथे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 180 के उत्तर के संदर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रियदर्शी जेतली इण्टर कालेज द्वारा कोई पत्र माह जुलाई, अगस्त, 1998 में सचिव शिक्षा (माध्यमिक) उ० प्र० को दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16छः के अध्याय तीन के विनियम 32(3) के प्राविधानानुसार परीक्षा संबंधी कर्तव्यों के पालन में संबंधित अध्यापकों, कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार प्रबन्धतंत्र को है । तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश शिक्षा निदेशक (मा०) को दे दिये गये हैं ?

46–श्री हरदेव सिंह–

[2रे शुक्रवार मेंअता० प्र० सं० 189 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

निगमों/परिषद् द्वारा शासन के समानान्तर सचिवालय शब्द के प्रयोग किये जाने पर आपत्ति

47–श्री हरदेव सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के समानान्तर "सचिवालय" शब्द का प्रयोग करने वाले निगमों/परिषद् के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक "सचिवालय" शब्द का प्रयोग न करने सम्बन्धी आदेश निर्गत कर दिये जायेंगे ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद एटा विकास खण्ड कासगंज ग्राम बांकनेर के प्राथमिक कन्या विद्यालय के परिसीमन में आदेश की अवहेलना कर अवैध कब्जा किये जाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र

48–श्री नेत राम सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि एटा जिले के विकास खण्ड कासगंज ग्राम बांकनेर की प्राथमिक कन्या विद्यालय के परिसीमन में शासन के आदेश सं०–2624/15-5-91-266/91. दिनांक 15-10-91 की अवहेलना कर अवैध कब्जा कर लिया गया है ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा शिकायती पत्र जो अवैध कब्जा हटाने तथा अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक था, जिलाधिकारी, एटा को माह अगस्त, 1998 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अनाधिकार कब्जा करने वाले कौन-कौन व्यक्ति हैं तथा उनके विरुद्ध प्रशासन ने क्या कार्यवाही की ? क्या अनधिकृत कब्जा हटाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

विद्यालय परिसर में अवैध रूप से दुकानों का निर्माण कराया गया है ।

जी हां ।

अनाधिकार कब्जा करने वाले व्यक्तियों के नाम निम्नवत् हैं :–

1–श्री राम स्वरूप पुत्र श्री पोरव पाल सिंह

2–श्री गुड्डू पुत्र श्री नवाब

3–श्री बबलू पुत्र श्री अलवर खां

4–श्री नसरुद्दीन खां पुत्र श्री नन्हें खां

प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है । अग्रिम कार्यवाही गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया वन प्रभाग के ए० सी० एफ० द्वारा मिट्टी के काम में घोटाले की जांच

49–श्री अफजाल अहमद–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन प्रभाग देवरिया में तैनात ए० सी० एफ० श्री श्रीवास्तव द्वारा मिट्टी आदि की खुदाई व पटाई में वर्ष 1994-95, 1995-96, 1996-97 व 1997-98 में भारी घोटाला किया गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी वर्षवार जांच कराने एवं बिना कार्य के भुगतान कराने वाले अधिकारी को दण्डित करने का आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया वन प्रभाग कार्यालय के भवन निर्माण के ठेकेदार की सिक्योरिटी धनराशि का भुगतान

50–श्री अफजाल अहमद–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन प्रभाग देवरिया के कार्यालय भूतल भवन आदि का निर्माण 1995-96 में मेसर्स यादव एवं चौहान ब्रदर्स तरछापार, बिल्थरा रोड, जिला बलिया द्वारा कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त ठेकेदार का कितना धन विभाग पर बकाया है ? क्या यह सही है कि ठेकेदार द्वारा अपनी सिक्योरिटी आदि धन का भुगतान करने हेतु बार-बार विभाग से लिखित अनुरोध किया जाता रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त ठेकेदार की सिक्योरिटी आदि धन का भुगतान कराने का आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

जी हां ।

ठेकेदार का वन विभाग पर कोई धन बकाया नहीं है ।

ठेकेदार के अनुरोध पर नियमानुसार बन्धक धनराशि का भुगतान विभाग द्वारा किया जा चुका है ।

चूंकि ठेकेदार द्वारा सेनेटरी एवं लकड़ी के कार्य निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं कराये गये थे, अतः नियमानुसार कटौती कर, बन्धक की शेष धनराशि वापस कर दी गयी है ।

जनपद ललितपुर के विकास खण्ड विरधा के धौरा क्षेत्र की 69 खदाने रमपुरा, मादौन, कपासी में खनन कार्य को चालू किये जाने की मांग

51–श्री अफजाल अहमद–

विधान सभा के तृतीय सत्र वर्ष 1998 के दूसरे मंगलवार हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या–17 के उत्तर के संदर्भ में क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब सर्वोच्च न्यायालय के

आदेश 12-12-96 के परिपेक्ष्य में वन स्वरूप क्षेत्र की परिभाषा निर्धारित होने के उपरान्त ही निर्णय लिया जायेगा तो वर्ष 1996 के बाद वर्ष 1997 में कुछ खनन पट्टे किस आधार पर किये गये थे ? क्या यह सही है कि वन विभाग की संस्तुति थी कि ये खदानें वन रेन्ज में नहीं आती है ? यदि हां, तो वर्ष 1998 में किन कारणों से पट्टे निरस्त कर दिये गये ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

आवेदित क्षेत्र राजस्व भूमि में होने के आधार पर ही खनन पट्टे स्वीकृत किये गये हैं ।

जी हां ।

मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराने हेतु गठित संयुक्त सर्वेक्षण टीम की संस्तुतियों के आधार पर कतिपय खनन पट्टा क्षेत्र में भूमि का वन स्वरूप प्रतीत होने पर संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा खनन कार्य बन्द करवा दिया गया ।

उ० प्र० निर्माण निगम में उप अभियन्ताओं के वेतनमान के लम्बित प्रकरण को शीघ्र निस्तारण न किये जाने की जानकारी

52–श्री बनवारी लाल दोहरे–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के चौथे सोमवार के लिये निर्धारित श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी स० वि० सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सँख्या–43 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या निर्माण निगम के उप अभियन्ताओं को वेतनमान रु० 2000/- से 3200 (रु० 2000-3200) दिये जाने का प्रकरण पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के पूर्व निस्तारित करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि उ० प्र० राज्य सेतु निगम में उप अभियन्ता व लेखाकार का वेतनमान एक समान है ? यदि हां, तो क्या निर्माण निगम के उप अभियन्ताओं को भी सेतु निगम के लेखाकारों की भांति समान वेतनमान देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कलराज मिश्र–

निर्माण निगम के उप अभियन्ताओं को रुपये 2,000-3200/- का वेतनमान दिये जाने के संबंध में अंतिम निर्णय जुलाई, 1994 में लिया जा चुका है जिसके अनुसार उप अभियन्ताओं को उक्त वेतनमान दिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

उ० प्र० राज्य सेतु निगम में उप अभियन्ता का पद नहीं है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

53–श्री अम्बरीष कुमार–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

हाई स्कूल/इण्टर कालेजों के प्रबन्धक/प्रबन्ध समिति में मंत्रि परिषद् के सदस्यों की संख्या एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित इन परीक्षा केन्द्रों में अनुचित साधन निवारण के प्रकरण की जानकारी

54–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंत्रि परिषद् के कितने सदस्य विभिन्न हाई स्कूलों तथा इण्टर कालेजों के प्रबन्धक अथवा प्रबन्ध समिति में हैं तथा उनमें से कितने स्कूल/कालेज 1998 की माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के केन्द्र थे ? इन केन्द्रों पर अनुचित साधन निवारण कानून के कितने मामले प्रकाश में आये ?

डा० नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला टिहरी क्षेत्र गढ़वाल वन विभाग द्वारा रीवर राफ्टिंग हेतु स्थल आवंटन में अनियमितता का शिकायती-पत्र

55–श्री लाखीराम जोशी–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दि० 26-10-98 को गंगा नदी में (जिला टिहरी गढ़वाल क्षेत्र) रीवर राफ्टिंग हेतु वन विभाग द्वारा राफ्टिंग कम्पनियों/संस्थाओं को स्थल आवंटन संबंधी अनियमितता किये जाने संबंधी पत्र उन्हें दिया गया था ? यदि हां,तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मा० सदस्य द्वारा मा० मुख्य मंत्री जी को दिये गये एक अन्य पत्र दिनांक 28-10-98 के साथ प्रश्नगत पत्र संलग्नक के रूप में प्राप्त होने पर मामले की स्थिति से मा० मुख्य मंत्री जी को अवगत करा दिया गया है ।

जनपद रायबरेली तहसील महराजगंज ग्राम व पोस्ट बेडारू के रोड का डामरीकरण की मांग

56–श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि ग्राम व पोस्ट बेडारू तहसील महराजगंज, जिला रायबरेली से भवानीगढ़ चौराहा, पो० शिवगढ़, तह० महराजगंज, जिला रायबरेली के मध्य कुछ वर्षों पूर्व डामर रोड बनवाने के आदेश जारी हुये थे ? क्या उक्त सड़क का निर्माण करा दिया गया है ? विगत 20 वर्षों में अब तक कितनी बार उस पर मात्र पत्थर की गिट्टी डाली गयी है ? डामर रोड अब तक न बनवाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां,तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां । वर्ष 1982 में पत्थर की सोलिंग स्तर तक तथा वर्ष 91-92 में एक कि०मी० लेपन स्तर तक बनवाने के आदेश जारी हुये थे ।

स्वीकृत के अनुरूप निर्माण कार्य हो चुका है ।

मार्ग निर्माण के समय पत्थर की गिट्टी डाली गयी थी ।

कार्य स्वीकृत नहीं है ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद अम्बेडकर नगर तहसील अकबरपुर के मार्गों के शेष कार्यों को पूर्ण कराया जाना

57–श्री लाल जी वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर के अकबरपुर तहसील अन्तर्गत बिकवा जीतपुर महरूवा मार्ग का निर्माण कार्य राज्य सेक्टर में स्वीकृत किया जा चुका है ? यदि हां, तो सड़क का कितना भाग निर्मित हो चुका है ? शेष कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां, आंशिक रूप से ।

7 कि०मी० निर्मित हो चुका है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद बांदा में जनगणना के छटनीशुदा कर्मचारियों को जिलाधिकारी द्वारा समायोजित करने की जानकारी

58–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1991 की जनगणना पूर्ण होने के बाद जनपद बांदा में कितने कर्मी सेवा से पृथक कर दिये गये ? क्या छंटनी शुदा कर्मचारियों को समायोजित किये जाने संबंधी विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन अनुभाग से जारी शासन का पत्र सं० 1459/तीन–96-15(2)/91/सा० प्र० अ०, दि० 23-5-96 जो समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश को सम्बोधित है, जिलाधिकारी बांदा को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो जनपद बांदा में कुल कितने छंटनीशुदा कर्मियों को समायोजित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । जनपद बांदा में वर्ष 1991 की जनगणना हेतु जिलाधिकारी, बांदा द्वारा अस्थाई रूप से नियुक्त सात कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गईं ।

जी हां । प्रश्नगत शासनादेश द्वारा संबंधित जनपद में वर्ष 1991 की जनगणना के छंटनीशुदा कर्मचारियों के बारे में समायोजित तथा समायोजन हेतु अवशेष कर्मचारियों की संख्या मांगी गई थी ।

जनगणना से कार्यमुक्त हुए कर्मचारियों को तत्कालीन जिलाधिकारी, बांदा के आदेश संख्या–235/आशु० जी० सी०, दिनांक 25 जून, 1991 द्वारा कलेक्ट्रेट अधिष्ठान में उपलब्ध रिक्त पदों पर समायोजित किया गया था परन्तु उक्त समायोजन में भर्ती हेतु निर्धारित चयन प्रक्रिया नहीं अपनाये जाने के कारण इन समायोजनों को अनियमित होने के कारण तत्कालीन मंडलायुक्त, झांसी ने अपने आदेश संख्या–983/नौ-आर० ए०–141(90-91), दिनांक 6 जनवरी, 1992 द्वारा निरस्त करते हुए जिलाधिकारी, बांदा से यह अपेक्षा की गई कि सीधी भर्ती हेतु नियमों में प्राविधानित प्रक्रिया अपना कर पुनः नई नियुक्तियां की जाएं और ऐसी नियुक्तियों के समय जनगणना विभाग से कार्यमुक्त हुए कर्मचारियों को अधिकतम आयु सीमा में अनुमन्य छूट का लाभ देकर उनके मामलों पर भी सामान्य अभ्यर्थियों की भांति विचार किया जाए ।

उपर्युक्त कर्मचारियों में से श्री संतोष कुमार निगम ने रिट याचिका संख्या शून्य/1993 के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से दिनांक 9 अप्रैल, 1993 को अन्तरिम आदेश प्राप्त कर लिया जिसके अनुपालन में ये कार्यरत हैं जबकि शेष छंटनीशुदा कर्मचारियों की याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं ।

प्रश्नगत प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है ।

लोक निर्माण विभाग में शासन के आदेश पर आशुलिपिकों की एकल वरिष्ठता सूची उच्च वेतनमान की जांच

59–श्री संजय सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आशुलिपिकों के एकल संवर्ग ज्येष्ठता सूची बनाने के आदेश शासन द्वारा दिनांक 5-12-97 तथा 6-1-98 को दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या विभाग के आशुलिपिकों की एकल संवर्ग ज्येष्ठता सूची निर्गत कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या विभागीय अधिकारियों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर अपात्र आशुलिपिकों का उच्च वेतनमान स्वीकृत कर दिये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार शासन स्तर पर इसकी जांच करा कर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां । जी हां, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा आशुलिपिकों की एकल संवर्ग ज्येष्ठता सूची दिनांक 12-3-97 को जारी की गई थी जिसे उनके द्वारा दिनांक 28-8-98 को निरस्त कर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मामले की छानबीन की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

60–श्री लाखीराम जोशी–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

राजकीय महाविद्यालय व क्षेत्रीय उप शिक्षा कार्यालयों का आशुलिपिकों को उच्च वेतनमान का मामला

61–श्री सर्वेश कुमार–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महाविद्यालय व क्षेत्रीय उप शिक्षा कार्यालयों के आशुलिपिकों का वेतनमान 1200-2040 के स्थान पर रु० 1350-2200 का वेतनमान शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा वर्ष 1995 में शासन को भेजा गया था जो शासन स्तर पर लम्बित है ? यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं, यह प्रस्ताव निस्तारित हो चुका है । राजकीय महाविद्यालयों तथा अन्य कार्यालयों से सम्बद्ध आशुलिपिकों को रु० 1350-2200 का पुनरीक्षित वेतनमान शासनादेश दिनांक 16-11-98 द्वारा प्रदान कर दिया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद हरिद्वार वन ब्लाक पथरी में गूजर परिवारों को भूमि उपलब्ध कराया जाना

62–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि राजाजी नेशनल पार्क के विस्थापित गूजर परिवारों को पथरी जनपद हरिद्वार में बसाया गया है ? यदि हां, तो उन्हें मवेशियों के लिये चारा उगाने हेतु प्रति परिवार 2 एकड़ भूमि देने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

राजाजी पार्क में निवास कर रहे गूजर परिवारों का पथरी एवं गैड़ीखत्ता वन ब्लाकों में बसाया जाना है ।

जी हां ।

उक्त प्रयोजन हेतु वांछित 1043 हे० वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की गयी है कि दुगुने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा की जायेगी । भारत सरकार की अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही गूजर परिवारों को 2 एकड़ भूमि देने की कार्यवाही सम्भव है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

63–श्री लाखीराम जोशी–

[2रे शुक्रवार में अता० प्र० सं० 178 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

टिहरी गढ़वाल ब्रह्मपुरी स्थित श्री महन्त ईश्वरदास में साधुओं की कुटिया हेतु लीज भूमि के नवीनीकरण का शिकायती-पत्र

64–श्री लाखीराम जोशी–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 30-10-98 का पत्र ब्रह्मपुरी, टिहरी गढ़वाल स्थित श्री महन्त ईश्वरदास की लीज संख्या 58 (साधुओं की कुटियों का) का नवीनीकरण से संबंधित था, पर क्या कार्यवाही की गयी ? पत्र में किये गये अनुरोध के अनुसार क्या लीज का नवीनीकरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अधीन लीज नवीनीकरण की अनुमति के लिये प्रस्ताव दिनांक 4-2-99 को भारत सरकार को भेजा गया है । भारत सरकार से अनुमति प्राप्त होने पर लीज नवीनीकरण की कार्यवाही की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद सिद्धार्थनगर बुद्ध विद्यापीठ डिग्री कालेज नौगढ़ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वेतन भुगतान

65–श्री अफजाल अहमद–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री धनराज प्रसाद एवं गंगा राम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बुद्ध विद्यापीठ डिग्री कालेज, नौगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर का वेतन बिल भुगतान करने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, सिद्धार्थनगर के पत्रांक 1907-8/98-99, दिनांक 9-7-98 द्वारा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, सप्तम मण्डल, गोरखपुर को लिखा गया था ? यदि हां, तो वेतन भुगतान करने में इतना विलम्ब क्यों किया जा रहा है ? क्या मंत्री जी उक्त कर्मचारियों के वेतन का शीघ्र भुगतान करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

नियुक्ति अवैध है इसलिये वेतन भुगतान का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली उ० प्र० राज्य सेतु निगम द्वारा कुओं की गलाई एवं सामान आपूर्ति हेतु समाचार-पत्रों द्वारा मांगे गये टेण्डर का विवरण

66–श्री छोटे लाल गंगवार मास्टर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की बरेली इकाई ने सेतु निर्माण में कुओं की गलाई एवं रेता व गिट्टी की आपूर्ति हेतु वर्ष 1997-98 में टेण्डर मांगे थे ? यदि हां, तो कब और किस-किस समाचार-पत्रों के माध्यम से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

वर्ष 1997-98 में रेता व गिट्टी की आपूर्ति हेतु टेण्डर मांगे गये थे । कुंओं की गलाई का कार्य न्यूनतम कोटेशन के आधार पर कराया गया था ।

रेता व गिट्टी के लिये निम्नलिखित समाचार-पत्रों द्वारा टेण्डर मांगे गये थे :–

1–दैनिक जागरण, बरेली 27-10-97

2–अमर उजाला, बरेली 5-11-97

3–आज समाचार पत्र, बरेली 28-10-97

प्रश्न नहीं उठता ।

67–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

[दि० 10-2-99 को अता० प्र० सं०–126 द्वारा उत्तरित]

शिक्षा विभाग द्वारा कला/साहित्य के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता की जानकारी

68–श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशेष सचिव, शिक्षा अनुभाग–13 के पत्र संख्या–1664/15(13)/96–5(55)/90. दिनांक 8 फरवरी, 1996 द्वारा धनाभाव से ग्रस्त, कला/साहित्य आदि के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दिये जाने के आदेश जारी किये गये थे ? यदि हां, तो उक्त पत्र में उल्लिखित प्रतिष्ठित व्यक्तियों को वर्ष 1996-97 से आर्थिक सहायता न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इस संबंध में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

वर्ष 1996-97 हेतु भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण स्वीकृति नहीं दी जा सकी । वर्ष 1997-98 हेतु स्वीकृति निर्गत कर दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी की प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु आहरित धनराशि से कार्य पूर्ण न करने में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

69–श्री बाबूराम यादव–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1996-97 एवं वर्ष 1997-98 में मैनपुरी जनपद में किन-किन प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल के भवन निर्माण हेतु धन आवंटित किया गया ? इनमें से कितने भवन अब तक पूर्ण निर्मित हो चुके हैं और कौन-कौन अभी अपूर्ण हैं ? अपूर्ण होने के क्या

कारण हैं ? जिन भवन निर्माणकर्ताओं ने पूरा धन लेकर अभी तक निर्माण कार्य नहीं किये हैं क्या उनके विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वर्ष 1997-98 में अनुदान सूची में सम्मिलित जूनियर हाई स्कूलों/विद्यालयों की सूची प्रकाशित करने की मांग

70–श्री राजधारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997-98 में 250 जूनियर हाई स्कूलों को अनुदानित किये जाने की घोषणा सरकार ने की थी ? यदि हां, तो उसकी प्रगति क्या है ? अनुदान सूची में सम्मिलित विद्यालयों की सूची कब तक प्रकाशित हो जायेगी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां । 250 जूनियर हाई स्कूलों को अनुदानित करना प्रस्तावित था ।

प्रदेश के वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए राजाज्ञा संख्या 3813/15-6-98–7(5)/98 टी० सी० दिनांक 16 दिसम्बर, 1998 द्वारा 220 अशासकीय स्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों की अनुदान सूची प्रकाशित की जा चुकी है ।

हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय में विज्ञापित पदों पर चयन की कार्यवाही आरक्षण/रोस्टर करने का मामला

71–श्री धर्मराज निषाद–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय के विज्ञापन संख्या–18, 19, 20/97 एवं 21/98 द्वारा कुल कितने शिक्षकों के पद विज्ञापित किये गये थे ? क्या विज्ञापित सभी पदों पर चयन की कार्यवाही आरक्षण रोस्टर के अनुसार की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त चयन को निरस्त कर रोस्टर के अनुसार चयन की कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन संख्या–18, 19, 20/97 एवं 21/98 द्वारा आचार्य के 17 पदों, उपाचार्य के 20 पदों एवं प्रवक्ता के 46 पदों को विज्ञापित किया गया था ।

उपाचार्य एवं प्रवक्ता पदों को रोस्टर के अनुसार विज्ञापित किया गया है । दोनों संवर्गों में आरक्षण नीति का पूर्णतः पालन किया गया है । आचार्य पद पर मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय के अनुसार रोस्टर लागू नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सभी पदों पर नियमानुसार चयन की कार्यवाही की जा रही है ।

हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय गढ़वाल के प्रवक्ता के पद पर अनियमित नियुक्ति की जांच

72–श्री धर्मराज निषाद–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय गढ़वाल के प्रवक्ता भूगोल से उपाचार्य भूगोल के पद पर की गयी अनियमित नियुक्ति को अप्रैल/मई, 1997 में मा० उच्च

न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त प्रवक्ता को उपाचार्य पद पर बनाये रखने का क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त नियुक्ति निरस्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय गढ़वाल में उपाचार्य के पद पर दिनांक 27-7-98 को डा० एस० सी० सिंह की नियुक्ति की गयी थी जिसे कुलाधिपति महोदय द्वारा निरस्त कर दी गई थी, डा० सिंह द्वारा उक्त निरस्तीकरण आदेश के विपरीत मा० उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया था, फलस्वरूप वे उपाचार्य भूगोल के पद पर वर्ष 1992 तक कार्यरत रहे । वर्ष 1997 में उक्त स्थगन आदेश को मा० उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त होने सम्बन्धी सूचना विश्वविद्यालय के पास नहीं है । वर्ष 1998 में उपाचार्य भूगोल के उक्त रिक्त पद पर विधिवत् चयनोपरान्त अन्य अध्यापक को नियुक्त कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कालेज डेवलपमेन्ट कौंसिल नामक संस्था को समाप्त कर निदेशक पद को भी समाप्त करने की मांग

73–श्री धर्मराज निषाद–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों एवं दशा सुधारने हेतु कालेज डेवलपमेन्ट कौंसिल नाम की संस्था का गठन किया गया है ? क्या इस संस्था का गठन गढ़वाल विश्वविद्यालयों में किया गया था ? यदि हां, तो इस संस्था का कार्यकाल कितने वर्षों का था एवं वर्ष 1992 से अब तक कितनी बैठकें हुई हैं ? क्या यह सही है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अब उक्त संस्था को समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो निदेशक पद पर गढ़वाल विश्वविद्यालय में अभी तक नियुक्ति जारी रखने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त नियुक्ति समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

जी हां ।

इस संस्था का कार्यकाल निर्धारित नहीं है एवं 1992 से कालेज डेवलपमेन्ट कौंसिल की बैठकें समय-समय पर होती रही हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की मांग

74–श्री धर्मराज निषाद–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच हेतु वर्तमान उत्तरांचल विकास मंत्री की अध्यक्षता में

एक जांच समिति का गठन वर्ष 1998 में किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त जांच समिति की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर डा० गनेश कृष्ण जेटली इण्टर कालेज अकबरपुर के शिक्षकों के वर्ष 1996 से 1998 तक के अवशेष मानदेय के भुगतान की मांग

75–श्री अजय कुमार पोइया तथा श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० गनेश कृष्ण जेटली इण्टर कालेज अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर के मुख्यालय पर स्थित विद्यालय में व्यवसायिक शिक्षा किस वर्ष की गयी ? क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में कार्यरत व्यवसायिक शिक्षकों को वर्ष 1996-97 व 1997-98 का मानदेय अब तक विभाग द्वारा निर्गत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त शिक्षकों को अवशेष मानदेय कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

वर्ष 1989-90 से ।

वर्ष 1996-97 में मानदेय की मद में स्वीकृत रु० 85,500/–की धनराशि से वर्ष 1996-97 व वर्ष 1997-98 में माह सितम्बर, 1998 तक मानदेय का भुगतान किया जा चुका है ।

अवशेष मानदेय का भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा ।

जनपद अम्बेडकर नगर के नवज्योति जूनियर हाई स्कूल हजपुरा के प्रधानाचार्य के बी० एड० की डिग्री की जांच

76–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवज्योति जू० हा० स्कूल हजपुरा, जनपद अम्बेडकर नगर में कार्यरत प्रधानाचार्य द्वारा वर्ष 1977 में एम० ए० की योग्यता दिखा कर प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति प्राप्त की है और 1-7-77 को उक्त विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर अपनी योग्यता एम० ए०, बी० एड० दिखायी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि संबंधित व्यक्ति द्वारा कब तथा किस महाविद्यालय से बी० एड० की परीक्षा पास की है ? क्या यह सही है कि सम्बन्धित प्रधानाचार्य 1-7-77 को बी० एड० की डिग्री प्राप्त कर चुका था यदि नहीं, तो उसके द्वारा की गयी जालसाजी के आधार पर इसकी जांच कराकर अपराध दर्ज करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत प्रधानाचार्य ने 1-7-77 को अपनी योग्यता एम० ए० ही दिखाई थी। उनके द्वारा 1980 में बी० एड० का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। इस प्रकार स्थाई मान्यता के पूर्व बी० एड० की डिग्री प्राप्त कर ली गई थी। अतः उनके द्वारा कोई जालसाजी नहीं की गयी।

श्री मूल चन्द्र द्विवेदी सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय उतरौला, जनपद गोण्डा की मृत्युपरान्त समस्त देयकों का भुगतान

77–श्री शेर बहादुर सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि स्व० श्री मूल चन्द्र द्विवेदी सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय उतरौला, विकास खण्ड परसपुर, जनपद गोण्डा की मृत्यु दिनांक 22-8-95 को उनके सेवाकाल में हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या उनकी पत्नी को श्री द्विवेदी के समस्त देयकों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां।

जी हां।

1–भविष्य निर्वाह निधि की धनराशि रु० 89693.00 चेक संख्या–05/31861 दिनांक 4-11-97 द्वारा भुगतान स्व० श्री द्विवेदी की पत्नी को किया जा चुका है।

2–पेंशन अवशेष रु० 78,011.00 चेक संख्या–22/37998 दिनांक 1-2-99 द्वारा भुगतान किया जा चुका है तथा दिनांक 1-1-1999 से नियमित पेंशन का भुगतान प्रारम्भ हो गया है।

3–जीवन बीमा की धनराशि रुपया 29347.00 का भुगतान चेक संख्या 21/37998 दिनांक 1-2-1999 द्वारा किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

इन्दिरा भवन लखनऊ के प्रत्येक तलों पर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराना

78–श्री राम पाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इन्दिरा भवन लखनऊ के प्रत्येक तलों पर पेयजल के लिये नल या कूलर किस-किस स्थानों पर लगे हुये हैं ? कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था का प्राविधान बिल्डिंग के निर्माण करते समय क्यों नहीं की गयी थी ? छठी मंजिल पर पेयजल की क्या व्यवस्था है ? क्या कर्मचारियों को लेटरिन में लगे हुये नल से पानी पीने के लिये विवश होना पड़ रहा है ? यदि हां तो सरकार कब तक प्रत्येक तलों पर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

इन्दिरा भवन में प्रत्येक तलों पर पेयजल के लिये स्थापित नल/वाटर कूलर का स्थान व विवरण संलग्नक "क" पर दिया गया है।

कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये पेयजल की व्यवस्था विद्यमान है जो भवन के निर्माण के समय से ही है।

छठी मंजिल पर पेयजल के लिये दो वाटर कूलर तथा दो नल लगे हुये हैं।

जी नहीं।

प्रत्येक तल पर स्वच्छ पेयजल हेतु वाटर कूलर व नल विद्यमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 129 पर।)

इन्दिरा भवन लखनऊ की लिफ्टों की संचालन की व्यवस्था

79–श्री राम पाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इन्दिरा भवन लखनऊ की लिफ्ट संख्या 5, 6, 7 व 8 को किस तल से किस तल के मध्य संचालित किस अधिकारी की संस्तुति या आदेश पर किस कारण किया जा रहा है ? क्या सर्विस ट्रिब्युनल ने लिफ्ट संख्या–5, 6, 7 व 8 के संचालन को बन्द रखने का आदेश/यांत्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग लखनऊ को दिया गया है ? ट्रिब्युनल का आदेश संविधान की किस धारा या सी० पी० सी० की किस धारा के अन्तर्गत मान्य है ? सरकार सुरक्षा की दृष्टि से प्रश्नगत लिफ्टों के संचालन की क्या व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

इन्दिरा भवन की लिफ्ट संख्या–5, 6, 7 व 8 भवन के समस्त तलों पर (1 से 10वें तल तक) कार्य अधीक्षक, अस्थाई विभागीय निर्माण इकाई, अनुरक्षण (विद्युत) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के आदेशानुसार संचालित की जा रही है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इन्दिरा भवन की सभी लिफ्टें चालू हालत में हैं। जिसके फलस्वरूप अधिकारियों/कर्मचारियों को आने-जाने में कोई असुविधा नहीं है।

इन्दिरा भवन के प्रथम/द्वितीय तलों पर राज्य सम्पत्ति विभाग के व्यवस्था अधिकारी द्वारा गैलरियों में ताला लगवाने की व्यवस्था

80–श्री राम पाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग ने इन्दिरा भवन के प्रथम व द्वितीय तलों पर उ० प्र० राज्य लोक सेवा अधिकरण/न्यायाधिकरण के लिये कक्षों के अतिरिक्त गैलरी का आवंटन किस नियम शासनादेश गैलरियों में ताला ट्रिब्युनल के द्वारा किस आवंटन आदेश के अनुसार लगाया जाता है ? क्या सरकार प्रश्नगत दोनों तलों की गैलरियों में ट्रिब्युनल का ताला न लगवा कर व्यवस्था अधिकारी इन्दिरा भवन का ताला लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या ट्रिब्युनल को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किया जाने का मामला शासन के विचाराधीन है ?

श्री कल्याण सिंह–

इन्दिरा भवन के प्रथम व द्वितीय तलों पर उ० प्र० राज्य लोक सेवा न्यायाधिकरण के लिये राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा कक्षों का आवंटन किया गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रारम्भ से ही प्रश्नगत दोनों तलों की गैलरियों के चैनल गेट पर ताला बन्द करने व खोलने का कार्य स्वयं न्यायाधिकरण के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

जी नहीं। इन्दिरा भवन में राज्य सम्पत्ति विभाग के कर्मचारियों की कमी के कारण प्रश्नगत भवन में व्यवस्थित सभी कार्यालयों द्वारा सम्बन्धित तलों के चैनल गेट पर ताला बन्द करने व खोलने का कार्य उनके कर्मचारियों द्वारा स्वयं किया जाता है।

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

81–श्री राजधारी–

[दि० 10-2-99 को अता० प्र० सं०–128 द्वारा उत्तरित ।]

82–श्री मोहन सिंह रावत "गांववासी"–

[3रे मंगलवार के लिए स्थगित ।]

जनपद बहराइच के राजकीय बालिका इण्टर कालेज के शिक्षकों के वेतन का भुगतान दशहरे से पूर्व किये जाने के आदेश

83–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या माध्यमिक शिक्षा-मंत्री को जानकारी है कि शासन ने सितम्बर, 98 पेड इन अक्टूबर, 98 का वेतन राजकीय शिक्षकों को दशहरे के पूर्व नकद भुगतान का आदेश दिया था ? यदि हां, तो राजकीय बालिका इण्टर कालेज, बहराइच में उक्त वेतन का भुगतान किस तिथि में और किस प्रकार किया गया ? क्या प्रधानाचार्य के विरुद्ध शासन के आदेश का उल्लंघन कर पर्व के पूर्व वेतन न देने के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं । मात्र दशहरे से पूर्व वेतन भुगतान किये जाने के आदेश दिए गये थे । प्रश्नगत राजकीय बालिका विद्यालय के शिक्षकों को दिनांक 28-9-1998 को उनके खातों के माध्यम से भुगतान किया गया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के राजकीय शिक्षकों को राज्य कर्मियों के समान समस्त सुविधायें प्रदान कराना

84–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के राजकीय शिक्षकों को समयमान वेतनमान देने के संबंध में क्या कोई निर्णय लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या राजकीय शिक्षक राज्य कर्मी हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें राज्य कर्मियों की सारी सुविधायें प्राप्त हैं ? यदि नहीं, तो वे सुविधायें कौन सी हैं जो उन्हें प्राप्त नहीं हैं ? क्या शासन राजकीय शिक्षकों को राज्य कर्मियों की भांति समस्त सुविधायें प्रदान करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

अन्य राज्य कर्मी एवं शिक्षक राज्य कर्मियों की सुविधायें पृथक-पृथक हैं । अन्य राज्य कर्मियों की जो सुविधाएं शिक्षक राज्य कर्मियों को नहीं हैं वह निम्नवत् हैं :–

1–वर्ष में 31 दिन का अर्जित अवकाश ।

2–राज्य कर्मियों को पूरे सेवाकाल में चार एल० टी० सी० मिलता है जबकि शिक्षकों को पूरे सेवाकाल में दो बार से अधिक का एल० टी० सी० नहीं मिलता है ।

विभिन्न प्रत्यावेदन विचाराधीन हैं ।

जनपद बहराइच के राजकीय इण्टर कालेज में प्रवक्ता पदों का सृजन

85–डा० वकार अहमद शाह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय इण्टर कालेज, बहराइच में प्रवक्ता भौतिक विज्ञान व रसायन विज्ञान के एक-एक अतिरिक्त पदों के सृजन हेतु कोई प्रस्ताव शिक्षा निदेशक (मा०) उ० प्र० इलाहाबाद ने अगस्त, 98 में शासन को भेजा है ? क्या जिला अधिकारी, बहराइच ने भी इसी संबंध में शासन को लिखा है ? यदि हां, तो क्या विद्यालय में उक्त प्रवक्ता पदों का सृजन कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

जनपद बहराइच हेतु जिला योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध न होने के कारण पदों का सृजन संभव नहीं हो सका ।

सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त संघों/परिसंघों के अध्यक्ष/जिला मंत्री को विशेष अवकाश का प्राविधान करने की मांग

86–डा० वकार अहमद शाह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों/परिसंघों आदि के जिला अध्यक्ष एवं जिला मंत्री को संघ कार्य के निमित्त विशेष आकस्मिक अवकाश का कोई प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो एक कलेण्डर वर्ष में इस अवकाश की संख्या क्या है ? क्या शासन जिला अध्यक्ष एवं जिला मंत्री के लिये भी इस अवकाश का प्राविधान करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

सम्यक् विचारोपरान्त, कार्यहित में उक्त का औचित्य नहीं पाया गया है ।

तारा बालिका इण्टर कालेज बहराइच की शिक्षिकाओं के चयन वेतनमान प्रकरण का निस्तारण

87–डा० वकार अहमद शाह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि तारा बालिका इण्टर कालेज, बहराइच की कुछ शिक्षिकाओं के चयन वेतनमान प्रकरण जिला विद्यालय निरीक्षक, बहराइच कार्यालय में लम्बित हैं ? यदि हां, तो किन शिक्षिकाओं के प्रकरण किस तिथि से लम्बित हैं ? इनके निस्तारण में क्या कठिनाइयां हैं ? क्या शासन इन समस्त प्रकरणों को तत्काल निस्तारित करायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

मात्र एक शिक्षिका का प्रकरण दिनांक 5-8-98 से लम्बित था जिसका वेतन निर्धारण दिनांक 7-1-99 को कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ, बन्दरिया बाग स्थित सचिवालय कालोनी की भूमि को अराजक तत्वों से मुक्त कराने की मांग

88–चौ० रवीन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि राज्य सम्पत्ति विभाग की बन्दरिया बाग लखनऊ स्थित सचिवालय कालोनी की भूमि को अराजक तत्वों द्वारा अनाधिकृत कब्जा करके अवैध निर्माण कराया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त सचिवालय कालोनी की जमीन से अनाधिकृत कब्जा हटवाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां। इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुयी थीं, जिसकी जांच हेतु निदेशक राज्य सम्पत्ति को लिखा जा चुका है।

निदेशक, राज्य सम्पत्ति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर समुचित कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० में सहायक स्थानिक अभियन्ताओं के रिक्त पदों को विभागीय प्रोन्नति से भरने की मांग

89–श्री बनवारी लाल दोहरे–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० में सहायक स्थानिक अभियन्ता/स्थानिक अभियन्ता के क्रमशः कितने-कितने पद शासन द्वारा सृजित हैं ? वर्तमान समय में कितने पद कितने समय से रिक्त चल रहे हैं ? निगम की कार्यकारी मैनुअल के अनुसार इनके कार्य एवं उत्तरदायित्व क्रमशः क्या-क्या हैं ? क्या उपरोक्त रिक्त पदों को विभागीय प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कलराज मिश्र–

उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० में सहायक स्थानिक अभियन्ता एवं स्थानिक अभियन्ता के क्रमशः 195 एवं 124 पद शासन द्वारा स्वीकृत हैं।

सहायक स्थानिक अभियन्ता के वर्ष 3/95, 3/96, 3/97 एवं 3/98 को क्रमशः 45, 46, 42 एवं 35 पद रिक्त थे। वर्तमान में सहायक स्थानिक अभियन्ता के 35 पद रिक्त हैं।

स्थानिक अभियन्ता के वर्ष 3/95, 3/96, 3/97 एवं 3/98 को क्रमशः 09, 14,20 एवं 34 पद रिक्त थे। वर्तमान में स्थानिक अभियन्ता के 36 पद रिक्त हैं।

निगम के कार्यकारी मैनुअल के अनुसार इनके मुख्य दायित्व, अभिकल्पना के अनुसार निर्माण अपेक्षित गुणवत्ता के अनुसार कराना, कार्य के दौरान कार्यस्थल पर उपस्थित रहना, निर्माण सामग्री की आवश्यकताओं के बारे में पूर्व सूचना देना, कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण सामग्रियों, उपस्कर एवं संयंत्रों से संबंधित आवश्यकताओं का अध्ययन करना तथा इकाई प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत करना, मापन की शुद्धता

सुनिश्चित करना, इकाई प्रभारी की सहायता करना, इकाई प्रभारी के मार्गदर्शन में प्रारम्भिक एवं विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने में सहायता करना, क्रय समिति के आदेश के क्रय बाजार जांच सम्पादित करना, सामग्री उपयोग विवरण तैयार करना आदि है ।

नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है ।

जनपद बरेली विकास खण्ड नवाबगंज के उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण

90–मास्टर छोटे लाल गंगवार –

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के विकास खण्ड नवाबगंज के ग्राम लभेड़ा उर्फ बुलन्द नगर में उच्च प्राथमिक विद्यालय (जू० हा० स्कूल) कब से चल रहा है ? क्या विद्यालय भवन का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार कब तक विद्यालय भवन का निर्माण करायेगी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

कोई परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उक्त ग्राम में संचालित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उच्च प्राथमिक विद्यालय भौआ बाजार वि० खण्ड भदपुरा जनपद बरेली के अपूर्ण भवन को पूर्ण किये जाने की मांग

91–मास्टर छोटे लाल गंगवार–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के चौथे मंगलवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं० 22 के उत्तर के संदर्भ में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय दिनांक 16-9-97 के परिपेक्ष्य में भौआ बाजार व वरसिया में से उक्त दोनों स्थानों का निरीक्षण कराकर उपयुक्त स्थान पर भवन निर्माण कराये जाने का निर्देश दिया था ? यदि हां, तो ग्राम्य वरसिया में भवन निर्माण कराये जाने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार भवन निर्माण हेतु ग्राम वरसिया व भौआ बाजार में से किसी एक का चयन करने हेतु निर्देश दिया गया था । निरीक्षण कराये जाने के उपरान्त अपर जिलाधिकारी (परियोजना) के आदेश दिनांक 13-1-98 के अनुपालन में ग्राम वरसिया में भवन बनाया गया । प्रश्न नहीं उठता ।

मा० उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की गयी है ।

ग्राम खाता विकास खण्ड भदपुरा के अर्द्ध निर्मित प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण का प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

92–मास्टर छोटे लाल गंगवार –

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-1-98 जो ग्राम खाता विकास खण्ड भदपुरा के अर्द्ध निर्मित प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण को पूरा कराकर शिक्षण कार्य

प्रारम्भ करने के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या विद्यालय भवन का निर्माण पूरा करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत ग्राम में प्राथमिक विद्यालय संचालित नहीं है, अतः भवन पूरा करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

93–श्री अजय कुमार पोइया–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगांव खण्डाह, पौड़ी गढ़वाल के भवन निर्माण हेतु शासनादेश के अनुसार धनराशि देने की जानकारी

94–श्री मोहन सिंह रावत ''गांववासी''–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चंडीगांव खण्डाह, पौड़ी गढ़वाल को शासनादेश संख्या–188/15 (13)/94–1499(14)/92 दिनांक 23-3-94 द्वारा अट्ठाइस लाख साठ हजार रुपये स्वीकृत हुये थे ? क्या उक्त धनराशि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चंडीगांव खण्डाह, पौड़ी गढ़वाल के भवन निर्माण हेतु दे दी गयी है ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी हां । शासन द्वारा दि० 22-3-94 को धनराशि स्वीकृत कर दी गयी थी, लेकिन कार्यदायी इकाई के स्तर तक आवंटन आदेश विलम्ब से पहुंचने के कारण व्यपगत हो गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

95–श्री मोहन सिंह रावत ''गांववासी''–

[दिनांक 12-2-99 को अता० प्र० सं०–167 द्वारा उत्तरित ।]

96–श्री अक्षयवर लाल–

[दि० 10-2-99 को अता० प्र० सं०–129 द्वारा उत्तरित ।]

जनपद अम्बेडकर नगर की नगर पालिका द्वारा लुम्बनी दुधिया मार्ग के अतिक्रमण हटाने की जानकारी

97–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर पूर्व जनपद फैजाबाद की नगर पालिका अकबरपुर के लुम्बनी दुधिया मार्ग के अतिक्रमण को हटाने के संबंध में लोक निर्माण विभाग द्वारा नोटिस संख्या–530/इ० एच० सी०–1 दिनांक 30-1-93 दी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त के संबंध में क्या लोक निर्माण विभाग द्वारा अतिक्रमण हटवाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत मार्ग के एक गुमटी के अतिक्रमण को हटाने के संबंध में लो०नि० वि० द्वारा नोटिस सं०–530/ई०एच०सी०–1 दिनांक 30-9-93 को दी गई थी ।

जी नहीं ।

भू-अभिलेखों के देखने के उपरान्त यह पाया गया कि तथाकथित गुमटी लो० नि० वि० की स्थाई भूमि पर नहीं है ।

ग्राम पैगा विकास खण्ड नवाबगंज के प्राथमिक विद्यालय के यूकिलिप्टस पेड़ की नीलामी की धनराशि जमा कराने का शिकायती पत्र

98–मास्टर छोटे लाल गंगवार–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 9-1-98 द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली को अवगत कराया है कि ग्राम पैगा विकास खण्ड नवाबगंज के प्राथमिक विद्यालय गाटा सं०–332 व 333 में खड़े यूकिलिप्टस के पेड़ मु०–71,000.00 में ग्राम प्रधान ने नीलाम किये हैं । क्या उक्त धनराशि में से केवल 38,000 रुपये विद्यालय के रख-रखाव खाता में जमा किये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि में से शेष रुपये 33,000.00 भी ग्राम प्रधान द्वारा विद्यालय के रख-रखाव खाते में जमा करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

विद्यालय के खाता संख्या–1528 में रु० 38,000.00 जमा किये गये हैं ।

जी नहीं, क्योंकि प्रश्नगत वृक्ष केवल रु० 38,000/- में नीलाम हुये थे ।

99–श्री राजधारी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

जनपद हरदोई विद्या देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की मान्यता समाप्त करने की मांग

100–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि हरदोई जनपद में मोहल्ला सराय थोक पश्चिमी के भवन संख्या–342/2 में संचालित विद्या देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मान्यता की शर्तों के अनुसार विद्यालय में प्रयोगशाला, खेल का मैदान न होने तथा इसी भवन में 17 लोगों के निवास करने पर भी विद्यालय को अवैध रूप से मान्यता दी गयी है ? यदि हां, तो क्या विद्यालय की मान्यता समाप्त करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

विद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों तथा जिला विद्यालय निरीक्षक हरदोई द्वारा दी गयी आख्या के आधार पर माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता दी गयी है । स्थलीय जांच में विद्यालय द्वारा तथ्य गोपन करने तथा निरीक्षक द्वारा गलत आख्या देने की बात प्रकाश में आयी है ।

प्रकरण पर पूर्ण परीक्षणोपरान्त कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश की (सम्मिलित) राज्य/प्रवर अधीनस्थ परीक्षाओं में आयु सीमा वृद्धि हेतु विचार

101–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार प्रदेश की सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ परीक्षाओं में आयु सीमा में वृद्धि करने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ? यदि हां,तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इसका कोई औचित्य नहीं है ।

पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के पोस्ट ग्रेजुएड डिप्लोमा इन नर्सरी एजूकेशन कोर्स की मान्यता बी० एड० स्तर की करने की जानकारी

102–श्री राजधारी–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के अन्तर्गत पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन नर्सरी एजूकेशन कोर्स की पढ़ाई चल रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त डिप्लोमा की मान्यता सरकार द्वारा बी० एड० स्तर की दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

पिछले सत्र की पढ़ाई चल रही है परन्तु सत्र 1998-99 से यह पाठ्यक्रम समाप्त कर दिया गया है ।

जी नहीं ।

सरकार द्वारा इस प्रकार की मान्यता दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है एवं अब इसकी आवश्यकता भी नहीं है ।

मण्डलीय लेखा संगठन फैजाबाद एवं देवी पाटन के माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के फण्ड/पेंशन प्रकरणों का विद्यालय तिथिवार विवरण की जानकारी

103–डा० वकार अहमद शाह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि संयुक्त शिक्षा निदेशक, फैजाबाद के मण्डलीय लेखा संगठन फैजाबाद एवं देवीपाटन मण्डलों के माध्यमिक (बालक/बालिका) विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के जी० पी० एफ० एवं पेंशन संबंधी जून, 1997 से अब तक संदर्भित किये गये प्रकरणों का विद्यालयवार एवं तिथिवार विवरण क्या है ? शासन द्वारा इन प्रकरणों को कितने समय में निस्तारित करने के निर्देश हैं ? इन प्रकरणों को किन-किन तिथियों में निस्तारित किया गया ? इनमें किनके-किनके प्रकरण कितने विलम्ब से निस्तारित किये गये ? इस विलम्ब के लिये कौन उत्तरदायी हैं ?

डा० नैपाल सिंह–

विद्यालयवार एवं तिथिवार विवरण सूची में उल्लिखित है जो मा० शिक्षा मंत्री जी के कार्यालय में उपलब्ध है । शासन द्वारा इन प्रकरणों को प्राप्ति के उपरान्त वरीयता के आधार पर निस्तारित किये जाने के निर्देश हैं ।

तिथिवार विवरण उक्त सूची में उपलब्ध है ।

उक्त सूची में उल्लिखित शिक्षकों एवं कर्मचारियों के जी० पी० एफ० एवं पेंशन के प्रकरणों को मंडलीय लेखा संगठन के सम्यक् परीक्षणोपरान्त प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया गया है ।

जी० पी० एफ० एवं पेंशन प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के सम्बन्ध में किसी स्तर पर कोई विलम्ब नहीं किया जाता ।

इलाहाबाद के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र के शिक्षार्थियों को पाठ्य-पुस्तक वितरित न करने की जानकारी

104–श्री रामपाल वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद के अधीन औपचारिक शिक्षा प्रकोष्ठ ने वर्ष 1991-92 में कितना शैक्षिक कार्य किया तथा कितना निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रम था ? किन परिस्थितियों में निर्धारित कार्यक्रम/मापदण्ड के अनुरूप कार्य नहीं किया गया ? प्रकोष्ठ द्वारा संशोधित एवं निर्मित पाठ्य पुस्तक अब तक प्रकाशित करवाकर औपचारिक शिक्षा केन्द्र के शिक्षार्थियों को वितरित न किये जाने का क्या कारण है ? प्रकाशन एवं वितरण न होने के कारण शिक्षार्थियों को हुई क्षति के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद के अधीन कोई औपचारिक शिक्षा प्रकोष्ठ नही है ।

शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद मऊ में बख्तावर घाटपुल के बोल्डर पीचिंग हेतु लिए गये बोल्डर न लगाने से सड़क में हुए कटाव की स्थिति

105–श्री समर पाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद में सहरोज बख्तावर घाट हकीकतपुर मार्ग के निर्माण में बख्तावर घाटपुल के अप्रोच में बोल्डर पीचिंग हेतु कुल कितना बोल्डर बख्तावर गांव की तरफ के लिये लिया गया था ? लिये गये बोल्डर में से कितने घन मी० बोल्डर की पीचिंग करायी गयी तथा कितना घन मी० बोल्डर पटरियों पर पड़ा हुआ है ? क्या रखा हुआ बोल्डर अधिक लिया गया है ? यदि नहीं, तो बोल्डर न लगाये जाने से सड़क के हुये कटाव के लिये जिम्मेदार अभियन्ताओं के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

2267.10 घन मी० ।

1188.00 घन मी० ।

शेष में से 597.36 घन मी० बोल्डर पटरियों पर पड़ा हुआ है ।

जी नहीं ।

सड़क पर कोई कटाव नहीं है ।

अतः इस हेतु किसी के विरुद्ध कार्यवाही का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ।

कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्राणी उद्यान लखनऊ में वर्ष 1996 से 1998 में बिना औपचारिकताएं पूर्ण बेचे गये स्क्रैप की जानकारी

106–श्री सुखवीर सिंह पुण्डीर–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राणी उद्यान, लखनऊ में वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 में कितना स्क्रैप जैसे लोहा, अल्युमीनियम, टिन जस्ता आदि बेचा गया है ? क्या वह स्टाक बुक में दर्ज था ? यदि हां, तो क्या इसके बेचे जाने में शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाई गई थी ? यदि औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की गयी थी तो क्यों ? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

लखनऊ प्राणी उद्यान में वर्ष 1996-97 में कोई स्क्रेप विक्रय नहीं किया गया । वर्ष 1997-98 में पुराना स्क्रेप (लोहा जाली 41.65 कुण्टल, पुराना लोहा 121.58 कुण्टल, पुरानी टिन पाइप, कास्ट आयरन 15.60 कुण्टल) की बिक्री तत्कालीन निदेशक, प्राणी उद्यान द्वारा की गई है ।

जी नहीं ।

तत्कालीन निदेशक द्वारा शासनादेश संख्या–ए–2–88/दस–97–24(15)/95, दिनांक 7-5-97 के प्रस्तर–II में प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के क्रम में विक्रय की प्रक्रिया नियमानुसार की गई है ।

यद्यपि प्रथम दृष्टया कोई अधिकारी दोषी प्रतीत नहीं होता है फिर भी इस प्रकरण की जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रदेश में शासनादेशों के अनुसार विद्यालय की असहायता प्राप्त अवधि की सेवाओं को जोड़ते हुए सम्पूर्ण सेवा पेंशन में जोड़े जाने का आदेश

107–श्री मोहन सिंह रावत "गांववासी"–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में शासनादेश दिनांक 5-1-96 व 29-4-97 के क्रम में ऐसे शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को जिनके द्वारा सी० पी० एफ० में अंशदान किया ही नहीं गया, को भी शिक्षा संस्था व विद्यालय एवं एक ही विद्यालय की असहायता प्राप्त अवधि की सेवाओं को क्रमबद्ध रूप से जोड़ते हुये सम्पूर्ण अवधि का लाभ अर्हकारी सेवा में आगणन हेतु प्रदान करने की स्वीकृति के साथ सम्पूर्ण सेवा पर पेंशन देने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? क्या शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को जिन्होंने आगणित धनराशि जमा की है, उन्हें सम्पूर्ण सेवा की पेंशन देने का आदेश हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

जी० पी० एफ० के प्रबन्धकीय अंशदान की धनराशि ब्याज सहित निर्धारित तिथि तक जमा होने पर असहायता प्राप्त की अवधि को पेंशन में जोड़े जाने के आदेश हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

108–श्री राम औतार शाक्य–

[दिनांक 10-2-99 के अता० प्र० सं०–130 द्वारा उत्तरित]

जनपद हरदोई ग्राम सिरौली की प्राथमिक पाठशाला भवन निर्माण हेतु आहरित धनराशि की जानकारी

109–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के थाना कासिमपुर अन्तर्गत ग्राम सिरौली की प्राइमरी पाठशाला भवन निर्माण कराये जाने हेतु लगभग एक लाख रुपया निर्माणकर्ता सहायक अध्यापक श्री प्रभाशंकर तथा ग्राम प्रधान सिरौली द्वारा शासकीय धनराशि आहरित करके गबन कर लिये जाने के सम्बन्ध में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, बेहन्दर द्वारा दिनांक 10-10-98 को मुकदमा अपराध संख्या–135/98 धारा 406/409 आई० पी० सी० के अन्तर्गत पंजीकृत कराया गया है ? यदि हां, तो पुलिस द्वारा अब तक अभियुक्तों को गिरफ्तार न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इस विलम्ब के लिये दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद हरदोई किंगसन वेलफेयर इंग्लिश स्कूल तथा विद्या देवी जूनियर हाई की मान्यता रद्द करने की मांग

110–श्री दीपक कुमार–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि मोहल्ला सराय थोक पश्चिमी, हरदोई में भवन संख्या–342/1, 342/3 में संचालित किंगसन वेलफेयर इंग्लिश स्कूल तथा विद्या देवी जूनियर हाई स्कूल में खेल के मैदान व शौचालय नहीं है तथा इन्हीं भवनों में विद्यालय के अतिरिक्त दो परिवार भी रह रहे हैं ? यदि हां, तो मान्यता की शर्तों का उल्लंघन करने वाले विद्यालय की मान्यता दिये जाने का क्या कारण है ? क्या मान्यता रद्द कर दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

किंगसन वेलफेयर इंग्लिश स्कूल में खेल का मैदान नहीं है । विद्यालय में शौचालय है । विद्या देवी जूनियर हाई स्कूल में शौचालय तथा खेल का मैदान है । उक्त दोनों विद्यालयों के भवनों के कुछ हिस्सों में प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका का परिवार निवास करता है ।

प्रकरण की जांच करायी जा रही है । तदुपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद बिजनौर वन प्रयाग कौड़िया रेंज में यूकेलिप्टस की पकड़ी गई लकड़ी के प्रकरण पर कार्यवाही की मांग

111–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 8-10-98 को 7.30 बजे सायं ट्रक नं०–डी० आई० जी०–1075 में 144 नग यूकेलिप्टस 8.1264 घन मीटर लकड़ी बिजनौर, वन प्रयाग के अन्तर्गत कौड़िया रेंज की चेक चौकी में गेट कीपर द्वारा पकड़ी गयी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

जी हां ।

जांच से पाया गया कि प्रश्नगत ट्रक नं०–डी० आई० जी०–1075 में मे० स्टार पेपर मिल, सहारनपुर को आवंटित 144 नग यूकेलिप्टस लट्ठा आयतन 8.1264 घन मीटर वैध प्रकोष्ठ था । उक्त ट्रक के लिए रवन्ना संख्या–23/2279 दिनांक 7-10-98 को उ० प्र० वन निगम के मोटा ढ़ाक डिपो से जारी किया गया था, परन्तु ट्रक के डिपो में फंसने के कारण प्रकोष्ठ की निकासी दिनांक 8-10-98 को हुई । प्लाट प्रभारी द्वारा रवन्ने की तिथि की जांच ठीक प्रकार से नहीं की गयी । रवन्ने की तिथि में परिस्थितिजन्य हुई त्रुटि के लिए सम्बन्धित कर्मचारियों को चेतावनी जारी करते हुए उनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी गयी है और उन्हें स्थानान्तरित भी कर दिया गया है ।

उ० प्र० वन निगम कोटद्वार गढ़वाल द्वारा कुम्भ मेला प्रशासक को वर्ष 1996-97 में जलाने हेतु लकड़ी देने से पूर्व गायब होने की जानकारी

112–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक उ० प्र० वन निगम, कोटद्वार गढ़वाल द्वारा कुम्भ मेला प्रशासन को वर्ष 1996-97 में जलाने के उपयोग के लिये लकड़ी दी गयी थी ? यदि दी थी ? यदि हां, तो विक्रय प्रबन्धन वन निगम कोटद्वार द्वारा कुल कितनी कुन्टल लकड़ी किस-किस डिपो से किस-किस तिथि को उठाई गयी थी ? उसका बाजार भाव क्या था ? कुम्भ मेला प्रशासन को कुल कितने कुन्टल लकड़ी प्राप्त हुयी और कुल कितनी लकड़ी डिपो से निकलने के बाद कुम्भ मेला प्रशासन

को सौंपने से पूर्व बीच में ही गायब कर दी गयी ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

जी नहीं । वर्ष 1996-97 में कोई कुम्भ मेला गढ़वाल क्षेत्र में नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० वन निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक कोटद्वार द्वारा प्रकोष्ठ निकासी मार्गों के निर्माण हेतु आवंटित धनराशि के दुरुपयोग की जानकारी

113–श्री सुशील शाक्य–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1998-99 में 31 अक्टूबर, 1998 तक प्रकोष्ठ निकासी मार्ग पर क्षेत्रीय प्रबन्धक उ० प्र० वन निगम कोटद्वार कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी है और किन-किन लौगिंग प्रभागों, विक्रय प्रभागों के अन्तर्गत कुल कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया गया है ? वन निगम द्वारा प्रकोष्ठ निकासी मार्गों पर मिट्टी पत्थर के अलावा और किन-किन वस्तुओं का उपयोग किया गया है ? क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा आवंटित की गयी धनराशि की 80% प्रतिशत भाग वन निगम के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग किया गया है ? क्या सरकार इस मामले की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

वित्तीय वर्ष 1998-99 में 31 अक्टूबर, 1998 तक क्षेत्रीय प्रबन्धक, कोटद्वार के अन्तर्गत निकासी मार्ग पर कुल रु० 1,10,544.00 (रु० एक लाख दस हजार पांच सौ चौवालिस मात्र) की धनराशि व्यय की गई है । विक्रय प्रभाग, कोटद्वार एवं लौगिंग प्रभाग बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शिवालिक एवं लौगिंग प्रभारी यूनिट, कोटद्वार के अन्तर्गत कुल 36 निकासी मार्गों का पुनर्निर्माण कराया गया है, जिनकी कुल लम्बाई 50.319 किलोमीटर है ।

प्रकोष्ठ निकासी मार्गों पर मिट्टी एवं पत्थर के अलावा और किसी वस्तु का उपयोग नहीं किया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बिजनौर वन प्रभाग कौड़िया रेन्ज पर अवैध लकड़ी पकड़ने वाले कर्मचारी को नियमित करने पर विचार

114–श्री सुशील शाक्य व श्री राजधारी–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 8-10-98 को सायं 7.15 बजे ट्रक नम्बर डी० आई० जी० 1075 को बिजनौर वन प्रभाग के कौड़िया रेन्ज के चन्दनपुरा चेक चौकी पर गेट कीपर द्वारा रोका गया था ? यदि हां, तो क्या इसमें अवैध रूप से मोटा ढाक विक्रय डिपो निगम से 144 नग यूकिलिप्टस 8.1264 घन मीटर लकड़ी अवैध रूप से निकासी कर भेजी जा रही थी ? यदि हां, तो क्या सरकार वन

विभाग के उक्त ईमानदार, कर्तव्य निष्ठ, निष्ठावान दैनिक वेतन भोगी गेटकीपर को नियमित करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

115–श्री छोटे लाल गंगवार मास्टर–

[दि० 10-2-99 को अता० प्र० सं०–176 द्वारा उत्तरित]

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी की फार्मेसिस्ट श्रीमती माधुरी वर्मा के वेतन अन्तर के भुगतान की जानकारी

116–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में फार्मेसिस्ट के पद पर कार्यरत श्रीमती माधुरी वर्मा को अर्ह वेतनमान स्वीकृत किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–3006/सत्तर–4/97-43(16)/95 दिनांक 15 सितम्बर, 1997 जारी किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त शासनादेश के अनुपालन में अर्ह वेतनमान नियुक्ति तिथि से 1350-2200 वेतनमान स्वीकृत किये जाने हेतु पत्र संख्या कु० स०/प्र/82/व्यक्ति/98 दिनांक 24 मार्च, 98 भी जारी किया गया था ? यदि हां, तो क्या उनके वेतन के अन्तर का भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

जी नहीं । शासनादेश सं०–3006/70–4/97–43(16)/95, दिनांक 15 सितम्बर, 1997 के अनुपालन में विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने पत्र सं०–कु० स०/3782/व्यक्ति/98, दिनांक 24 मार्च, 1998 द्वारा श्रीमती माधुरी वर्मा को शासन द्वारा स्वीकृत वेतनमान दिये जाने का आदेश निर्गत किया था ।

मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा श्रीमती माधुरी वर्मा की फार्मेसिस्ट पद पर नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया है । अतः श्रीमती माधुरी वर्मा को वेतन के अन्तर के भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

117–श्री गोपाल कृष्ण–

(सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।)

118–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

(सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।)

श्री राजेन्द्र सिंह जिला पंचायत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैनपुरी के कार्यवाहक प्रधानाचार्य के निलम्बन के अनुमोदन की जानकारी

119–श्री राम औतार शाक्य–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला पंचायत मैनपुरी द्वारा संचालित श्री राजेन्द्र सिंह जिला पंचायत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नवाटेढ़ा, मैनपुरी के कार्यवाहक प्रधानाचार्य

श्री उदयराज राठौर को जिला पंचायत के सर्वसम्मत प्रस्ताव सं०–4 दिनांक 22-12-97 द्वारा निलम्बित कर दिया गया था और अधिनियम की धारा 16 (छ) की उपधारा–6 के अधीन निलम्बन से संबंधित सभी कागजात जिला विद्यालय निरीक्षक को अनुमोदन प्राप्त करने हेतु निर्धारित समय में भेज दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या निलम्बन का अनुमोदन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

श्री राठौर के विरुद्ध लगाये गये सभी आरोप प्रथम दृष्टया निरर्थक एवं बेबुनियाद होने के कारण ।

जनपद मैनपुरी ग्राम उजागरपुर के प्राथमिक विद्यालय के भवन को पूर्ण कराने हेतु धनराशि उपलब्ध कराया जाना

120–श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्ष मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी ब्लाक किशनी में स्थित ग्राम–उजागरपुर के प्राथमिक विद्यालय का भवन जो अधूरा है, को पूर्ण कराने के लिये वित्तीय वर्ष 1998-99 में धन उपलब्ध करायेंगे ? क्या सरकार इसी वित्तीय वर्ष में उक्त विद्यालय की बाउन्ड्री बनवाने का भी काम करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

वर्तमान में पूर्व से निर्मित विद्यालयों के बाउन्ड्रीवाल निर्माण कराने संबंधी योजना में कोई बजट प्राविधान नहीं है । अपूर्ण भवन को स्थानीय स्तर पर व्यवस्था कर पूर्ण कराया जायगा ।

जिला शिक्षा समिति मैनपुरी की बैठक में ग्रामों में विद्यालय बनाये जाने के प्रस्ताव पर कार्यवाही की मांग

121–श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला शिक्षा समिति मैनपुरी की बैठक दिनांक 13-5-98 में जनपद में कौन-कौन से किस-किस ग्राम में प्राथमिक विद्यालय एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय बनाये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया ? सरकार ग्राम नगला टांकन ब्लाक बेवर में शासन द्वारा दिनांक 25-6-98 को निर्गत निर्देशों के अनुसार जूनियर हाई स्कूल कब से बनवाना प्रारम्भ करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूची निम्नवत् है :–

(क) पूर्व माध्यमिक विद्यालय हेतु चयनित ग्राम–1–पशुपुर 2–भरतपुरा 3–मकरन्दपुर 4–कुढरा भगौनी 5–नाकामऊ/नगला टांकन 6–गणेशपुर/शाहआलमपुर 7–नगला झील 8–झिझाई 9–धोरवा 10–अतिकुल्लापुर 11–भूरेपुर 12–बालमपुर 13–कारिकापुर 14–अगौथा 15–खैरिया 16–ज्योती खुढ़िया 17–कुरावली 18–सिमरई 19–छाछा 20–जासमई 21–नगला पैठ 22–महगवा 23–बधिरुआ 24–निनौली 25–दिहुली 26–उरथान ।

(ख) प्राथमिक विद्यालयों हेतु चयनित ग्राम–1–सराय उद्देतपुर 2–पनिहार 3–दाद्दोपुर 4–लालपुर 5–कमलपुर 6–नगला पोदसा (बुर्रा जाट) 7–गरौरा 8–लालपुर 9–कोसोन 10–सलेमपुर

11–दलीपपुर केलई 12–फतेहपुरगनी 13–सिवाई 14–कल्यानपुर 15–न्योरा 16–किशनी 17–मीठेपुर 18–बालमपुर 19–नसीरपुर ।

शीघ्र कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

संकिया जनपद फर्रुखाबाद काली नदी पर पक्का पुल बनवाने की जानकारी

122–श्री राम औतार शाक्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि संकिया जनपद–फर्रुखाबाद को बौद्ध पर्यटकों की सुविधा हेतु काली नदी पर राजघाट के समीप सरकार एक पक्का पुल बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण संभव नहीं है ।

जनपद मैनपुरी, जिला शिक्षा समिति की बैठक विलम्ब से बुलाने एवं उपस्थित विधायकों के प्रस्तावों की अनदेखी करने पर कार्यवाही की मांग

123–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद मैनपुरी में दिनांक 4-3-97 के बाद दिनांक 13-5-98 को जिला शिक्षा समिति की बैठक हुई थी ? यदि हां, तो इतनी विलम्ब से बैठक बुलाने का दोषी कौन है और उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? क्या यह सही है कि दिनांक 13-5-98 को समिति की बैठक में उपस्थित विधायकों के सुझाव एवं प्रस्तावों की अनदेखी की गयी है ? क्या सरकार विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी संबंधित विधायकों की उक्त बैठक की कार्यवाही उपलब्ध करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जांच करायी जा रही है ।

जी नहीं ।

जी हां ।

उपलब्ध करा दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर में भवन विहीन विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु धनराशि आवंटित करने की जानकारी

124–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में कितने जूनियर हाई स्कूल भवन विहीन है ? भवन विहीन विद्यालय कब से कार्यरत हैं ? क्या इन भवन विहीन विद्यालयों के लिये भवन बनाने हेतु धन आवंटित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

(सूची संलग्न है) । †

विगत कई वर्षों से ।

जी हां ।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने की दशा में धनराशि आवंटित की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

125–127–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये ।]

जनपद बदायूं बिल्सी की ग्रामों की सड़कों को पक्की सड़कों से जोड़ने के आदेश के पश्चात् कार्य पूर्ण कराने की जानकारी

128–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि 16 मई, 1997 को तत्कालीन मुख्य मंत्री ने बिल्सी, जनपद बदायूं की जनसभा में घोषणा की थी कि बिल्सी विधान सभा, क्षेत्र की 30 ग्रामों की सड़कें, पक्की सड़कों से स्टेट सेक्टर से जोड़ी जायेंगी ? क्या सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति आदेश संख्या–4213(11) ई–23 लो०नि०–11-97, दिनांक 5-7-97 तथा वित्तीय स्वीकृति संबंधी आदेश संख्या–5773–ई/23–लो० नि० (11) 97–100 (24) ई/97 जारी किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त 30 ग्रामों को अभी तक पक्की सड़कों से नहीं जोड़ा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

केवल प्रशासकीय स्वीकृति शासनादेश संख्या–4213 ई/23–लो० नि०–11–100(21) ई/97, दिनांक 5-7-97 द्वारा निर्गत की गयी है । वित्तीय स्वीकृति नहीं निर्गत की गयी है ।

उक्त 30 ग्रामों में से 5 ग्रामों के मार्ग निर्माण की वित्तीय स्वीकृति विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की जा चुकी हैं । इनमें से एक ग्राम पक्के मार्ग से जोड़ा जा चुका है । 4 ग्रामों के मार्गों पर कार्य प्रगति में है । शेष 25 ग्रामों के मार्गों की वित्तीय संसाधन उपलब्ध न होने के कारण पक्की सड़कों से जोड़े जाने का कार्य नहीं किया जा सका है ।

एक ग्राम के मार्ग का निर्माण पूर्ण हो चुका है । 4 ग्रामों के मार्गों का कार्य प्रगति पर है । शेष 25 ग्रामों के मार्गों को पूर्ण करने का प्रश्न वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

लोक निर्माण विभाग के दैनिक भोगी वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित करने की मांग

129–श्री राजधारी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उनके द्वारा कोई ऐसा निर्णय अभी हाल ही में लिया गया है कि लोक निर्माण विभाग के दैनिक भोगी और वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित किया जायेगा ? यदि हां, तो नियमित करने की प्रक्रिया कब तक पूर्ण हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† (देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 130–131 पर ।)

श्री कलराज मिश्र–

जी हां । शासनादेश सं० 6398/23-7-97–55(सा)/96, दिनांक 15-10-97 में यह व्यवस्था की गई है कि नियमित रिक्त पद उपलब्ध होने पर कतिपय शर्तों के अधीन 5 वर्ष से अधिक सेवा पूरी कर चुके वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति दे दी जायेगी । शासनादेश संख्या–6390/23-7-97–55(सा)/96 दि० 31-1-98 में यह व्यवस्था की गई है कि वर्कचार्ज में रिक्तियां होने पर 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारियों को कतिपय शर्तों की पूर्ति पर वर्कचार्ज में नियुक्ति दी जायेगी ।

ज्यों-ज्यों नियमित पद उपलब्ध होते जायेंगे त्यों-त्यों वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति एवं दैनिक वेतन कर्मचारियों को वर्कचार्ज में नियुक्ति दी जा सकेगी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक द्वारा अन्य विद्यालय में नई नियुक्ति पर जाने से पहले विद्यालय की सेवाएं पेंशन हेतु निर्धारित शर्तों की पूर्ति पर अनुमन्यता की जानकारी

130–श्री भारत सिंह रावत–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा० विद्यालय के किसी अध्यापक के दूसरे विद्यालय में नई नियुक्ति पर चले जाने पर क्या पहले विद्यालय में की गयी सेवाएं पेंशन हेतु मान्य होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

शासनादेश संख्या–1558/15-8-97/3004(1)/94, दिनांक 18-10-1997 में निर्धारित शर्तों की पूर्ति होने पर अनुमन्य है ।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाड़ा डांडा पौड़ी गढ़वाल के शिक्षकों के स्थानान्तरण से रिक्त पदों पर प्रतिस्थानी की मांग

131–श्री भारत सिंह रावत–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान समय में राजकीय उ० मा० विद्यालय बाड़ा डांडा, पौड़ी गढ़वाल के शिक्षकों का स्थानान्तरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या संबंधित विद्यालय में उनके प्रति स्थानी शिक्षक भेज दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो कब तक भेज दिये जायेंगे ?

डा० नैपाल सिंह–

विद्यालय से केवल वर्तमान सत्र में से दो शिक्षकों का समायोजन जिला विद्यालय निरीक्षक, पौड़ी द्वारा किया गया है ।

जी नहीं । कार्यवाही गतिमान है ।

प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक कोटद्वार गढ़वाल द्वारा प्रकोष्ठ निकासी मार्ग का निर्माण

132–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि वित्तीय वर्ष 1997-98 में प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, कोटद्वार, गढ़वाल द्वारा प्रकोष्ठ निकासी मांगों का निर्माण कराया गया था ? यदि हां, तो कुल कितने निकासी मार्गों का निर्माण हुआ ? प्रत्येक की लम्बाई मिलाकर कितने किलोमीटर निकासी मार्गों का निर्माण किया गया ? इस मार्ग पर मिट्टी पत्थर के अलावा और क्या-क्या सामग्री उपयोग में लायी गयी ? इन मार्गों

के निर्माण में कुल कितनी लागत आयी ? क्या यह सत्य है कि इन निकासी मार्गों के निर्माण में व्यय की गई धनराशि का अस्सी प्रतिशत धनराशि का निगम के अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग किया गया है ? क्या सरकार इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

जी हां ।

वित्तीय वर्ष 1997-98 में कुल 164 प्रकोष्ठ निकासी मार्गों की मरम्मत कराई गयी ।

कुल मिलाकर 83.907 किलोमीटर निकासी मार्गों की मरम्मत का कार्य कराया गया ।

निकासी मार्गों पर मिट्टी, पत्थर के अलावा और कोई सामग्री प्रयोग में नहीं लायी गयी ।

इन मार्गों की मरम्मत पर कुल रु० 14,25,430.50 की धनराशि व्यय की गयी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली विकास खण्ड नवाबगंज ग्राम पैगा में चयनित स्थल पर उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण

133–मास्टर छोटे लाल गंगवार –

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के विकास खण्ड नवाबगंज के ग्राम पैगा में उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन के निर्माण के आदेश पूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली में दिनांक 8-9-97 को किये हैं और वर्तमान बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली ने भवन स्थल चयन समिति जिसमें तहसीलदार, नवाबगंज, खण्ड विकास अधिकारी नवाबगंज सघमल बेसिक शिक्षा अधिकारी नवाबगंज शामिल थे, अपनी संस्तुति के आधार पर प्राथमिक विद्यालय के निकट उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन बनाने के दि० 12-2-98 को आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो क्या उच्च प्राथमिक विद्यालय पैगा का निर्माण प्राथमिक विद्यालय भवन के निकट कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी हां ।

भवन निर्माण के लिए गाटा सं० 407, 409 तथा 456 जनभावनाओं के अनुसार उपयुक्त पाया गया और उक्त स्थान में भवन निर्माण पूरा करा लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री संकठा बक्स सिंह उप विद्यालय निरीक्षक सुल्तानपुर के सेवानिवृत्ति पर देयकों का भुगतान

134–श्री तेजभान सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री संकठा बक्स सिंह, उप विद्यालय निरीक्षक, सुल्तानपुर 31 दिसम्बर, 1995 को सेवानिवृत्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या इनके ग्रेच्युटी पेंशन, बीमा फण्ड आदि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब तक भुगतान न होने के क्या कारण हैं ? विलम्ब के लिए कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उनके समस्त देयों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

श्री संकठा बक्स सिंह का बीमा प्रपत्र दिनांक 9-3-98 को बीमा निदेशालय, लखनऊ को भेजा जा चुका है तथा उन्हें अनन्तिम पेंशन एवं ग्रेच्युटी दिनांक 22-1-99 एवं अन्तिम पेंशन, ग्रेच्युटी व राशिकरण दिनांक 1-2-99 को स्वीकृत कर दी गयी है । इनके फण्ड की धनराशि का भुगतान नवीनतम लेखा पर्चों के अभाव में नहीं हो सका है, जिसके भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।

सम्बन्धित अधिकारी द्वारा पेंशन, ग्रेच्युटी एवं बीमा आदि देयकों का प्रपत्र सेवा निवृत्त के दो वर्ष पश्चात् दिए जाने के कारण प्रकरण में विलम्ब हुआ है ।

जी० पी० एफ० के अतिरिक्त समस्त देयों के भुगतान की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ।

जनपद मैनपुरी भौंगांव में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण में व्यय का विवरण एवं डामरीकरण

135–श्री राम औतार शाक्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भौंगांव जनपद मैनपुरी में भौंगांव से देवीपुर वाया रजवाना की सड़क तक लोक निर्माण विभाग द्वारा अब तक कितना धन किस मद में खर्च किया गया ? क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

अब तक किसी मद से कोई धन लोक निर्माण विभाग द्वारा इस मार्ग पर खर्च नहीं किया गया है । यह मार्ग लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत न होने के कारण निर्माण/मरम्मत कार्यों पर लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई धन व्यय किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

मा० उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार जनपद पौड़ी गढ़वाल के सी० पी० एड० अमरावती से प्रशिक्षित छात्रों की नियुक्ति

136–श्री भारत सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के सी०पी०एड० अमरावती से प्रशिक्षित छात्रों द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को नियुक्ति हेतु एक जनहित याचिका मा० उच्च न्यायालय में की थी और माननीय उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सी०पी०एड० अमरावती के पक्ष में दिया था, जिसकी एक प्रतिलिपि बी०एस०ए० पौड़ी के पास जमा है ? यदि हां, तो उक्त सभी सी०पी०एड० छात्रों को नियुक्ति दे दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी हां ।

साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गयी है ।

वर्ष 1997 में ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तराखण्ड में क्षेत्रीय प्रवासियों के अधिकारों की पुनर्स्थापना

137–श्री अजय भट्ट–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तराखण्ड क्षेत्र में पाइप लाइन बिछाने तथा सड़क निर्माण हेतु उचित खुदाई करने पर कोई प्रतिबन्ध है ? क्या ब्रिटिश शासन काल से उक्त क्षेत्र के लोगों को जलाऊ लकड़ी लेने भवन निर्माणार्थ पत्थर लेने हेतु प्राप्त अधिकार को शासन द्वारा बाधित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या प्रकरण की सम्पूर्ण वास्तविक स्थिति से अवगत कराने की कृपा करेंगे ? सरकार द्वारा क्षेत्रीय प्रवासियों के अधिकारों की पुनर्स्थापना हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग, जिसमें प्रश्नगत कार्य भी सम्मिलित है, किए जाने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अधीन भारत सरकार की पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक है ।

पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों को हक-हकूक के तहत निजी उपयोग के लिए आरक्षित वनों से गिरी पड़ी जलौनी लकड़ी, पत्थर, पटाल आदि निःशुल्क ले जाने की सुविधायें, जो भारतीय वन अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना में प्रदत्त है, उस पर कोई रोक नहीं लगायी गयी है । परन्तु हरे पेड़ों के पालन जिसमें हक-हकूक का अधिकार भी सम्मिलित है, पर प्रतिबन्ध मा० उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12-12-96 को पारित आदेश द्वारा लगाया गया था ।

मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित रिट याचिका संख्या : 202/95 में दिनांक 12-12-96 को पारित आदेश द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में हरे वृक्षों के पातन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया था, जिसमें हक हकूक की सुविधा हेतु अनुमन्य हरे वृक्षों का पातन भी निषिद्ध किया गया था । मा० उच्चतम न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में इससे उत्पन्न कठिनाइयों को प्रस्तुत करते हुए छूट प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया था, जिसके फलस्वरूप मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 20-1-98 को पारित आदेश द्वारा 1000 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय क्षेत्रों में 32,000 घनमीटर की सीमा तक वन उपज हक हकूक के रूप में कतिपय अन्य शर्तों के अधीन देने हेतु अपने पूर्व आदेशों को संशोधित कर दिया गया है ।

138–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

[दि० 21-7-98 को अता० प्र० सं०–12 द्वारा उत्तरित]

जनपद भदोही के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों में चार या पांच अध्यापकों की व्यवस्था

139–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि जनपद भदोही के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान समय में प्राथमिक विद्यालयों में मात्र दो ही अध्यापक नियुक्त हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक विद्यालय में चार या पांच अध्यापकों की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर के अन्तर्गत कुल 181 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं जिनमें 386 अध्यापक कार्यरत हैं । इस प्रकार प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में दो या दो से अधिक अध्यापक कार्यरत हैं । मानकानुसार रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है । पदों का रिक्त होना व उन पर चयन प्रक्रिया निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

140–श्री राजधारी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

141–डा० वकार अहमद शाह–

[दिनांक 11-2-99 को अता० प्र० सं०–157 द्वारा उत्तरित]

जनपद बदायूं ग्राम उघैती एवं रिसौली में हाई स्कूल की स्थापना की मांग

142–श्री भोलाशंकर मौर्य–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1993 में राष्ट्रपति शासन के दौरान शासन द्वारा ग्राम उघैती एवं रिसौली तहसील बिजली जनपद बदायूं में हाईस्कूल की स्थापना करने की घोषणा की गयी थी और उसका सर्वे आदि कराने के उपरान्त विभाग द्वारा उक्त स्थानों पर विद्यालयों के स्थापना करने की औपचारिकतायें पूर्ण करके वर्ष 1998-99 में विद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो विद्यालयों की स्थापना कब तक कर दी जायेगी ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

वर्ष 1998-99 में प्रश्नगत स्थानों पर विद्यालयों की स्थापना का कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

जनपद बदायूं की जिला योजना के अन्तर्गत परिव्यय/प्राविधान उपलब्ध होने पर ही प्रश्नगत विद्यालयों की स्थापना सम्भव होगी ।

जनपद बदायूं के बिजली में एक पैन्टून पुल का निर्माण

143–श्री भोलाशंकर मौर्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद बदायूं के बिजली विधान सभा क्षेत्र में ग्राम भतरी गोबर्धनपुर मार्ग पर एक पैन्टून पुल के निर्माण हेतु शासनादेश वर्ष 1993 में जारी किया गया था और उसके स्थान पर बड़ा सेतु निर्माण हेतु विभाग द्वारा संस्तुति की गयी है ? यदि हां, तो सेतु निर्माण अब तक न कराने का क्या कारण है ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

शासन को कोई संस्तुति प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

144-145–श्री उदय राज यादव–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

अध्यापक की अप्रशिक्षित रूप से की गयी सेवा अवधि पेंशन हेतु अर्ह की जानकारी

146–श्री भारत सिंह रावत–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने राजाज्ञा संख्या क्रमांक 5290/15-3004(22) 1970, दिनांक 5-9-70 द्वारा लाभार्थी योजना के अन्तर्गत किसी भी अध्यापक को उसकी अप्रशिक्षित रूप से की गयी सेवा भी मान्य किये जाने के निर्देश दिये हैं ? क्या अप्रशिक्षित सेवा अवधि पेंशन हेतु अर्ह है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

लाभत्रयी योजना के अन्तर्गत अप्रशिक्षित सेवाकाल को पेंशन हेतु अर्ह सेवा मान्य है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के टकसरा एवं बरेहटा घाटों पर पक्के पुल के निर्माण की स्वीकृत प्रदान करने की मांग

147–श्री सीताराम निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में मड़हा (तमसा) नदी पर टकसरा एवं बरेहटा घाटों पर पक्के पुल के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के बिना दिनांक 11 सितम्बर, 1998 को विभाग द्वारा लोक निर्माण मंत्री द्वारा शिलान्यास कार्यक्रम बनाया गया था ? क्या बाद में उसे निरस्त कर दिया गया ? यदि हां, तो उक्त की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति कब प्रदान की जायेगी ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद फैजाबाद की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने हेतु स्वीकृत/व्यय का विवरण

148–श्री सीताराम निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने हेतु 1997-98 में कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी थी और विधान सभा क्षेत्र बीकापुर की किन-किन सड़कों पर उक्त योजना के अन्तर्गत कितनी कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी है ? क्या अवमुक्त धनराशि के अनुसार कार्य करा लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

वर्ष 1997-98 में जनपद फैजाबाद में एस० आर०एम०डी० के अन्तर्गत कुल 92.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी इसमें विधान सभा क्षेत्र बीकापुर के मार्गों पर स्वीकृत/व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्नांकित है :–

मार्ग का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	व्यय की गई धनराशि (लाख में)
1	2	3
1–तारून अहिरौली मार्ग	0.80	0.80
2–चौरे हैदरगंज भीटी मार्ग	2.60	2.58
3–बीकापुर–आने बाजार	6.50	6.36
4–जलालपुर–रामपुर भगन तारून	2.00	1.82
5–गोसाईगंज–तारून मार्ग	2.00	2.11

1	2	3
6–हैदरगंज करौदी मार्ग	0.10	0.09
7–हैदरगंज बेरेमा रखौना पुलौना मार्ग	0.60	0.65
8–तारून हैदरगंज कूड़ेभार मार्ग	1.50	1.50

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहाय सिंह बालिका विद्यालय नरही लखनऊ में बी० टी० सी० एवं एल० टी० ग्रेड की अध्यापिकाओं में आरक्षण कोटा पूर्ण किए जाने की मांग

149–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहाय सिंह बालिका विद्यालय, नरही, लखनऊ में बी० टी० सी० तथा एल० टी० ग्रेड में कितनी-कितनी अध्यापिकायें कार्यरत हैं तथा उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व पिछड़ी जाति की कितनी-कितनी अध्यापिकायें हैं ? क्या दोनों वर्गों का आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या भविष्य में होने वाली नियुक्तियों में आरक्षण कोटा पूरा किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

बी० टी० सी० ग्रेड में 21 अध्यापिकायें कार्यरत हैं ।

एल० टी० ग्रेड में 12 अध्यापिकायें कार्यरत हैं ।

	एल० टी० ग्रेड	बी० टी० सी० ग्रेड में
अनुसूचित जाति	1	1
अनुसूचित जनजाति	—	—
पिछड़ी जाति	—	3

जी नहीं ।

पूर्व में विद्यालय द्वारा आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के कस्बा सण्डीला में बेसिक कन्या पाठशाला का जीर्ण भवन होने के कारण पाठशाला को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की मांग

150–श्री अजय कुमार पोइया–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के प्रथम मंगलवार को उत्तरित अता० प्रश्न संख्या–62 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बेसिक कन्या पाठशाला मण्डई, कस्बा सण्डीला, जनपद हरदोई का भवन अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण होने के कारण उक्त विद्यालय को मा० मंत्री जी के आदेशानुसार अन्यत्र शिफ्ट कर दिया गया है ? यदि हां, तो शिक्षा विभाग द्वारा उक्त विद्यालय के पुराने भवन को खाली न किये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी उक्त विद्यालय के भवन को खाली कराने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

प्रकरण विचाराधीन है ।

परीक्षणोपरान्त समुचित निर्णय लिया जायेगा ।

निर्णय शीघ्र ले लिया जायेगा ।

151–श्री गणेश राजभर–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद हरदोई सण्डीला में विगत पांच वर्षों में लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्पर्क मार्गों में कराये गये कार्यों पर प्रश्नकर्ता के पत्र पर जांच की मांग

152–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र सण्डीला, जनपद–हरदोई में विगत पांच वर्षों में जो विभाग द्वारा सम्पर्क मार्गों पर डामरीकरण व गिट्टी का कार्य कराया गया है वह अत्यन्त घटिया किस्म का होने के कारण कुछ ही दिनों में क्षतिग्रस्त हो गया है ? क्या इस सम्बन्ध में कतिपय मार्गों का उल्लेख करते हुये प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र दिनांक माह अगस्त, सितम्बर, 1998 में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच टेक्निकल आडिट सेल से करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 11-9-98 प्राप्त हुआ है ।

शिकायती-पत्र पर टेक्निकल आडिट सेल से जांच कराने के आदेश दिये जा चुके हैं । जांच क्रमित है ।

जनपद भदोही ग्राम गोलखरा ब्लाक दीघ में प्राथमिक पाठशाला भवन के निर्माण में अनियमितता की जांच कार्यवाही की मांग

153–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद भदोही के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में अम्बेडकर ग्राम गोलखरा ब्लाक दीघ में नव निर्माण किया गया प्रा० पा० के कार्य में धन की हेरा-फेरी करके भवन में सामग्री का प्रयोग घटिया किस्म का किये जाने के कारण छत टपक रही है तथा किसी समय भी भवन गिर सकता है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

भवन निर्माणाधीन है ।

जी नहीं । छत का कार्य अपूर्ण होने के कारण पानी टपकता है । निर्माण कार्य में विलम्ब के दोषी अध्यापक को निलम्बित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

टाण्डा जनपद अम्बेडकर नगर के लुम्बनी-द्वद्वी मार्ग घाघरा नदी पर सेतु निर्माण की मांग

154–श्री लालजी वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाण्डा जनपद अम्बेडकर नगर में लुम्बनी-द्वद्वी मार्ग पर घाघरा नदी पर सेतु का निर्माण जनहित में कराये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त सेतु का निर्माण कब तक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण वृहद लागत का यह पुल फिलहाल स्वीकृत करना सम्भव नहीं है ।

जिला टिहरी गढ़वाल राजकीय हाईस्कूलों/इण्टर कालेजों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की मांग

155–श्री लाखीराम जोशी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल में स्थित रा० हाई स्कूलों एवं इन्टर कालेजों में किन-किन विषयों के कुल कितने अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? इन रिक्त पदों को कब तक भरा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रवक्ता के 283 तथा एल० टी० वेतनक्रम के 251 पद रिक्त हैं, जिनका विवरण निम्नवत् हैं :–

प्रवक्ता

विषय	संख्या
1–तर्कशास्त्र	01
2–गणित	31
3–नागरिक शास्त्र	33
4–अर्थशास्त्र	23
5–भौतिक विज्ञान	30
6–भूगोल	22
7–रसायन विज्ञान	29
8–इतिहास	10
9–हिन्दी	29
10–अंग्रेजी	25
11–संस्कृत	13
12–कृषि	02
13–जीव विज्ञान	25
14–वाणिज्य	04
15–समाज शास्त्र	05
16–शिक्षा शास्त्र	01
योग–	283

एल० टी०

विषय	संख्या
1–सा० एल० टी०	66
2–अंग्रेजी	24
3–कला	15
4–गृह विज्ञान	72
5–भाषा	36
6–जीव विज्ञान	11
7–व्यायाम	23
8–वाणिज्य	02
9–कृषि	01
10–सिलाई	01
योग–251	

रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही गतिमान है ।

हेमवती नन्दन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय के स्वामी राम तीर्थ परिसर टिहरी को नवनिर्मित भवनों में स्थानान्तरित कर संचालित करने की मांग

156–श्री लाखीराम जोशी–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि हेमवती नन्दन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय के स्वामी राम तीर्थ परिसर टिहरी को बादशाहीथौल स्थित नव निर्मित भवनों में स्थानान्तरित किया जाना है ? यदि हां, तो कब तक उक्त परिसर नये भवनों में (बादशाहीथौल) स्थानान्तरित कर संचालित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

टिहरी हाइड्रो डेवलपमेन्ट कारपोरेशन एवं शासन द्वारा परिसर को संचालित करने के लिये फर्नीचर, पानी की टंकी आदि आधारभूत सुविधायें उपलब्ध होने पर विश्वविद्यालय के स्वामी रामतीर्थ परिसर टिहरी को बादशाहीथौल स्थित नवनिर्मित भवनों में स्थानान्तरित कर संचालित किया जायेगा ।

विश्वविद्यालय द्वारा उक्त सुविधाओं को मुहैय्या कराने हेतु उत्तरांचल विकास विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ज्ञान भारती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परसदेपुर रायबरेली के सहायक अध्यापक श्री बुद्धिराम एक ही समय में दो पदों पर कार्यरत रहते हुए दोनों स्थानों से वेतन प्राप्त करने संबंधी प्रकरण की जांच/कार्यवाही

157–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के दूसरे मंगलवार को अता० प्र० सं०–71 के उत्तर के संदर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत एफ० आई० आर० कब दर्ज करायी गई तथा इसकी जांच कब और किस अधिकारी ने की है ? जांच परिणाम क्या है ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां । प्रश्नगत एफ० आई० आर० दिनांक 9-7-97 को विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा दर्ज करायी गयी ।

एफ० आई० आर० जांच के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है । प्रकरण की प्रशासनिक जांच हेतु अपर शिक्षा निदेशक (उत्तराखण्ड) को आदेश दिये गये हैं ।

158-159–डा० धर्मेश मिश्र–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये ।]

इलाहाबाद मण्डल के प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर आरक्षित अभ्यर्थी न मिलने से अनारक्षित शिक्षकों को अवसर देने के सम्बन्ध में

160–श्री राम शंकर पाल–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद मण्डल के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त 218 पदों के लिये तीसरी बार प्रकाशित विज्ञापन के बावजूद आरक्षित अभ्यर्थियों के न मिलने पर सुचारु शिक्षा व्यवस्था के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ? क्या आरक्षित प्राथमिक शिक्षक पदों के स्थान पर अनारक्षित वर्ग के बी० एड० प्रशिक्षित शिक्षकों को मौका दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने का प्रयास किया जा रहा है ।

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन नगर क्षेत्र कालपी में पर्यटन विकास हेतु वर्ष 1997 से 1999 में स्वीकृत धनराशि से कराये कार्यों की जानकारी

161–श्री श्रीराम पाल–

क्या पर्यटन विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन के नगर क्षेत्र कालपी में पर्यटन विकास हेतु वर्ष 1997-98 व 1998-99 में कितनी धनराशि स्वीकार की गयी है ? किन-किन कार्यों हेतु दी गयी है ? क्या यह सच है कि अब तक कोई कार्य नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जनपद जालौन के नगर क्षेत्र कालपी में पर्यटन विकास हेतु वर्ष 1997-98 में जिला योजना के अन्तर्गत रु० 9.50 लाख तथा राज्य योजनान्तर्गत रु० 18.58 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है । वित्तीय वर्ष 1998-99 में रु० 5.00 लाख की धनराशि का प्राविधान है ।

वर्ष 1997-98 में जिला योजनान्तर्गत कालपी में व्यास टीला मन्दिर के सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार के अन्तर्गत बाउन्ड्रीवाल के निर्माण कराने, एम० एस० गेट की आपूर्ति एवं लगाने, नलकूप निर्माण एवं जलापूर्ति व्यवस्था करने, यात्री शैड का निर्माण करने, बैठने हेतु बैंचों की व्यवस्था करने, स्थल की सफाई, लेवलिंग, ड्रेसिंग आदि करने, महिला एवं पुरुष टाइलेट का निर्माण कराने हेतु रु० 9,50,000/– की धनराशि स्वीकृत की गयी है ।

राज्य योजनान्तर्गत वर्ष 1997-98 में जनपद जालौन के कालपी में मार्गीय सुविधाओं की स्थापना के लिये भूमि क्रय के लिये रु० 18.58 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है ।

वित्तीय वर्ष 1998-99 में कालपी किलाघाट के पर्यटन विकास हेतु रु० 5.00 लाख का प्राविधान है ।

जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत उक्त धनराशि से विस्तृत आगणन बनाकर कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है ।

राज्य योजना के अन्तर्गत मार्गीय सुविधा हेतु स्वीकृति धनराशि के अन्तर्गत जोल्टूपुर मुख्य चौराहे के पास उपयुक्त भूमि न मिलने के कारण दूसरी भूमि चयन की गयी है जिसका मूल्यांकन किया जाना अभी अवशेष है ।

वित्तीय वर्ष 1998-99 में कालपी किलाघाट के पर्यटन विकास हेतु अभी धनराशि अवमुक्त नहीं हुई है ।

जनपद जालौन के ग्राम बावी व ग्राम मुसमरिया में विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि से निर्माण कार्य की जानकारी

162–श्री श्रीराम पाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन में लोक निर्माण विभाग की विभागीय निर्माण इकाई को ग्राम बावी के राजकीय बालिका इण्टर कालेज व ग्राम मुसमरिया के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के भवनों के निर्माण का कार्य दिया गया है तथा एक वर्ष पूर्व धनराशि भी उपलब्ध कराई जा चुकी है ? यदि हां, तो अब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ न करने के कारण क्या है ? क्या निर्माण कार्य

प्रारम्भ न करने के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां । प्रश्न में उल्लिखित दोनों विद्यालयों की स्वीकृत लागत क्रमशः रुपये 129.04 लाख एवं रुपये 119.89 लाख के सापेक्ष दिनांक 11-6-1998 को दोनों भवनों के लिए 12-12 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है ।

प्रश्नगत विद्यालयों की भूमि का सीमांकन शिक्षा विभाग द्वारा माह नवम्बर, 1998 में किया गया और माह नवम्बर, 1998 में ही कार्य प्रारम्भ कर दिया गया । जो प्रगति में है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला पंचायत अध्यक्ष जनपद मैनपुरी का बेसिक शिक्षाधिकारी मैनपुरी को प्रेषित पत्र एवं कार्यवाही

163–श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद मैनपुरी का जिला बेसिक शिक्षाधिकारी मैनपुरी को प्रेषित पत्र सं०-466/ई०आर०के०/97-98, दिनांक 2-12-97 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसके बिन्दु क्या हैं और उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र सिंह जिला पंचायत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवाटेढ़ा मैनपुरी के विरुद्ध आरोपों की जांच के पश्चात् उन्हें बोनस का भुगतान करने में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

164–श्री राम औतार शाक्य–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला पंचायत मैनपुरी द्वारा संचालित श्री राजेन्द्र सिंह जिला पंचायत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवाटेढ़ा, मैनपुरी के कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्री उदय राज सिंह राठौर के विरुद्ध गंभीर आरोपों एवं शिकायतों की जांच की कार्यवाही शासन स्तर/निदेशक एवं अन्य उच्च अधिकारियों के स्तर पर चल रही है ? क्या उनके विरुद्ध वर्ष 1996-97 में प्रतिकूल प्रविष्टि की गयी थी ? यदि हां, तो नियमों का खुला उल्लंघन कर एकल खाता परिचालन द्वारा उन्हें बोनस का भुगतान करने का औचित्य क्या है ? क्या सरकार इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक मैनपुरी को दोषी मानती है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

जी हां ।

जांच हेतु मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा को निर्देशित किया गया है ।

जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद मुरादाबाद कन्या जूनियर हाई स्कूल के भवन निर्माण हेतु जिलाधिकारी के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

165–श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कन्या जूनियर हाई स्कूल भऊ किठौर विकास खण्ड बहजोई जनपद मुरादाबाद में नवीन भवन के निर्माण का प्रस्ताव लम्बित है ? यदि हां, तो कब से और

विद्यालय के भवन निर्माण में विलम्ब का क्या कारण है ? क्या जिलाधिकारी मुरादाबाद के द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी मुरादाबाद को पत्रांक संख्या–(भवन) 3887-09 दिनांक 7-9-97 के अनुसार भवन निर्माण हेतु पत्र लिखा गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र के क्रम में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

भवन निर्माण करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी ग्राम खजरा खाकम ब्लाक बहुजोई के प्राथमिक पाठशाला भवन को पुराने स्थान पर बनवाने की मांग

166–श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम खजरा खाकम ब्लाक बहुजोई जनपद मैनपुरी में कब से बेसिक शिक्षा परिषद् की प्राइमरी पाठशाला चल रही है ? उसका नम्बर व रकबा क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में पहले से चालित प्रा० पाठशाला की जगह में भवन के विस्तार होने के बाद नये भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो गया था और इस हेतु किश्त भी रीलीज कर दी गयी थी ? क्या यह भी सही है कि वहां पर प्रथम किश्त के धन खर्च हेतु भवन निर्माण से संबंधित ईंटें व अन्य सामान पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो पुराने स्थान पर भवन कब तक बनवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जनपद मैनपुरी में ग्राम खजरा खाकम ब्लाक बहुजोई नामक स्थल नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक निर्माण विभाग द्वारा अनिल कुमार बनाम उ० प्र० सरकार के प्रकरण पर मा० उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराने की मांग

167–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद की याचिका संख्या 35321 वर्ष 1994, डा० रोहित गुप्ता बनाम प्रिंसिपल एस० एन० मेडिकल कालेज, आगरा, प्रकाशित 1995 इलाहाबाद ला जनरल पेज 517 पूर्ण पीठ के फैसले को दृष्टिगत रखते हुए मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद लखनऊ पीठ में प्रस्तुत याचिका संख्या 578 वर्ष 1998, अनिल कुमार बनाम उ० प्र० सरकार तारीख फैसला 26-5-98 का अनुपालन लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश के मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, कानपुर द्वारा सुनिश्चित करा दिया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद–लखनऊ पीठ में प्रस्तुत याचिका सं०–578/98–अनिल कुमार बनाम उ० प्र० सरकार में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 26-5-98 का अनुपालन कार्यालय ज्ञाप सं०–2574ईजी/23–लो०नि०–5–98, दिनांक 12-6-98 द्वारा कर दिया गया था ।

हल्द्वानी–भरतपुर मार्ग को नेशनल हाई-वे घोषित करने का प्रस्ताव

168–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल हाई-वे घोषित करने की क्या नीति है ? क्या सरकार बतायेगी कि दिनांक 16-5-96 को घोषित हल्द्वानी-भरतपुर मार्ग को नेशनल हाई–वे घोषित करने हेतु भारत सरकार को कार्य योजना प्रस्तुत न करने का क्या कारण है ? क्या उक्त मार्ग नीति के अन्तर्गत आता है ? यदि हां, तो कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रदेश के मार्गों की महत्ता एवं भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप राष्ट्रीय मार्ग घोषित किये जाने के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जाते हैं । भारत सरकार परीक्षण के उपरान्त प्रदेश के मार्गों को राष्ट्रीय मार्ग घोषित करती है ।

उक्त मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित किये जाने हेतु प्रस्ताव भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार को प० सं०–1925/23-1-232 सीजी/81, दिनांक 16-6-97 द्वारा भेजा गया था ।

प्रेषित प्रस्ताव पर भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये हैं । तद्नुसार कार्यवाही की जा रही है ।

इलाहाबाद/कौशम्बी वृत्त लोक निर्माण विभाग के खण्डों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत अवर अभियन्ताओं की संख्या एवं स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत हटाया जाना

169–श्री लालजी वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय खण्ड–निर्माण खण्ड नं०–2 मुख्य अभियन्ता, इलाहाबाद क्षेत्र, अधीक्षण अभियन्ता इलाहाबाद/कौशम्बी वृत्त, लो० नि० वि० इलाहाबाद में अवर अभियन्ता (प्रा०) की अलग-अलग कितने पद स्वीकृत हैं ? उक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने कर्मचारी नियुक्त हैं ? यदि स्वीकृति पद से अधिक कर्मचारी नियुक्त हैं तो स्थानान्तरण नीति के अनुसार उन्हें कब तक हटाया जायेगा ? जहां पर स्वीकृति पद के विरुद्ध कोई कर्मचारी नियुक्ति नहीं है वहां कब तक कर्मचारी नियुक्ति किया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

अवर अभियन्ता (प्रा०) के स्वीकृत पदों की संख्या निम्नवत् है :–

1–प्रान्तीय खण्ड, इलाहाबाद–1

2–निर्माण खण्ड–2, इलाहाबाद–1

3–मुख्य अभियन्ता, इलाहाबाद–2
क्षेत्र इलाहाबाद

4–इलाहाबाद–कौशम्बी वृत्त 2
लो० नि० वि०, इलाहाबाद

उपर्युक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारियों की संख्या निम्नवत है :–

1–प्रान्तीय खण्ड, इलाहाबाद–1

2–निर्माण खण्ड–2, इलाहाबाद–1

3–मुख्य अभियन्ता, इलाहाबाद–2
क्षेत्र, इलाहाबाद

4–इलाहाबाद/कौशाम्बी वृत्त–0
लो० नि० वि०, इलाहाबाद

किसी खण्ड में स्वीकृत संख्या से अधिक अवर अभियन्ता (प्रा०) कार्यरत नहीं है ।

अवर अभियन्ता (प्रा०) के पद पर नई नियुक्ति/प्रोन्नति होने के पश्चात रिक्त पदों पर तैनाती की जायेगी ।

वर्ष 1994-95 अर्ध कुम्भ मेला इलाहाबाद में लोक निर्माण विभाग द्वारा मस्टर रोल के कार्यों की धनराशि की जानकारी/बकाये भुगतान की मांग

170–श्री लालजी वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994-95 अर्ध कुम्भ मेला इलाहाबाद में मेला डिवीजन लो०नि०वि० द्वारा कुल कितने रुपये का कार्य कराया गया ? उक्त कराये गये कार्य में कितनी राशि का अनुबन्ध के द्वारा तथा कितनी राशि का कार्य मस्टर रोल द्वारा कराया गया ? क्या कार्यों की जांच शिकायत के आधार पर करायी गयी ? यदि हां, तो क्या पाया गया ? क्या मा० मंत्री जी को यह जानकारी है कि उक्त कार्यों का भुगतान बकाया है ? यदि हां, तो जांच में कितनी राशि का बकाया है ? क्या मा० मंत्री जी अवशेष बकाये का भुगतान कराने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां । अर्धकुम्भ मेला 1994-95 के लिए कुल रु० 26,4018,701.60 पैसे का कार्य कराया गया है ।

अनुबन्ध के द्वारा रु० 24,55,98,182.60 पैसे तथा मस्टर रोल के द्वारा रु० 1,84,20,519.00 पैसे का कार्य कराया गया ।

जी हां ।

पान्टून के निर्माण कार्यों में अनियमितता पायी गयी तथा अनियमितता के लिए उत्तरादायी अवर अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं को निलम्बित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही की गयी । अवर अभियन्ताओं को एक-एक अस्थायी वेतन वृद्धि रोकने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं तथा सहायक अभियन्ताओं का प्रकरण लोक सेवा आयोग, उ० प्र० इलाहाबाद को भेजा गया है ।

जी हां ।

रु० 5,08,06,515.60 पैसे का भुगतान बकाया है, जिसके लिए धनराशि नगर विकास विभाग द्वारा उपलब्ध की जानी है ।

कराये गये कार्यों तथा देयकों की जांच हेतु आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद की अध्यक्षता में गठित समिति की आख्या प्राप्त होने तथा नगर विकास विभाग द्वारा धनराशि अवमुक्त किये जाने पर अवशेष का भुगतान किया जायेगा ।

लोक निर्माण विभाग सुल्तानपुर के मजदूरों को बकाया मजदूरी का भुगतान कराने की कार्यवाही की जानकारी

171–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के 3सरे मंगलवार को उत्तरित अता० प्र० संख्या–5 के सन्दर्भ में लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लोक निर्माण विभाग द्वारा पुलिस विभाग के किस आदेश के तहत प्रश्नगत कार्य कराया गया था तथा धन प्राप्त करने की क्या शर्तें निहित थी ? मजदूरों से बिना भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित किये कार्य करानें के लिए कौन-कौन दोषी है ? क्या सरकार सम्बन्धित मजदूरों की मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर के आदेशानुसार कार्य कराया गया था । धन प्राप्त करने की कोई शर्त नहीं थी ।

इसके लिए तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, सुल्तानपुर दोषी हैं।

मजदूरों का भुगतान शीघ्र कराया जा रहा है।

मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के इण्टर कालेज दुर्गागंज के सात अध्यापकों के वेतन का भुगतान कराने की मांग

172–श्री पूर्णमासी पंकज–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के इण्टर कालेज, दुर्गागंज के साथ अध्यापकों प्रेम चन्द्र पाण्डेय, श्रीनाथ पाण्डेय आदि के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 18-1-95 एवं मा० सर्वोच्च न्यायालय दिनांक 4-8-98 को फैसला दिया है ? यदि हां, तो क्या मा० उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो उन अध्यापकों का वेतन कब दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां।

मा० उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में प्रश्नगत अध्यापकों के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

डा० गनेश कृष्ण जेटली इण्टर कालेज अकबरपुर के प्रबन्धक को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दिये गये मेमों के निर्देश का अनुपालन

173–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद अम्बेडकर नगर ने डा० गनेश कृष्ण जेटली इण्टर कालेज, अकबरपुर के प्रबन्धक को पत्रांक मेमों 1998-99 दिनांक 2-7-98 द्वारा दिये गये निर्देश का अनुपालन क्या प्रबन्धक द्वारा किया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां।

दिनांक 31-8-98 को।

प्रश्न नहीं उठता।

174–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

कानपुर झांसी मार्ग चमरी नाले पर एक अस्थाई पुल के निर्माण में अनियमितता की जांच कराने की मांग

175–श्री श्रीराम पाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्रीयकृत राजमार्ग नं० 25 कानपुर झांसी मार्ग पर आटा ग्राम व उरई के मध्य स्थित चमरी नाला का पुल जीर्ण-शीर्ण हो जाने के कारण उसके बगल से नाले पर एक अस्थाई पुल 12.2 लाख रुपये की लागत से बनवाया गया है ? यदि हां, क्या वह अस्थाई पुल एक भी वाहन न चलने पर भी टूट गया है ? यदि हां, तो क्या अस्थाई पुल बनाये जाने में की गयी वित्तीय अनियमितता की जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां, परन्तु व्यय रु० 12.02 लाख का हुआ है ।

जी नहीं । अस्थायी सेतु बनने के बाद कुछ अवधि तक इस पर वाहन चले हैं । पुल टूटा नहीं है, मात्र डेकिंग की सतह एवं इसके कुछ स्लीपर्स क्षतिग्रस्त हैं ।

प्रकरण की जांच कराये जाने के आदेश मुख्य अभियन्ता (राष्ट्रीय मार्ग) को दे दिये गये हैं ।

उपरोक्तानुसार ।

वर्ष 1996-98 में चयनित अम्बेडकर ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु जनपद जौनपुर में निर्माण कार्य की जानकारी

176–श्री श्रीराम पाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 में चयनित अम्बेडकर ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को पक्के रोड बनाने हेतु दी गई धनराशि वापिस कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो जनपद जालौन में उपरोक्त वर्षों में चयनित अम्बेडकर ग्रामों की सड़कों के निर्माण कार्य को रोकने का औचित्य क्या है ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 में चयनित अम्बेडकर ग्रामों को पक्के मार्गों से जोड़ने हेतु रु० 170.00 लाख का आवंटन किया गया था, जिसके सापेक्ष रु० 169.47 लाख व्यय किया जा चुका है । अतः स्पष्ट है कि कार्य को रोका नहीं गया है ।

पट्टी के मार्गों को पैच फ्री न करने के प्रश्नकर्ता द्वारा शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की मांग

177–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा पट्टी विधान सभा क्षेत्र के मार्गों को पैच फ्री न करने का शिकायती-पत्र निर्देशों सहित पत्रांक सी०/एम०वि०को०/एम–5/9804; 28-4-98 उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

उक्त पत्र में वर्णित 28 मार्गों में से 2 मुख्य जिला मार्ग तथा 2 जिला मार्ग को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है सीमित संसाधनों के कारण शेष 16 ग्रामीण मार्गों में से 9 ग्रामीण मार्गों पर ही मरम्मत का कार्य किया जा सका है ।

सीमित संसाधनों के कारण ।

प्राथमिक पाठशाला धरवासपुर की चहार दीवारी के निर्माण में खण्ड विकास अधिकारी का मुख्य विकास अधिकारी मिर्जापुर को प्रेषित-पत्र पर कार्यवाही की मांग

178–श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड–नरायनपुर, जनपद–मिर्जापुर का पत्र सं० 407/प्राक्कलन–प्रेषण/97-98 दिनांक 20-3-98, जो प्रा० पाठशाला धरवासपुर की चौतरफा चहार दीवारी का निर्माण कराये जाने हेतु धन अवमुक्त किये जाने विषयक था,

मुख्य विकास अधिकारी, मिर्जापुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो खण्ड विकास अधिकारी के अनुरोधानुसार अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में उक्त विद्यालय की चौतरफा चहार दीवारी का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने हेतु प्रभावी निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

अभी कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है ।

जी नहीं ।

पूर्व निर्मित विद्यालयों में चहार दीवारी बनाने की योजना के अन्तर्गत धन का प्राविधान नहीं है ।

जनपद–इलाहाबाद के बसहरा–मानपुर सम्पर्क मार्ग के मरम्मत के सम्बन्ध में श्री दीप लाल भारती के पत्र पर कार्यवाही की मांग

179–श्री महराज सिंह यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा सदस्य, श्री दीपलाल भारती का पत्र दिनांक 21-8-98 जो जनपद–इलाहाबाद, ब्लाक–जसरा के बसहरा–मानपुर सम्पर्क मार्ग के मरम्मत कराने से संबंधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त सम्पर्क मार्ग का कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

सम्पूर्ण मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–गोण्डा के मुख्य विकास अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायती-पत्र

180–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य विकास अधिकारी गोण्डा के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये शिकायती-पत्र पर उ० प्र० शासन ने सचिव, ग्राम्य विकास उ० प्र० को विधायक प्रकोष्ठ पत्र सं०–एम–4/40–5/गोण्डा/97 दिनांक 10-2-97 के माध्यम से जांच का आदेश दिया गया है ? क्या जांच आदेश का पालन हुआ ? क्या जांच पूर्ण हो गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

शिकायतों की जांच, जिलाधिकारी, गोण्डा से करायी गई जांच में शिकायतें सही नहीं पाई गईं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० फाइनेन्शियल कारपोरेशन लि० क्षेत्रीय कार्यालय आगरा की श्रीमती आशा गुप्ता की मृत्युपरान्त समस्त देयकों का भुगतान उनके उत्तराधिकारियों को कराने की मांग

181–श्री सीताराम निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती आशा गुप्ता, लिपिक, ग्रेड–I, जो उ० प्र० फाइनेन्शियल कारपोरेशन लि० के क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा में कार्यरत थी तथा जिनकी मृत्यु दिनांक 31-8-97 को हुई थीं, के भविष्य निर्वाह निधि, ग्रुप इन्श्योरेन्स ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण आदि देयों

का भुगतान उनके उत्तराधिकारियों/नाम-निर्देशित व्यक्तियों को अब तक न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या शासन इस विलम्ब के लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये मृतक के देयों का भुगतान अविलम्ब करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमती गुप्ता ने निगम में कार्यरत रहते हुए दिनांक 14-3-95 को अपना उत्तराधिकारी अपने पति श्री योगेश गुप्ता को बनाया था । श्रीमती आशा गुप्ता के पिता श्री शान्ति स्वरूप गुप्ता ने लिखित रूप से निगम को यह आपत्ति पेश की थी कि मृतका के पति श्री योगेश गुप्ता ने दूसरी शादी कर ली है तथा मृतका के नाबालिग बच्ची का उत्पीड़न कर रहे हैं । अतः श्री योगेश गुप्ता को ग्रुप इन्श्योरेन्स, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, अवकाश नकदीकरण आदि का भुगतान न किया जाय और उनकी नातिन के बालिग होने पर ही समस्त भुगतान उनकी नातिन के नाम से किया जाय । मृतका के पिता की आपत्ति पर जांचोपरान्त मृतका के देयों का भुगतान मृतका द्वारा नामित उसके पति श्री योगेश गुप्ता को करने के आदेश कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पर्वतीय जनपदों के वित्त पोषण के यू० पी० एफ० सी० द्वारा लम्बित मामलों के निस्तारण एवं रुग्ण उद्योग इकाइयों को स्वस्थ्य करने का प्रयास

182–श्री अजय भट्ट–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1996-97 के अन्त तक पर्वतीय जनपदों (कुमायूं कमिश्नरी के) हेतु वित्त पोषण के कितने मामले यू० पी० एफ० सी० द्वारा अनिस्तारित रखे गये हैं ? लम्बित मामलों के लोनिंग करने की कठिनाईयों से अवगत कराते हुये क्या मंत्री जी बतायेंगे कि निस्तारण कब तक पूर्ण किया जायेगा ? रुग्ण घोषित (सिक डिक्लेयर्ड) उद्योग इकाइयों को स्वस्थ्य करने के उपाय एवं प्रयासों के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कल्याण सिंह–

उ० प्र० वित्तीय निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 1996-97 के अन्त तक पर्वतीय जनपदों (कुमायूं कमिश्नरी के) हेतु वित्त पोषण के दो मामले अनिस्तारित रहे ।

इनमें से पार्वती प्लाईवुड का ऋण निस्तारण बैंक से पारीपासू चार्ज न मिलने के कारण नहीं हो सका था । पार्वती प्लाईवुड रामनगर को नवम्बर, 97 में ऋण स्वीकृत कर दिया गया । नवभारत टिश्यू उधम सिंह नगर को उनके द्वारा पूर्व में लिये गये ऋण की कालातीत धनराशि की अदायगी न करने के कारण नया ऋण स्वीकृत नहीं किया गया । भारतीय रिजर्व बैंक, आई० डी० बी० आई० तथा उ० प्र० वित्तीय निगम द्वारा घोषित नीतियों के अनुसार ही इकाईयों को सुविधा प्रदान की जाती है । वर्ष 1996-97 में निगम द्वारा पर्वतीय जनपदों में निम्न इकाईयों को पुनर्वासन की सुविधा प्रदान की गयी :–

(1) मोती पालीमर्स, पिथौरागढ़ ।

(2) मेसर्स हिमालयन फुटवियर इण्डस्ट्रीज (प्रा०) लि०, पिथौरागढ़ ।

[12 बजकर 20 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि मा० अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1.00 बजे तक बढ़ा दिया है ।]

(1 बजे सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग की सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं

(विपक्ष के अनेक सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आज पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति भयावह है, चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है और जगह-जगह पर दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्या की जा रही है।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, दलित उतपीड़न के मामले पर वरीयता के आधार पर सुनने का कष्ट करें इसके साथ ही साथ इस लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराने की भी कृपा करें।

श्री अब्दुल कलाम–

मान्यवर, 311 में पहले मेरी सूचना लगी है उसे पहले सुना जाय।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 16-2-99 को नियम 311 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री अयोध्या प्रसाद पाल, श्री राम अचल राजभर, श्री मतेश चन्द्र सोनकर, श्री जगदीश नारायण राय तथा श्री भगवती प्रसाद की है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, हाथरस जिले में चितावर गांव की एक महिला के साथ थानाध्यक्ष ने बलात्कार किया।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह बहुत ही शर्मनाक घटना है।

(श्री अब्दुल कलाम, श्री शिवपाल सिंह सहित विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के वेल में रिपोर्टर्स टेबिल के सामने खड़े होकर नारे लगाने लगे–जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग आसन ग्रहण करें।

(नारे लगाये जाते रहने से व्यवधान बना रहा)

कृपा कर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। मैं कुछ आप से कहना चाहत हूं। मुझे यह कष्ट हो रहा है कि आप पीठ की बात नहीं सुनना चाहते हैं। आप माननीय सदस्य बार्क माननीय सदस्यों के अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं। मैं नियम 311 पर ही सुन रहा हूं। यह लोकतांत्रिक परम्परा नहीं है।

(व्यवधान)

कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करिये ।

(नारे लगाये जाते रहे ।)

कृपा करके अपने स्थान पर जाइये ।

माननीय सदस्यगण, आप सुनिये । आप अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं । मैंने नियम 301 न लेकर 311 लिया है ताकि माननीय सदस्यों को उनकी सूचना पर सुन लूं फिर उसमें भी आप व्यवधान कर रहे हैं । यह लोकतांत्रिक परम्पराओं और मर्यादाओं के विपरीत है । कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

(नारे लगाये जाते रहे ।)

कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करिये ।

(नारे लगना न बंद होने पर ।)

माननीय सदस्यगण, अपनी बात रखने का यह तरीका ठीक नहीं है । मैं आपको अवसर दूंगा । आप सदन के वेल में आकर अपनी बात न करें । यह लोकतंत्र पर आप प्रहार कर रहे हैं । आप अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं । मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप अपने स्थान पर चलिये ।

(सदस्यों के नारे लगाते रहने पर)

मैं सदन को 1 बजकर 45 मिनट तक स्थगित करता हूं ।

(1 बजकर 12 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 1 बजकर 45 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 1 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने लगे जिससे सदन में व्यवधान/शोर उत्पन्न हो गया)

माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । मैं नियम 311 ले रहा हूं । पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी की है । मौर्य जी आप अपनी बात रखें ।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य अपने-अपने स्थान से नारे लगाते रहे ।)

माननीय सदस्यगण शांत रहें । श्री मौर्य जी आप ग्राह्यता पर अपनी बात कहें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

आज पूरे प्रदेश में दलितों पर अत्याचार हो रहा है, हत्यायें हो रही हैं, बलात्कार हो रहे है .....

(समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य खड़े होकर नारे लगाते रहे ।)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण, कृपया शांत रहे । सदन को व्यवस्थित रूप से चलने दें । आज नियम 311 में कई माननीय सदस्यों द्वारा महत्वपूर्ण सूचनायें दी गयी हैं उनकी ग्राह्यता पर उन्हें अपनी बात रखने दें और व्यवधान उत्पन्न न करें । लोकतंत्र मान्यताओं और परम्पराओं से चलता है । मैं निवेदन कर रहा हूं कि अगर परस्पर असहिष्णुता रखते हुये एक दूसरे के विचारों को नहीं सुनेगें तो प्रदेश की जनता की बहुत सी ज्वलंत समस्यायें न तो सदन के सामने आ सकेंगी और न कोई हल निकल सकेगा इस प्रकार से बहुत बड़ा अहित आप जनता का करेंगे और इस विधान सभा की उपादेयता क्या रह जायेगी ?

* श्री वसीम अहमद–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

यह जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं इसको अंकित नहीं किया जायेगा । श्री मौर्य जी आप ग्राह्यता पर अपनी बात रखें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, कोई बात रखें इसके पूर्व अनुरोध है कि सदन को व्यवस्थित करने का कष्ट करें ।

(श्री अब्दुल कलाम, श्री वसीम अहमद, श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री सुधाकर सिंह, श्री श्याम किशोर यादव आदि समाजवादी पार्टी के कई सदस्य सदन की वेल में आ गये और नारे लगाने लगे ।)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया माननीय सदस्यगण अपना स्थान ग्रहण करें और माननीय मौर्य जी को बोलने दें । कृपया सदन को व्यवस्थित रूप से चलने दें, सदन को अव्यवस्थित करने का उपक्रम न करें । क्या आप लोग माननीय मौर्य जी एवं अन्य सदस्यों को नहीं सुनना चाहेंगे । मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं कि सदन को चलने दें ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

किसी भी सदस्य को किसी दूसरे माननीय सदस्य के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करने दिया जाएगा । आप कृपया अपना आसन गृहण करें । आपको अगर अपनी बात कहने का अधिकार है तो दूसरे को भी अपनी बात कहने का अधिकार है ।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के वेल से नारे लगाते रहे ।)

श्री सुधाकर सिंह, श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री अब्दुल कलाम, श्री वसीम अहमद तथा श्री चन्द्रपाल सिंह को सदन की सेवा से निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

मैं श्री सुधाकर सिंह, श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री अब्दुल कलाम, श्री वसीम अहमद, श्री चन्द्रपाल सिंह यादव को इंगित करता हूं यह लोग कृपया सदन को त्याग कर चले जाएं ।

(इन सदस्यों द्वारा सदन का त्याग न करने पर)

कृपया संसदीय कार्यमंत्री उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली के नियम 299 के तहत इन पांचों सदस्यों के निलम्बन का प्रस्ताव लाएं ।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि श्री सुधाकर सिंह, श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री अब्दुल कलाम, श्री वसीम अहमद, श्री चन्द्र पाल सिंह यादव को सदन की सेवा से निलम्बित किया जाए ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव मा० संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में प्रस्तुत किया है उससे सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(सदन के वेल में समाजवादी पार्टी के कई सदस्य नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य) जिन माननीय सदस्यों के विरुद्ध सदन छोड़ने, त्याग करने का प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है वे कृपया सदन को तुरन्त छोड़ दें। वे सदस्य कृपया सदन से बाहर चले जायं।

(सदस्यों के सदन त्याग न करने पर)

मैं मार्शल को निर्देश दे रहा हूं कि जिन माननीय सदस्यों को सदन से बाहर जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है और वे बाहर नहीं जा रहे हैं इसलिए मार्शल, विधान सभा उन्हें सदन के बाहर ले जायं। मैं सदन का ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम 299(3)(ग) की ओर आकृष्ट करता हूं। (मार्शल एवं विधान सभा के अन्य सुरक्षाकर्मियों ने मिलकर सर्वश्री चन्द्रपाल सिंह यादव, श्री वसीम अहमद, श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री अब्दुल कलाम (बस्ती) और श्री सुधाकर सिंह को सदन से बाहर ले गये)

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य सदन के वेल में नारे लगाते रहे जिससे व्यवधान बना रहा)

माननीय सदस्य कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया शांत रहें। माननीय सदस्य अपना-अपना आसन ग्रहण करें। कृपया अपना-अपना आसन ग्रहण करें। मैं आप लोगों से बार-बार अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें और लोकतंत्र की मर्यादा के अनुसार आचरण करें और शांत रहें।

(सदस्य सदन के वेल में नारे लगाते रहे)

श्री राम औतार शाक्य, श्री श्याम किशोर यादव, श्री रमेश राही, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री राम प्यारे सिंह तथा श्री योगेन्द्र सिंह को सदन की सेवा से निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग अपने-अपने स्थान पर नहीं जा रहे हैं। अतः मैं श्री राम अवतार शाक्य, श्री श्याम किशोर यादव, श्री रमेश राही, श्री राधे श्याम जायसवाल, श्री राम प्यारे सिंह और श्री योगेन्द्र सिंह को इंगित करता हूं। यह लोग कृपया सदन का त्याग कर सदन से बाहर चले जायं।

(सदस्यों के सदन त्याग न करने पर)

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इन सदस्यों के संबंध में नियम 299 के अन्तर्गत निलम्बन का प्रस्ताव लायें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सर्वश्री राम औतार शाक्य, श्याम किशोर यादव, रमेश राही, राधेश्याम जायसवाल, रामप्यारे सिंह और श्री योगेन्द्र सिंह को सदन की सेवा से शेष [illegible] के उपवेशनों के लिए निलम्बित किया जाय ?

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि जिन माननीय सदस्यों के निलम्बन के संबंध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान)

वह माननीय सदस्य, जिनके संदर्भ में यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है । कृपया सदन छोड़ दें । सर्वश्री राम औतार शाक्य, श्याम किशोर यादव, रमेश राही, राधेश्याम जायसवाल, राम प्यारे सिंह और श्री योगेन्द्र सिंह कृपया सदन छोड़ दें । जिन लोगों का मैंने नाम लिया है और जिनके संदर्भ में प्रस्ताव भी विधान सभा ने पारित किया है । लोकतंत्र की मर्यादा का पालन करते हुए कृपया वे सदन छोड़ दें । मैं इन माननीय सदस्यों से पुनः अनुरोध कर रहा हूं कि वह कृपया सदन छोड़ दें ।

(समाजवादी पार्टी के उक्त सदस्य तथा उनके साथ समाजवादी पार्टी के अन्य सदस्य नारे लगाते रहे । जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया । जिन सदस्यों को इंगित किया गया और जिनके संदर्भ में प्रस्ताव पास हुआ, उन्होंने स्वतः सदन का त्याग नहीं किया ।)

जिन माननीय सदस्यों को सदन छोड़ने के लिये कहा है । कृपया वह स्वतः सदन के बाहर चले जायं । अब इन परिस्थितियों में बल प्रयोग आवश्यक हो गया है । मैं मार्शल को निर्देश देता हूं कि जिन माननीय सदस्यों के संदर्भ में विधान सभा ने प्रस्ताव पास किया है उन्हें सदन से बलपूर्वक बाहर निकाला जाय ।

(उक्त इंगित सभी सदस्यों को मार्शल तथा विधान सभा रक्षकों ने सदन के बाहर निकाला ।)

(समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य वेल पर नारे लगाते रहे । घोर व्यवधान)

श्री महराज सिंह यादव, श्री छोटे सिंह यादव, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री श्रीराम यादव, श्री अशोक कुमार सिंह तथा श्री श्याम लाल रावत को सदन की सेवा से निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य जब इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो बड़ा कष्ट होता है । कृपया आप लोग अपना आसन ग्रहण करें । मेरे बारम्बार अनुरोध के बाद भी आप लोकतंत्र की परम्पराओं का हनन कर रहे हैं । आप में इतनी शक्ति होनी चाहिये दूसरे के विचारों को सुना जाय । कृपया आप लोग आसन ग्रहण करें । सदन को व्यवस्थित करने में अपना सहयोग दें । मेरे बारम्बार अनुरोध के बावजूद भी आप नहीं मान रहे हैं । इसलिये मैं इन माननीय सदस्यों को इंगित कर रहा हूं । सर्वश्री महराज सिंह यादव, छोटे सिंह यादव, दुर्गा प्रसाद यादव, श्रीराम यादव, अशोक कुमार सिंह और श्री श्याम लाल रावत । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी इन माननीय सदस्यों के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सर्वश्री महराज सिंह यादव, छोटे सिंह यादव, दुर्गा प्रसाद यादव, श्रीराम यादव, अशोक कुमार सिंह तथा श्री श्याम लाल रावत को सदन की सेवा से शेष अवधि के उपवेशनों के लिये निलम्बित किया जाय ?

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि जिन माननीय सदस्यों के संदर्भ में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने निलम्बन का प्रस्ताव रखा है, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

जिन माननीय सदस्यों को मैंने इंगित किया है और जिनके सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया है उनसे मैं आग्रह करता हूं कि कृपया सदन छोड़ दें।

(नारे लगाये जाते रहे।)

मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे कृपया सदन छोड़ दें। 299 के 3-(ग) की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं :-सदन द्वारा निलम्बित सदस्य बाध्य होंगे कि वे सदन के परिसर का तुरन्त परित्याग करें। किन्तु ऐसा न करने पर और अध्यक्ष द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किये जाने पर कि बल का प्रयोग अनिवार्य हो गया है। निलम्बित सदस्य, बिना किसी अग्रेतर प्रस्ताव के सत्र की अवशिष्ट कालावधि के लिए निलम्बित हो जायेंगे।

(घोर व्यवधान)

मैं पुनः आग्रह करता हूं कि जिन माननीय सदस्यों को इंगित किया गया है। कृपया वे सदन छोड़कर चले जायं और इस प्रस्ताव का सम्मान करें। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि बल प्रयोग आवश्यक हो गया है इसलिये मैं मार्शल को निर्देश देता हूं कि जिन माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित हो गया है उन्हें सदन से बाहर करने का कष्ट करें।

(नारे लगाये जाते रहे।)

जिन माननीय सदस्यों को मैंने इंगित किया है उन्हें बलपूर्वक सदन से बाहर करने का कार्य करेंगे मार्शल।

(नारे लगाये जाते रहें।)

मौर्या जी, नियम-311 पर अपनी बात रख रहे थे उन्हें अपनी बात रखने का अवसर दें। प्रतिपक्ष के सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका नहीं दे रहे हैं। इससे लोकतंत्र का भला नहीं होने वाला है। आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि कृपया अपना आसन ग्रहण कर लें।

(घोर व्यवधान)

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

सदन को व्यवस्थित करने में सहयोग दें। सदन की कार्यवाही चलने दें। जनता बड़ी आशाओं से चुनकर भेजती है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(माननीय सदस्य नारे लगाते रहे)

सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

कृपया स्थान ग्रहण कर लें सदन को व्यवस्थित ढंग से चलने दें। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं अपना स्थान ग्रहण करें। बहुजन समाज पार्टी के नेता 311 पर अपने विचार रख रहे थे उनको थोड़ा समय दें। पुनः आग्रह कर रहा हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष कुछ कह रहे हैं। इनकी बात भी आप नहीं सुन रहे हैं। सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

डा० अशोक बाजपेई, श्री अरविन्द गिरि, डा० कौशल किशोर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह, श्री रामपाल वर्मा, श्री राम सिंह सैनी, श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री बाबू राम यादव, श्री गौरी शंकर एडवोकेट, श्री बृजेन्द्र पाल सिंह, श्रीमती विजमा यादव, श्रीमती उर्मिला देवी, श्रीमती सुखदेवी वर्मा तथा श्री मूल चन्द्र को सदन की सेवा से निलम्बित किए जाने का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता-

मैं इन माननीय सदस्यों को इंगित करता हूं। डा० अशोक बाजपेई, श्री अरविन्द गिरि, डा० कौशल किशोर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह, श्री रामपाल वर्मा, श्री राम सिंह सैनी, श्री नरेन्द्र सिंह भाटी,

श्री बाबूराम यादव, श्री गौरीशंकर एडवोकेट, श्री बृजेन्द्र पाल सिंह, श्रीमती विजमा यादव, श्रीमती उर्मिला देवी यादव, श्रीमती सुखदेवी वर्मा तथा श्री मूल चन्द्र ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सर्वश्री डा० अशोक बाजपेयी, अरविन्द गिरि, डा० कौशल किशोर , महेन्द्र कुमार सिंह, रामपाल वर्मा,रामसिंह सेनी, नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री बाबूराम यादव, श्री गौरीशंकर एडवोकेट, श्री बृजेन्द्र पाल सिंह, श्रीमती विजमा यादव, श्रीमती उर्मिला देवी, श्रीमती सुखदेवी वर्मा तथा श्री मूल चन्द को सदन की सेवा से शेष अवधि के उपवेशनों के लिए निलम्बित किया जाए ?

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि निलंम्बन का जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन के सामने प्रस्तुत किया गया उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अब मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह सदन छोड़ दें लोकतंत्र की मर्यादा इसी में है इंगित किए जाने के पश्चात विधान सभा द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने के पश्चात स्वेच्छा से सदन छोड़ देना चाहिए ।

(घोर व्यवधान)

कृपया माननीय विधान सभा ने जो प्रस्ताव पारित किया है उसका पालन करें और माननीय सदस्य यह सदन छोड़ दें । मैं 299 (3) (ग) को पढ़ रहा हूं । इसमें यह है कि "सदन द्वारा निलम्बित सदस्य बाध्य होंगे कि वे सदन के परिसर का तुरन्त परित्याग करें । किन्तु ऐसा न करने पर और अध्यक्ष द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किये जाने पर कि बल का प्रयोग अनिवार्य हो गया है । निलम्बित सदस्य, बिना किसी अग्रेतर प्रस्ताव के सत्र की अवशिष्ट कालावधि के लिए निलम्बित हो जायेंगे ।" मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं कि कृपया जिन माननीय सदस्यों को मैंने इंगित किया है वह सदन को छोड़ दें । मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि मेरे अनुरोध करने पर भी माननीय सदस्य सदन का परित्याग नहीं कर रहे हैं । इसलिए मैं मार्शल को निर्देश देता हूं कि वे माननीय सदस्यो को जिन्हें इंगित किया गया है, बाहर करने का कष्ट करें ।

(डिप्टी मार्शल तथा सुरक्षा कर्मचारियों ने उक्त संदर्भित सदस्यों को सदन से बाहर किया)

(माननीय नेता विरोधी दल सदन के वेल में आ गये और वहीं से बोलने लगे)

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, जब किसी प्रकरण को लेकर हम विधान सभा के सामने विरोध करते हैं तो उन पर लाठी चार्ज होता है । सीमेन्ट फैक्टरी का एक कर्मचारी मारा जाता है । जब राबड़ी देवी की सरकार बर्खास्त की जाती है तो उसके विरोध में समाजवादी पार्टी के लोग विरोध करते हैं और प्रदर्शन करते हैं तो उन पर लाठी चार्ज किया जाता है । लोकतंत्र में इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है । यह सरकार लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है । हमारी आवाज को दबाना चाहती है । हमारे समाजवादी पार्टी के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे । जब तक विधान सभा में हमारा एक भी सदस्य रहेगा वह इसका विरोध करता रहेगा । यह विधान सभा नहीं चलने दी जायेगी । आप तानाशाही रवैया अपना रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता विरोधी दल आप कृपया अपने स्थान पर जायें आपको जो भी बात कहनी है वह कृपया अपने स्थान पर जाकर कहें ।

(व्यवधान)

(नेता विरोधी दल सदन के वेल से कहते रहे कि [x x x])

आप कृपया अपने स्थान पर जायें । यह लिखा नहीं जायेगा । नेता विरोधी दल सदन के वेल से कहते रहे कि [x x x]

आप कृपया अपने स्थान पर जायें । यह अंकित नहीं किया जा रहा है ।

(व्यवधान)

(नेता विरोधी दल अपने आसन पर वापस आये)

पहले आप मेरी बात सुन लें । माननीय सदस्यगण हम विधान सभा में जनता द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं कुछ विशेष अपेक्षाओं के साथ ।

श्री धनीराम वर्मा–

आपसे भी तो अपेक्षा है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह सदन कार्यसूची से, नियमावली से, परम्पराओं से और भारत के संविधान के तहत चलता है । नियमावली में प्राविधान है और उन प्राविधानों के तहत यह सदन चलता है । अभी मैंने जिस नियम का प्रयोग किया उसका प्रयोग करते हुए मुझे बड़ा कष्ट हो रहा था । लेकिन इसके सिवाय मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था । मैंने बारम्बार आग्रह किया और दो बार मैंने सदन का स्थगित किया । लेकिन बात कुछ नहीं बनी । नियम–311 में सूचनाएं मुझे प्राप्त हुई और एक सूचना पर मैं श्री मौर्य जी को सुन रहा था वह बोल रहे थे लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया । यह सदन परस्पर सहिष्णुता से चलेगा । किसी भी माननीय सदस्य को यह अधिकार नहीं है कि वह जिस तरह से चलाना चाहें, चलायें ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, गलत तरीके से यह सदन नहीं चलेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं निवेदन करूंगा कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अपनी बात कहने दें ।

(व्यवधान)

(नेता विरोधी दल सदन के फ्लोर पर आ गये और कहने लगे कि प्रजातंत्र में यह जिद नहीं चलेगी । कानून व्यवस्था चलेगी और संविधान चलेगा । नियमावली चलेगी ।)

(व्यवधान)

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह परम्परा है कि जब सदन के अन्दर जब भी नेता सदन या नेता विरोधी दल बोलना चाहें वह बोल सकते हैं । नियमों में कहीं कोई बाध्यता नहीं है। माननीय नेता विरोधी दल को भी वही अधिकार प्राप्त है जो नेता सदन को है अगर वह कोई महत्वपूर्ण बात रखना चाहते हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि कृपया उनके विचार आ जाने दें । मैंने मौर्य जी से अनुरोध कर लिया है और वह बैठ भी गये हैं । वह प्रतीक्षा कर लेंगे । इस परम्परा को कृपया समाप्त न करें ।

सदन की सेवा से निलम्बित सदस्यों के निलम्बन की वापसी की मांग

*नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, सदन जब से इस सत्र का प्रारम्भ हुआ तब से लगातार उन सारी जन-समस्याओं को जिससे प्रदेश की आम जनता पीड़ित है उनकों सुनने के लिए यह सरकार किंचित मात्र भी तैयार नहीं है । समाजवादी पार्टी के हमारे सदस्यों ने और हमारे विपक्ष के साथियों ने अभी तक ऐसी कोई बात विधान सभा में नहीं रखी । आज 3-4 दिन से जन समस्याओं से संबंधित जन-समस्याओं को जब उठाया जाता है आप मना करते हैं, स्पीच से मना किया जाता है तो अपने अधिकारों के तहत हम लोग जोर देकर अपनी बात कहने के लिए इस पीठ से आग्रह करते रहे हैं और उसी के तहत हमारे साथियों ने पिछले दिनों में यह आग्रह किया लेकिन किसी की बात को नहीं सुना गया, अन-सुना किया गया । इस प्रदेश में 4-5 महीने में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने नंगा नाच किया है, कानून व्यवस्था जैसी गम्भीर समस्या से खिलवाड़ किया है, आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि सरकार ने कानून व्यवस्था के नाम पर जरा सी भी ध्यान दिया होता तो निर्दोष लोगों की हत्याएं जो आपने करवाई हैं, इस सरकार ने करवाई, हैं वह न होतीं । जहां यह कहते हैं नहीं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश के डीजीपी साहब ने नहीं कहा था कि धनन्जय मारा गया, नहीं मारा गया तो हाजिर किया जाए । आज वह हाजिर हुआ ।

ओम प्रकाश कक्षा 11 का छात्र और उसके तीन साथी निर्दोष मारे जाते हैं, मेरठ में 4 मजदूरों की हत्या होती है फिरोजाबाद में, इटावा में हत्या होती है 302 का मुकदमा कायम होता है, महाराजगंज में हत्या होती है 302 की रिपोर्ट दर्ज होती है मुकदमा दर्ज होता है । लेकिन यह सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करने को तैयार नहीं है । श्रीमन्, मजदूरों का शोषण यह सरकार कर रही है । सीमेन्ट कर्मचारियों को 10 महीने से वेतन नहीं मिला है जिसके कारण उनका सारा जीवन अस्तव्यस्त हो गया हैं । अपनी मांगों के समर्थन में वह हजारों के संख्या में विधान सभा के बाहर धरना और प्रदर्शन के लिए आ रहे थे तो उन पर लाठी चार्ज किया गया और उसमें एक सीमेन्ट कर्मचारी को मौत के घाट उतार दिया गया । श्रीमन्, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है ? जब इस तरह की बात हमारे लोग विधान सभा में नहीं रखेंगे तो प्रजातंत्र कैसे चलेगा, कैसे इस सरकार पर अंकुश लगेगा ?

श्रीमन्, इसी तरह से राबड़ी देवी सरकार जो बिहार में थी, उसे भंग किया गया । मुख्यमंत्री ने बड़ी प्रशंसा की । श्रीमन्, यहां पर तो हत्याएं और बलात्कार उससे ज्यादा हुए हैं महिलाएं उसका विरोध प्रकट करने आ रही थी, यहां प्रदर्शन में भाग लेने के लिए आ रही थीं उनको रोका गया ।

श्रीमन्, इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या हो सकती है ? मैं आपसे मांग करता हूं कि विधान सभा ठीक से चले, लेकिन इसके लिये यह आवश्यक है कि पिछले दिनों में जितने माननीय सदस्यों को निष्कासित किया गया है, उनका निष्कासन वापस ले लिया जाये, तभी विधान सभा चलेगी । जब तक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक भी सदस्य समाजवादी पार्टी का बाहर रहेगा, तब तक विधान सभा नहीं चलेगी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप से कहना चाहता हूं कि सभी समाजवादी पार्टी के सदस्यों का निलम्बन वापस लिया जाये और विधान सभा नियमानुसार चल सके ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात कही, मैं पिछले दिनों से इसी प्रतीक्षा में था, जो राज्यपाल जी के अभिभाषण के समर्थन में प्रस्ताव रखा गया था, उस पर बोलने के लिये सम्भावित नेता प्रतिपक्ष तैयारी कर रहे होंगे और उनके विचार सुनने को मिलेंगे । तीन दिनों तक इस सदन में अव्यवस्था की गयी । हम अनुमान लगा रहे थे कि वह तैयारी कर रहे होंगे, और सरकार की कमियों को निकालेंगे, जब कहीं कोई कमी नहीं मिली तो यह रह गया कि सदन को चलने नहीं देंगे । उन्होंने धनंजय सिंह के बारे में कहा, दोषी कर्मचारियों को निलम्बित करते हुये विभागीय कार्यवाही उनके विरुद्ध चल रही है । एक भी प्रकरण अगर सरकार के संज्ञान में आता है कि लापरवाही की गयी है, तो कठोर कार्यवाही की जाती है ।

राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है । इन सब चीजों की विस्तार से चर्चा हो सकती है । मैं इसमें आपकी क्या सहायता कर सकती हूं ? अगर आप प्रयास करते तो कुछ न कुछ मिल सकता था । तमाम सदस्य अपने अधिकारों से वंचित रह गये । तमाम महत्वपूर्ण सवाल थे । मौर्या जी सवाल उठाना चाहते थे, वह नहीं उठा सके । विधान सभा को रैनसम पर नहीं रखा जा सकता है । आप अपने आचरण में सुधार लायें ।

श्री धनीराम वर्मा–

पहले आप अपने आचरण में सुधार लायें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने नेता प्रतिपक्ष और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लिया है । अब मैं नियम 311 की सूचनाएं ले रहा हूं ।

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम 299 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रमोद कुमार–

मैं नियम 299 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । अगर आप नहीं सुनेंगे तो क्या फर्क रह जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने नियम 299 के प्राविधानों को पढ़ लिया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं चिंतित हूं, जब कोई अधिष्ठाता विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 299 को प्रयोग करता होगा । आज जिन परिस्थितियों में माननीय सदस्यों को निलम्बित किया गया, जब वह जनहित का मुद्दा उठा रहे थे । आप नियम 299 (4) को देखने का कष्ट करें ।

(व्यवधान)

मैं विनम्रतापूर्वक एक आग्रह करना चाहता हूं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (शोर)

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, सदन का समय नष्ट किया जा रहा है। यह व्यवस्था का नहीं बल्कि अव्यवस्था का प्रश्न है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय आप देंगे या माननीय सदस्य देंगे।

श्री अधिष्ठाता–

अभी व्यवस्था की बात ही नहीं आयी है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप नियम 299 के उप नियम 3 को देख लें। जब कभी निष्कासित किया जाता है तो एक दिन के लिये निष्कासित किया जाता है और विशेष परिस्थितियों में 3 दिन के लिये निष्कासित करते हैं और उसके बाद 7 दिन के लिये कर सकते हैं।

(शोर)

मान्यवर, यह सदन आप चलायेंगे या सत्ता पक्ष चलायेगा।

आपको पहले इंगित करना चाहिये था और उस दिन के लिये निष्कासित करना चाहिये था। आपने न तो 3 दिन और न 7 दिन बल्कि आपने शेष सत्र के लिये निष्कासित करने का आदेश दे दिया ; यह कठोर निर्णय है, [xxx]। आप अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करें और अगर निष्कासन करना ही आवश्यक समझें तो एक दिन के लिये करें। सदन की कार्यवाही केवल नियमों से ही नहीं चलती हैं बल्कि सौहार्दपूर्ण तरीके से परम्पराओं से भी चलती है। इसलिये आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और जिन सदस्यों को निष्कासित किया है उसको वापस ले लें। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा और नेता सदन से अनुरोध करूंगा कि इस पर पुनर्विचार कर लें और जो सदस्य बाहर निकाले गये हैं उनको बुला लें। बेहतर तो यह होता कि अध्यक्ष महोदय के कक्ष में पहले वार्तालाप किया जाता लेकिन वह नहीं किया गया और हम लोगों को बुलाया नहीं गया। [x x x]

(संसदीय कार्य मंत्री जी को पुकारे जाने पर)

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

एक व्यवस्था का प्रश्न माननीय प्रमोद कुमार जी ने उठाया और उन्होंने अपनी बात कह दी। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लूं उसके बाद निर्णय दूंगा।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आप सुन लें, मैं कोई अनुचित बात नहीं कहने जा रहा हूं।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

पहले एक व्यवस्था के प्रश्न का निस्तारण होने दें । माननीय पाल जी आप एक सम्मानित और विद्वान सदस्य हैं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हुये हैं । उनको सुन लें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं इस सदन में चुनकर आया हूं । मैं उस पीठ से व्यवस्था मांग सकता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पाल जी, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है लेकिन हम सब 426 सदस्य हैं । अगर एक साथ सब व्यवस्था का प्रश्न उठायें या एक-एक करके व्यवस्था का प्रश्न उठायें तो सदन की कार्यवाही चलाना सम्भव नहीं हो पायेगा । आपको नियमावली के प्रति बहुत सहिष्णु और संवेदनशील होना पड़ेगा । केवल सदन में छा जाने या रैन्सम पर खड़े होने की बात होगी तो सदन को चलाने में कठिनाई होगी और यह लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रह पायेगा यह विचार करना पड़ेगा ?

आप आसन ग्रहण कर लें, मैं जानता हूं कि आप विद्वान सदस्य हैं, आप सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहेंगे, आप की बात बहुत गम्भीर होगी और सबके लिए उपादेयी होगी । व्यवस्था का एक प्रश्न आया है, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को अपनी बात कहने दीजिए ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आप सदस्यों के हितों के संरक्षक हैं तथा बहुत विद्वान हैं । माननीय सदस्य जो सत्तापक्ष या प्रतिपक्ष के हैं उस माननीय सदस्य की व्यवस्था के प्रश्न को इस पीठ से अनुमति नहीं मिलेगी तो वह माननीय सदस्य अपनी अभिव्यक्ति कहां करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

पूरा अधिकार प्रत्येक माननीय सदस्य को है किन्तु व्यवहारिक रूप से एक व्यवस्था के प्रश्न पर जब तक व्यवस्था न आ जाये तब तक दूसरा व्यवस्था का प्रश्न नहीं होना चाहिए ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जब सदन व्यवस्थित हो जाता है तो आपने हमारी विनती को भी सुना है और माननीय सदस्यों को वापस भी बुलाया गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपा करके अपना स्थान ग्रहण कर लें । मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, इसके पूर्व व्यवस्था के प्रश्न के ऊपर कुछ कहूं, मेरा आग्रह है कि एक बात कही गयी कि अध्यक्ष के पीठ का फैसला अनुचित है । मान्यवर, फैसले के ऊपर टिप्पणी करना सदन का अपमान है, अनुचित है इसको कार्यवाही से निकलवा दिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

जो शब्द असंसदीय या अनुचित होंगे उन्हें कार्यवाही से निकलवा दिया जायेगा ।

श्री हुकुम सिंह–

दूसरी बात की माननीय सदस्य संविधान के और नियमों के ज्ञाता हैं । उन्होंने नियमों का हवाला देते हुये कहा कि पहले इंगित कराना चाहिए उसके बाद एक दिन उसके बाद 3 दिन और फिर 7 दिन के लिए निलम्बित करना चाहिए । मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य

संचालन नियमावली, 1958 के नियम 299 (3) (ग) पढ़ना चाहता हूं, जो इस सदन में आपने कृपा पूर्वक पढ़कर सुनाया है । "सदन द्वारा निलम्बित सदस्य बाध्य होंगे कि वे सदन के परिसर का तुरन्त परित्याग करें । किन्तु ऐसा न करने पर और अध्यक्ष द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किये जाने पर कि बल का प्रयोग अनिवार्य हो गया है, निलम्बित सदस्य, बिना किसी अग्रेतर प्रस्ताव के सत्र की अवशिष्ट कालावधि के लिए निलम्बित हो जायेंगे ।"

मान्यवर, आपने कृपा पूर्वक एक नहीं 10-10 बार आग्रह और अनुरोध किया, ध्यान आकृष्ट किया कि जो निलम्बित हो गये हैं वह सदन को त्याग दें लेकिन किसी आदेश का पालन नहीं किया । दुबारा आपने कृपा पूर्वक इस नियम को पढ़कर सुनाया । आपने यह कहा कि आप सदन को नही चलने देंगे तो उसका परिणाम यही होगा । आपके द्वारा ध्यान आकर्षित कर देना ही पर्याप्त है अगर कोई पीठ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसके लिए प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 299 (3) (ग) में स्पष्ट प्राविधान है ।

मैं प्रमोद जी से विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि वह इसके ऊपर न जाएं । आज रूलिंग हुई है । सदन इसी तरह चलेगा तो क्या होगा जनता देख रही है हम सभी चुनकर यहां पर अपनी-अपनी बात कहने के लिए आते हैं । तीन दिन से प्रश्न प्रहर हो नहीं रहा है । हम अपना जवाब देने के लिए तैयार हैं । तीन दिन से हमारी आंखें नेता विरोधी दल की तरफ लगी हैं कि आप महामहिम राज्य पाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार रखेंगे । यह कहना कि सरकार नहीं चलेगी-सरकार चल रही है, पूरे धमक के साथ चल रही है और चलती रहेगी ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)-

अगर आप तानाशाही से सरकार चलाना चाहते हैं तो जब तक यह समाजवादी पार्टी के विधायक हैं सदन में तब तक तानाशाही से सरकार नहीं चलने देंगे । आप प्रजातंत्र में धमकी देकर निलम्बित करते हैं, निष्कासित करते हैं । यह समाजवादी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है ।

(व्यवधान)

हम विधान सभा के अन्दर और बाहर गलत काम नहीं होने देंगे । यही हमारा निश्चय है । धमकी और डराकर हम चुप नहीं होंगे ।

श्री अधिष्ठाता-

किसी भी माननीय सदस्य को नियम 299 के तहत निलम्बित करना आनन्द की बात नहीं होती है । कितनी व्यथा और कितने कष्ट के साथ इस नियम का प्रयोग किया जाता है । इसको मैं स्वयं अनुभव कर रहा हूं । श्री प्रमोद कुमार जी ने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से अपनी बात रखी । यह बिल्कुल सही है कि किसी की भी यह इच्छा नहीं होती है कि कोई सदन से शेष कालावधि के लिए निलम्बित हो जाए । नियमों में प्राविधान है पहले उस दिन का सत्र समाप्त होने तक, फिर तीन उपवेशनों के लिए, फिर सात उपवेशनों के लिए निलम्बन । नियमावली में यह बिल्कुल स्पष्ट है । मैंने प्रत्येक स्थगन के पहले कम से कम पांच से 10 मिनट तक आग्रह किया कि आप लोग कृपया अपने-अपने आसन पर जाएं । उसके पश्चात मेरे पास निलम्बन करने के अलावा और कोई साधन नहीं था ।

इंगित करने के पश्चात् संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव लाये और नियमानुसार सदन ने उसको पारित किया । पारित होने के पश्चात् लोकतंत्र की यह मर्यादा होती है कि माननीय सदस्य सदन का त्याग कर चले जाएं अगर वह लोकतंत्र का सजग प्रहरी है । मैंने विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया कि सदन द्वारा

निलम्बन का प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है आप सदन का परित्याग कर दें । मेरी इस प्रार्थना पर जब ध्यान नहीं दिया गया, मेरे आग्रह को स्वीकार नहीं किया गया, मेरे अनुरोध को अनसुना कर दिया गया । तो नियम 299 (3) (ग) का में प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है यह मुझे बता दें । मुझे बाध्य होकर मार्शल से बल प्रयोग के लिए कहना पड़ा । इसका कष्ट जितना मुझे है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता ।

इस पीठ पर कोई भी बैठा हो । सभी की यह इच्छा नहीं होगी कि सदन न चले । सदन चलना चाहिए । यदि सदन नहीं चलेगा तो माननीय सदस्यों की यहां बात नहीं आयेगी । तो विधान सभा की उपादेयता क्या है ? प्रश्नकाल के माध्यम से पूरे प्रदेश की समस्याएं, स्थानीय समस्याएं और नीतिगत समस्याएं जो होंगी उनके उत्तर यहां आते हैं और उन पर टीका टिप्पणी करने का अवसर मिलता है । पिछले तीन दिनों से यह अवसर माननीय सदस्यों को प्राप्त नहीं हुआ । प्रत्येक दिन की कार्य सूची बनती है और उसके अनुसार यदि काम नहीं होगा और समय आने पर एजेन्डे के अनुसार कहने का अवसर नहीं मिलेगा तो जनता की समस्याओं का समाधान कैसे होगा ? यदि प्रश्नकाल नहीं होगा और सदन भी नहीं चलने देंगे तथा सदन में निलम्बन का प्रस्ताव पास किया जायेगा और उसे भी नहीं मानेंगे तथा पीठ के आग्रह पर सदन का त्याग नहीं करेंगे तो सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी ? हम में से किसी को भी सदन के नियमों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है । इस लिए मेरी स्पष्ट हार्दिक इच्छा है कि सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चले ।

श्री स्वामी प्रसाद जी आपने नियम 311 में जो सूचना दिया था उसकी ग्राह्यता पर बोलें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इस बिन्दु पर मुझे आपसे आग्रह करना है । मैंने आपकी बात बड़े गौर से सुना । आप विद्वान सदस्य हैं । मान्यवर, इस विधान सभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है कि विधान सभा की कार्यवाही सुचारु रूप से चले । मान्यवर, वैसे तो आप में यह शक्ति है कि आप पूरे विपक्ष को निलम्बित कर दें और एक तरफा सरकार का काम करें । मान्यवर, इस सदन की गरिमा इसी में है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों रहें । मान्यवर, चार दिनों से विधान सभा क्यों नहीं चली ? हम सभी चाहते हैं कि विधान सभा चले और विधान सभा चलाने के लिए जितनी विपक्ष की जिम्मेदारी है । उतनी ही सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है । अभी श्री प्रमोद कुमार जी बोल रहे थे और सत्ता पक्ष की ओर से शोर-शराबा किया जा रहा था जो नहीं होना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

ऐसे सदस्यों को मैंने शान्त कराया है । सदन का प्रत्येक सदस्य बराबर का अधिकार रखता है और बराबर का सम्मान रखता है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, सभी को धैर्य पूर्वक सुनना चाहिए । विपक्ष कोई बात कह रहा है और उसकी कोई बात कटु लगे लेकिन उसको भी उन्हें सुनना चाहिए । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

एक वरिष्ठ सदस्य को बोलने की अनुमति दी गई है । इस प्रकार व्यवधान पैदा करना उचित नहीं है । माननीय सदस्य को धैर्य पूर्वक सुनें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मैं चाहता हूं कि यह सदन चले । सदन नियमों से चले, जैसा आपने कहा भी । मान्यवर, आप भी विचार कर लें । इससे पूर्व तीन दिन तक जब भी माननीय अध्यक्ष जी ने सदस्यों को इंगित किया ।

आठ समाज वादी पार्टी के सदस्य इस विधान सभा में नहीं आ रहे हैं। उनके आदेशों का पालन किया। मैं आपसे आग्रह करता हूं और हम लोग नियमों का पालन करना चाहते हैं। विधान सभा को चलाना चाहते हैं।

आखिर तीन दिन से यह सदन क्यों उद्वेलित रहा ? तीन दिन से इसलिये उद्वेलित रहा क्योंकि एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ 302 का मुकदमा कायम हुआ और उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया। कानून से ऊपर तो कोई है नहीं। एफ० आई० आर० में उसका नाम दर्ज है। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं। स्वाभाविक है कि कानून का राज नहीं चल रहा था। इसलिये सदस्य उत्तेजित थे। मैं आपसे आग्रह करूंगा। आप चाहते भी है कि सदन में कोई इतिहास न बने। जहां तक मुझे याद है। पूर्व में कभी भी नेता विरोधी दल को सदन से निष्कासित नहीं किया गया है। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सात बार इस विधान सभा का सदस्य रहने का। मैं नियम–299 (4) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं –''सदन किसी समय प्रस्ताव किये जाने पर यह आदेश दे सकेगा कि उपर्युक्त उपनियम (3) के अधीन दिया गया निलम्बन का कोई दण्ड या उसका असमाप्त भाग निरस्त किया जाय।''

(सत्ता पक्ष के किसी सदस्य द्वारा बैठे-बैठे कुछ कहने पर–व्यवधान)

हम आपकी कृपा पर यहां नहीं आये हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आप पीठ को सम्बोधित करें तो अच्छा रहेगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय नेता सदन, माननीय पीठ तथा इस सदन के समक्ष मैंने एक प्रस्ताव रखा है। अगर आप प्रस्ताव मान लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हमें भी सदन से निलम्बित कर दिया जाय। हम भी सदन से चले जायेंगे अगर सदन को नियम तथा कानून से चलाना चाहते हैं तो बड़े मन से विधान सभा को चलाना चाहिये। पार्टी की दलगत भावना से ऊपर उठकर सदन को चलाना चाहिये। विधान सभा भी चले और नियम कानून से चले। इसलिये मेरा आपसे आग्रह है। माननीय नेता सदन, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से आग्रह है और आपसे भी आग्रह है कि आप इस पर पुनर्विचार कर लें। सदन का शान्तिपूर्ण माहौल बना रहे जिससे कि सदन चल सके।

(श्री जगदम्बिका पाल जी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप कौन सी व्यवस्था उठाना चाहते हैं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आपका आभारी हूं। इस सदन में जो कुछ भी अप्रिय घटना हुई और उसके परिप्रेक्ष्य में आपको जो कठोर निर्णय लेना पड़ा। उसके संबंध में मुझे कुछ भी नहीं कहना है। सदन के एक वरिष्ठ सदस्य ने सदन में एक प्रस्ताव रखा है। यह सदन साक्षी है। इस सदन में कई बार ऐसे उत्तेजना के क्षण आते हैं। जिसके कारण कई बार माननीय सदस्यों को विवश होकर इस तरह की कार्यवाही करनी पड़ती है। जिसके कारण इस प्रकार के फैसले हो जाते हैं। परन्तु इस प्रकार के फैसलों पर पुनर्विचार भी आप करते हैं। आज जो भी फैसला यहां पर हुआ। उसके संबंध में मुझे यह कहना है। आपने स्वयं भी उद्धरित किया कि जो भी सदस्य चुनकर आता है वह अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को यहां पर उठाता है। .....

श्री अधिष्ठाता–

आप व्यवस्था किस बात पर चाहते हैं ? आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, किस नियम के तहत यह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्त रहें । मैंने उन्हें अनुमति दी है । व्यवस्था के प्रश्न के लिये ।

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, मैं आपके सन्दर्भ का उल्लेख कर रहा हूं । आपने माननीय सदस्यों के अधिकारों की बात कही है । माननीय सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र या प्रदेश की समस्याओं या पार्टी की प्रतिबद्धता के माध्यम से अपनी समस्याओं को उठाया है । आपने सदन में एक फैसला लिया है । कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने एक प्रस्ताव रखा है और अनुरोध है कि उस प्रस्ताव पर विचार किया जाय ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव किया उस पर पुनर्विचार कर लें । पूरा सदन पुनर्विचार कर ले । यह आवश्यक नहीं कि आज आप पक्ष में हैं तो कल विपक्ष में नहीं होंगे । मेरा अनुरोध है कि इसमें कोई दलगत भावना न हो । अभी पूरा बजट सत्र पड़ा है । आठ सदस्यों का निष्कासन पहले हो चुका है और आज भी कई सदस्यों का निष्कासन हुआ है । इस तरह से पहले भी निष्कासन होते रहे हैं लेकिन उन पर पुनर्विचार किया जाता रहा है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस पर विचार फिर से कर लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

यह तो ठीक नहीं है कि आप व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर पूरा भाषण दे दें । इसी टेन्डेन्सी के कारण दिक्कत पैदा हो रही है । आप व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं और व्यवस्था के नाम पर आप पूरा भाषण दे रहे हैं । व्यवस्था के प्रश्न पर आप किस बात पर व्यवस्था चाहते हैं समुचित रूप से संक्षेप में आना चाहिए । मैं इसको ठीक नहीं समझता हूं । जो प्रस्ताव किया उसको बड़ी प्रतीक्षा के बाद किया ।

(श्री बी० आर० वर्मा के खड़े होने पर)

आपको कुछ कहना है वर्मा जी ।

* श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, अभी जो कुछ निर्णय आपकी पीठ से लिया गया वह कोई खुशी में नहीं लिया गया है । आपकी भी विवशता होती है । सत्ता पक्ष की अपनी विवशता होती है और विपक्ष की अपनी विवशता होती है । यह सदन वाद-विवाद का स्थल है । इसमें अपनी बातों को तर्क के साथ जितने प्रभावशाली ढंग से रखा जा सकता है । विपक्ष को अपनी बात तर्क के साथ रखनी होती है तो सत्ता पक्ष को उतने ही तर्क के साथ उत्तर देना चाहिए । कहीं-कहीं गतिरोध पैदा हो जाता है जिससे मजबूर होकर माननीय सदस्यों को जैसाकि इसका नाम रखा गया है 'वेल', इसमें आना पड़ता है । जैसाकि इसका नाम है "वेल" अनायास ही कोई कुंए में नहीं कूदना चाहता है । आत्महत्या के लिये मजबूर होकर ही कोई कुंए में कूदता है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्त रहें । माननीय वर्मा जी को बोलने तो दें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, अध्यक्ष पीठ पर आप विराजमान हों और 42 सदस्य उपस्थित हों तो मान्यवर, सदन तो हो जाता है । सदन तो चलता है लेकिन मान्यवर सही मायने में जिसके लिये वह बना है पक्ष और विपक्ष न हों तो मान्यवर, जिस विपक्ष की कल्पना की गई है "वह भारत की उस प्राचीन संस्कृति की अवधारणा से की गई है" निन्दक नियरे राखिये आंगन कुटी छवाय...

इसलिये मान्यवर, इस अवधारणा के अन्तर्गत सदन में विपक्ष का रहना अति आवश्यक है । सदन को सुचारु रूप से चलाने की जिम्मेदारी सभी माननीय सदस्यों की होती है । आपकी पीठ की भी जिम्मेदारी होती है । आपने नियम–299 के अन्तर्गत बहुत दुःखी मन से कार्यवाही की है और वह वेदना और दुःख आपकी वाणी से परिलक्षित हो रहा है । माननीय सदस्यों के प्रति जो प्रस्ताव लाया गया वह कोई खुशी में लाने की आपकी तमन्ना नहीं थी ।

सभी माननीय सदस्यों को बाहर करने की तमन्ना नहीं थी उनको प्रस्ताव लाना पड़ा । जिस नियम–299 में धारा 299 (1) 299 (2) 299 (3) है 3–क, ख है इसमें मान्यवर, अन्त में चार भी है जिस धारा चार की तरफ हमारे तमाम माननीय सदस्यों ने आपका ध्यान आकर्षित करते हुए आपसे अनुरोध किया है और उस कुर्सी पर से इस सदन की मान्य परम्परायें भी रही हैं । आप जैसा उदार व्यक्ति उस कुर्सी पर विराजमान है । यह निर्णय आपको विवशता में करना पड़ा है । वाद-विवाद यहां पर हो और सही ढंग से यह सदन चल सके । सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी भूमिकायें सही ढंग से निभा सकें । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि 299 (4) के अन्तर्गत जो रेवती रमण सिंह जी ने प्रश्न रखा है उसे मान लें ।

मान्यवर, आपने और संसदीय कार्य मंत्री जी ने दुखी मन से प्रस्ताव को सदन के सामने प्रस्तुत करके माननीय सदस्यों का निलम्बन किया है उन सभी सदस्यों का निलम्बन वापस हो और यहां पर सही मायने में जो सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका है हम सब अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें । सदन में जो बातें कही जाती हैं वह जनता तक संदेश जाता है । सही ढंग से सदन में हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें । सदन को चलाने में जो धन खर्चा होता है उसका सही सदुपयोग कर सकें इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि रेवती रमण सिंह जी द्वारा रखा गया प्रस्ताव 299 (4) के अन्तर्गत जो रखा गया है और माननीय प्रमोद कुमार जी ने भी रखा है इस पर पुनर्विचार कर लें और माननीय सदस्यों का निलम्बन वापस ले लें ताकि उनको भी सदन में आने का मौका मिले ।

* श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया ।

श्री अधिष्ठाता–

क्या व्यवस्था का प्रश्न कर रहे हैं ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष और कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने अपने व्यवस्था के प्रश्न पर कहा कि विगत तीन दिनों तक सत्र इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि एक व्यक्ति 302 में नामित था उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है मैं इस बात पर व्यवस्था चाहता हूं कि क्या सदन जो सदन चलाने की प्रक्रिया है नियमावली है उसमें कहीं कोई व्यवस्था है ? किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वह अलग प्रक्रिया है वह सदन की प्रक्रिया में व्यवस्था नहीं है । क्या विपक्ष माननीय सदन को इस बात के लिए बाध्य कर सकता है कि जब तक उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक सदन नहीं चलने देंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष माननीय रेवती रमण सिंह, जी माननीय प्रमोद तिवारी जी, माननीय पाल जी, और माननीय वर्मा जी को सुना । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी अपनी बात कही । मैं शब्दों में अपनी व्यथा को पाग नहीं पा रहा हूं । आज प्रश्नकाल में सदन की कार्यवाही चलने दें । ऐसी मंशा नज़र नहीं आई । प्रश्नकाल प्रश्नों के लिए होता है । पूरे प्रदेश की जनता की समस्याओं से संबंधित प्रश्न नीतिगत प्रश्न यह सारे प्रश्न आते हैं । मेरी जानकारी है, ठीक जानकारी है । माननीय अध्यक्ष जी ने आग्रह किया कि प्रश्नकाल के बाद कोई बात होगी तो हम प्रयत्न करेंगे कि अवसर दें । प्रत्येक माननीय सदस्य को अपनी बात कहने के लिए विशेष-विशेष प्रकार के अलग-अलग अवसर होते हैं । कोई नियम आपत्ति की बात है तो वह नियम–300 में उठाया जाता है । नियम–56 का और नियम–311 का भी हम उपयोग करते हैं । नियम–301 में कोई ऐसी बात आती है जो नियम–300 में नहीं आती है तो उसका उपयोग करते हैं । इसी तरह से अन्य नियम बने हुए हैं । हम अपनी बात को कहने के लिए उन नियमों का उपयोग कर सकते हैं । प्रश्न काल एक बार स्थगित हुआ आधे घण्टे के लिए फिर दोबारा पूरा प्रश्नकाल 12.20 तक स्थगित हो गया । फिर स्थगन हुआ और सदन चलने नहीं दिया गया । मैंने बारम्बार आग्रह किया कि आप लोग कृपया सदन चलने दें लेकिन मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया गया ।

माननीय नेता प्रतिपक्ष उस समय उपस्थित नहीं थे जब इनके सदस्य प्रथम बार सदन के फ्लोर पर आये । नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो इससे क्या विधान सभा की गरिमा बढ़ेगी ? माननीय वर्मा जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि इस सदन को चलाने की जिम्मेदारी एक-एक व्यक्ति की है, अनुशासन के बिना सदन नहीं चल पायेगा । मान लीजिये चार सदस्य सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं तो बाकी के 422 माननीय सदस्य अपने अधिकारों का हनन होते देख मूक रहेंगे । आप लोग पीठ के बार-बार आग्रह करने के बावजूद नहीं माने और मुझे नियमावली के नियम–299 (3) (ग) का प्रयोग करना पड़ा । इसका प्रयोग साधारण परिस्थितियों में नहीं किया जाता है । सदन ठीक चले यह सबकी मंशा है, सारे सदस्य अपनी बात को कहें यह हमारी मंशा है और यही इसकी उपादेयता और उपयोगिता है । नियम–311 में जो सूचना आयी है मैं माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी से आग्रह करूंगा कि वे कृपया ग्राह्यता पर अपनी बात कहें ।

(व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, जिस तरीके से संसदीय कार्य मंत्री ने आरोप लगाया कि नेता विरोधी दल के पास कोई चीज कहने को नहीं है, मान्यवर, पुनः निवेदन है कि इस सरकार के काले कारनामों का जो दस्तावेज है अगर 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन उस पर सदन में बोला जाय तो भी समय कम पड़ जायेगा यह चाहते हैं कि इन काले कारनामों को सदन में न लाया जाये, जनता तक वह बातें न पहुंच सकें इसलिए सत्ता पक्ष जानबूझकर हम लोगों का निलम्बन करा रहा है । हमें अपनी बात कहने के लिए यहां मौका नहीं दिया जा रहा है इसलिए श्रीमन् मैं और हमारे साथी इस बात का विरोध करते हैं जो हमारे सदस्यों को जो अपनी बात सदन में नियमानुसार संविधान के अनुसार रखना चाहते थे, उनको मौका न देकर निलम्बित कर दिया गया ।

इसलिए मैं इस सदन में बार-बार यही आग्रह करूंगा कि उनका निलम्बन समाप्त करके उन्हें पुनः वापस बुलाया जाय और सदन की कार्यवाही को विधिवत् चलाया जाय । यह मेरा बार-बार अनुरोध है, अन्यथा इस तरह से मनमाने तरीके से सदन की कार्यवाही, बार-बार मैंने कहा है कि नियम से सदन चलेगा, मनमाने तरीके से सदन नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा । हम लोग मजबूरी में, आपसे आग्रह करेंगे कि हम लोगों के रहते हुए, समाजवादी पार्टी के रहते हुए, मनमाने ढंग से नहीं चलने देंगे । पुनः आग्रह करते हुए पुनः विचार के लिए कहा है, श्रीमन्, जब तक हम लोग सदस्य रहेंगे विधान सभा के सदस्य रहेंगे तब तक बार-बार संविधान नियमावली के अनुसार अपनी बात कहने के लिए बार-बार प्रयास करेंगे, भले ही हमारी बात को दबाने की कोशिश की जाय ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्ति बनाये रखिये ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, इस तरीके से सत्ता पक्ष के प्रयासों से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं जो भयभीत करने का प्रयास है हम लोग भयभीत होने वाले नहीं हैं ।

(कुंवर रेवती रमण सिंह के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

एक मिनट मैं अपनी बात कह लूं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, हमारी भी बात है उसको सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, हमारा भी विरोध है हमारे माननीय सदस्यों को अनाधिकार तरीके से, मनमाने तरीके से निलम्बित किया गया है तो उस बात के विरोध में हम अपनी बात कहेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

मेरा निवेदन सुन लें ।

माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपकी भावनाओं का हम भी पूरा सम्मान करते हैं । यह श्रेयष्कर होता कि जब पीठ से बार-बार अनुरोध हो रहा था माननीय सदस्य अपने स्थान पर वापस चले जायें, लेकिन

उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया अब कृपा करके सदन की कार्यवाही को व्यवस्थित ढंग से चलने दें। जब विधान सभा ने निलम्बन का प्रस्ताव पास कर दिया, अगर हम नियमों का हवाला देते हैं तो अगर कार्यवाही में हम सहयोग नहीं करेंगे तो नियमों का किस तरह से पालन होगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, हम नियमों का उपयोग करने के लिए तैयार हैं इसीलिए बार-बार अनुरोध कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

नियम–311 में एक सूचना आ गयी है।

श्री धनीराम वर्मा–

उसको सुन लिया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

जब सदन प्रारम्भ किया था तो उसमें व्यवधान उत्पन्न हुआ व्यवधान में पूरा प्रयत्न था कि सदन ठीक से चले। व्यवधान होने के कारण कोई अपनी बात नहीं कह पाया, कृपया कार्यवाही को उसी तारतम्य में चलने दें। माननीय सदस्य के बोलने के बाद माननीय संसदीय कार्यमंत्री कुछ कहना चाहेंगे तो उनको सुनेंगे। लगभग सात माननीय सदस्यों की सूचना है मैं माननीय मौर्या जी से भी निवेदन करूंगा कि संक्षेप में ही बोला जाय। उसके बाद माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे तो उनको सुनेंगे, पीठ से जो निर्णय होगा उसको बता देंगे।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैंने 299(4) का हवाला दिया, निलम्बित सदस्यों को कृपया वापस बुला लिया जाय। 311 में हमारा भी सवाल लगा हुआ है मेरा आपसे आग्रह है कि नया इतिहास न बनायें। अगर आप लोग चाहते हों तो हम लोगों को भी निलम्बित कर दें। आप 311 जरूर लें लेकिन यह जो सवाल हम लोगों के सामने खड़ा हो गया है उसको शान्तिपूर्वक इस तरह से हल कर विधान सभा सुचारु रूप से चले। अगर इसको मानना नहीं चाहते हैं तो मान्यवर, हमको, नेता विरोधी दल को और बाकी जितने समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं उनको आप निलम्बित कर दें, फिर आप बखूबी विधान सभा चलायें।

श्री अधिष्ठाता–

ऐसी मंशा न किसी की थी, न है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं केवल एक बार वेल में आया है। मान्यवर, एक रास्ता बचा है विधान सभा चले तो उस पर हमने आग्रह किया है यहां नेता सदन भी हैं संसदीय कार्यमंत्री जी भी हैं हमारा आग्रह है कि विधान सभा को सुचारु रूप से चलाने के लिए हमारा आग्रह मान लें यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं कि श्रेयस्कर होता, जब माननीय सदस्य यहां पर अव्यवस्था कर रहे थे या वेल में आ गये थे तो यह बात उनसे कहते, मैंने उस समय सबका सहयोग मांगा था। मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज की कार्यवाही चलने दें इस पर विचार जब ठीक अवसर आयेगा तो कर लिया जायेगा।

(श्री धनीराम वर्मा सहित समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य सदन के वेल में आकर बैठ गये)

श्री अधिष्ठाता–

मुझे बहुत कष्ट है, हार्दिक कष्ट है, कृपया वेल छोड़कर अपना आसन ग्रहण कर लें । श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी बात कहें ।

(सदन के वेल में आये हुए सदस्य जोर-जोर से नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं अनुरोध कर रहा हूं पहले आप सदन को व्यवस्थित करें तब मैं अपनी बात कहूं ।

श्री अधिष्ठाता–

अगर आपको अपनी बात कहने का अधिकार है तो दूसरे सदस्यों को भी अपनी बात कहने का अधिकार है । मैं आग्रह कर रहा हूं कृपया अपने स्थान पर जायें । माननीय नेता विरोधी दल और माननीय रेवती रमण सिंह जी, आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा ।

आप सब बड़े विद्वान, नियमों और लोकतन्त्र के प्रहरी हैं । मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कृपया अपने स्थान पर जायें और सदन की कार्यवाही चलने दें ।

* श्री मुन्ना चौहान (सदन के वेल से) [x x x]

श्री अधिष्ठाता–

सदन के वेल से बोली हुई किसी माननीय सदस्य की कोई बात नहीं लिखी जायेगी न कार्यवाही में अंकित होगी और न प्रेस के माध्यम से जायेगी । कृपया अपने आसन पर जाइये ।

जो माननीय सदस्य वेल में बैठे हैं मैं उनसे बार-बार विनम्र अनुरोध करता हूं कि कृपया अपना आसन ग्रहण कर लें।

श्री मुन्ना चौहान (वेल से) [x x x]

(घोर व्यवधान)

नेता विरोधी दल, श्री धनीराम वर्मा, श्री मुन्ना चौहान, श्री इकबाल महमूद, श्रीमती गौरी देवी, श्री सौलत अली, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री अफजाल अहमद, श्री तौफीक अहमद, श्री अम्बरीष कुमार, श्री योगेन्द्र कुमार तथा श्री आलमबदी को सदन की सेवा से निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव

(समाजवादी पार्टी के सदस्य वेल में बैठे-बैठे नारे लगाते रहे)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता प्रतिपक्ष अपने सदस्यों को अपने-अपने स्थान पर चलने के लिए कहें । आप मेरा सहयोग करें ।

(व्यवधान)

मैं बाध्य होकर माननीय सदस्यों को इंगित कर रहा हूं, श्री धनीराम वर्मा, श्री मुन्ना चौहान, श्री इकबाल महमूद, श्रीमती गौरी देवी, श्री सौलत अली, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री अफ़ज़ाल अहमद, श्री तौफ़ीक अहमद, श्री अम्बरीष कुमार, श्री योगेन्द्र कुमार तथा श्री आलमबदी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 299 के उप नियम (3) के उपबन्धों के अनुसार जिन माननीय सदस्यों को माननीय अधिष्ठाता द्वारा इंगित किया गया है, सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि निलम्बन का जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

मैं निवेदन करता हूं कि माननीय सदस्य सदन का परित्याग कर दें।

(जिन माननीय सदस्यों को इंगित किया गया, उन्होंने सदन का परित्याग कर दिया)

पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के साथ बलात्कार, अपहरण की घटनाओं से जनता में आक्रोश के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं दलितों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 311 में सूचना दी है, उसके बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मान्यवर, आज पूरे उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है, समूचे उत्तर प्रदेश में दलितों पर बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको सताया जा रहा है और उनको परेशान किया जा रहा है। कहीं पर उनकी हत्यायें हो रही हैं, कहीं पर आगजनी हो रही है और कहीं पर दलित महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है। मान्यवर, जब हम इनको देखते हैं तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है, उस विषय में मैं आपकी सूचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मान्यवर, 2 फरवरी, 1999 को प्रतापगढ़ जनपद में सांगीपुर थाना के अन्तर्गत पहाड़पुर गांव में....

श्री अधिष्ठाता–

आप अपने को ग्राह्यता तक सीमित रखें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी कानून की दुहाई देते हैं और कानून की रक्षा के लिए 10 टाप की सूची बनाकर कानून की रक्षा की बात कही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गांव पहाड़पुर थाना सांगीपुर में टाप टेन अपराधी हिस्ट्रीसीटर अपराधी जो 15 लोगों की हत्याओं का दोषी है जिसका नाम राजू मिश्र पुत्र राजेश्वर मिश्र दहिनहन का पुरवा पहाड़पुर का निवासी है उसने अलगूराम चौधरी नाम के दलित की 1 बजे हत्या कर दी है। इस घटना की एफ०आई०आर० लिखाई गई लेकिन जो हिस्ट्रीशीटर हैं, टाप 10 में आता है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उसका हौसला इतना बढ़ गया है कि उसने मृतक की पत्नी एवं बेटे एवं बेटी जो इस घटना के चश्मदीद गवाह हैं उनको जान से मारने की धमकी दे रहा है। ललिता देवी मौर्य पत्नी हरिश्चन्द्र मौर्य जो गवाह है उसको मारने की धमकी दी जा रही है। अलगूराम चौधरी की पत्नी जिन्नाता को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मृतक अलगूराम के दो लड़के देशराज और कुलराज जिनकी उम्र 15 साल और 13 साल है उनको भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इसी प्रकार से मान्यवर, गांव विरींच थाना कौशाम्बी, जनपद कौशाम्बी में 5-1-99 को श्रीमती फूलमती जिसकी उम्र 19 साल थी उसके साथ बलात्कार किया गया । उसके स्तन काट दिये गये । हाथ काट दिये गये पैर काट दिये गये, और पेट फाड़ डाला गया तथा गला काट कर हत्या की जाती है । घटना की एफ०आई०आर० लिखाई गई लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है । इसी प्रकार से गांव थाम्बा थाना मंझनपुर, में विसनू देवी पत्नी मैकू पासी के साथ बलात्कार किया गया और इसकी हत्या कर दी गई । मामले की एफ०आई०आर० की गई लेकिन आज तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है । मान्यवर, इसी प्रकार मण्डौर थाना उतरांव, इलाहाबाद में 6 दलितों, दयाराम, जवाहर, मिठाई लाल, दुखहरन, नोहर के घर वहां के शोरेपुस्त लोगों, गुण्डों द्वारा गिरा दिये गये और जबरिया कब्जा कर लिया गया लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद भी एफ०आई०आर० नहीं लिखी गई । इसी तरह से तोपखाना थाना कोतवाली पुरवा जिला–उन्नाव में नायब तहसीलदार और लेखपाल तथा वहां के गुण्डों ने जाकर दलित महिलाओं के साथ मारपीट की उनके साथ दुर्व्यवहार किया । वहां के दलितों ने मुख्य मंत्री, आई०जी०, डी०जी०पी० को सूचना दी लेकिन आज तक दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई उल्टे उन्हीं लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाकर परेशान किया जा रहा है । मान्यवर, इसी तरह से कौशाम्बी जनपद में संगीता पुत्री कन्हई निवासी बेला फत्तेपुर सवरई खुर्द पी०एस० सैनी कौशाम्बी के साथ बलात्कार किया गया । मामले की एफ०आई०आर० लिखाई गई लेकिन आज तक गिरफ्तारी नहीं की गई है । अभियुक्त लल्लू सिंह व कल्लू सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इसी प्रकार रविशंकर पुत्र रजवा रंगौली थाना कर्वी, अंबिका पुत्र होरिल चमरोहा थाना मानिकपुर, केदार पुत्र राम सलोने निवासी ओंझर थाना मऊ चित्रकूट जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी फर्जी मुठभेड़ करके हत्या कर दी गई । इसी प्रकार से थाना केराकत जनपद जौनपुर में किशोरी पुत्री छब्बू लाल और हीरावती को पुलिस कर्मियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी लेकिन हत्यारों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मौर्या जी विवरणात्मक बातें न करें । ग्राह्यता तक अपने को सीमित करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

सहारनपुर जनपद में चमनलाल की पुत्री सुनीता जो कश्यप बिरादरी की है वहां के थानाध्यक्ष ने बलात्कार करने के लिये दबाव डाला गांव वालों के दबाव के बाद पूरा मामला निपटा लेकिन आज भी थानाध्यक्ष कह रहे हैं कि मैं जब तक अपनी मंशा पूरी नहीं कर लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा । यह सरकार कानून की दुहाई देती है लेकिन यहां खुला नंगा नाच हो रहा है । कानून के रखवाले, कानून की धज्जियां उड़ाने के लिये उतारू हो गये हैं । थाना चंडया जिला हाथरस के चितावर गांव में एक दलित महिला के साथ थानाध्यक्ष द्वारा बलात्कार किया गया ।

थानाध्यक्ष पुलिस कर्मियों के साथ उसके घर पर जाते हैं और कंधे पर उठाकर उसे ले जाते हैं और रात 1.00 बजे तक उसके साथ बलात्कार करते रहे लेकिन एफ०आई०आर० नहीं होती है । वहां के हमारे विधायक रामवीर उपाध्याय जब वहां के एस०पी० को घेरते हैं तो एफ०आई०आर० तो होती है लेकिन उस थानाध्यक्ष की गिरफ्तारी नहीं होती है । मान्यवर, इसी परिप्रेक्ष्य में आपसे कह देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने आजमगढ़ में 50 दलितों के घरों को जलाने का काम किया है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में दलितों पर एक सोची समझी रणनीति के तहत कहर बरपा किया जा रहा है और यह भयमुक्त समाज का नारा देने वाली सरकार मूकदर्शक बनी बैठी है । यह सरकार अपने गुण्डों और माफियाओं को तथा पुलिस कर्मियों और थानाध्यक्षों को दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती करने के लिये छूट दे रखी है । मैं आपके माध्यम से यह कह

देना चाहता हूं कि सरकार का यह दोहरा चरित्र है कहने के लिये कुछ और करने के लिये कुछ और मुंह में राम बगल में छूरी । इसका दोहरा चरित्र है । पूरे उत्तर प्रदेश में दलित असुरक्षित हैं, पिछड़े वर्ग के लोग असुरक्षित हैं और अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं । आज दलितों में भय पैदा हो गया है । आज उन पर कहर बरपा किया जा रहा है । आगजनी, हत्या, बलात्कार के माध्यम से और अन्य उत्पीड़न के माध्यम से यह बहुत ही लोकमहत्व का विषय है । मान्यवर, मैं अपसे अनुरोध करता हूं कि इस लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराने की अनुमति दें जिससे की दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो सके । जो भारतीय जनता पार्टी का [× × ×] चरित्र है यह पूरे उत्तर प्रदेश में बेनकाब हो सके । मैं समझता हूं कि आप हमारी बात को गम्भीरता से लेंगे । हमें आपका जो संरक्षण मिला हुआ है, पूरी उम्मीद करता हूं कि इस पर आप चर्चा के लिये हमें इजाजत देंगे ।

* श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, [× × ×] और [× × ×] शब्द असंसदीय है, इसको कार्यवाही से निकलवा दिया जाये ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, हमने [× × ×] शब्द नहीं कहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

हम इसको दिखवा लेंगे ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, इस लोक महत्व के विषय पर आज जो पूरे उत्तर प्रदेश में एक भय का वातावरण पैदा हो गया है । जो एक आतंक का वातावरण पैदा हो गया है । जो पूरे प्रदेश के दलित शोषित तबके के लोग असुरक्षित हो गये हैं । उनकी सुरक्षा की गारण्टी सुनिश्चित करायें एवं इस पर चर्चा कराई जाये । यह जो सरकार पूरे प्रदेश के दलितों पर कहर बरपा रही है । अभी-अभी कौशाम्बी के एक माननीय सदस्य अपने क्षेत्र में गये थे उन्होंने बताया कि वहां पर एक दलित महिला के साथ बलात्कार की घटना घटित हुई तो जब तक कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को दण्डित नहीं किया जायेगा । .....

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

तब तक इसी प्रकार की घटनायें होती रहेंगी । आप सदन के सारे नियमों को निलम्बित करके इस पर चर्चा करायें । इसके साथ ही कौशाम्बी के विधायक को भी इस पर बोलने की अनुमति दें ।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर 7 माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं । इनमें से तीन माननीय सदस्य अपनी बात कह लें क्योंकि अभी और भी अनेक काम हैं । महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होनी है । इसलिये दो माननीय सदस्य अपनी बात कह लें ।

[× × ×] :–यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

आप तीन माननीय सदस्यों को सुन लें ।

श्री बी०आर०वर्मा–

इसी विषय पर एक माननीय सदस्य की और सूचना है आप उसको भी साथ-साथ ले लें ।

श्री अधिष्ठाता–

समय आने पर उनको सुन लेंगे ।

श्री बी०आर०वर्मा–

आप इसी सूचना के साथ उनको सम्मिलित कर लें ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

आप श्री रामवीर उपाध्याय, श्री भगवती सागर, श्री रामपाल को सुन लें । श्री जगदीश राय की जगह श्रीराम पाल को सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है । श्री श्रीराम पाल जी को सुन लेंगे ।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, दिनांक 11-2-99 की रात 9 से लेकर डेढ़ बजे तक श्री राठौर, थानाध्यक्ष ने श्रीमती राम देवी को थाने पर रखा और अपने कमरे में उसके साथ रात डेढ़ बजे तक बलात्कार करते रहे । उसके बाद थानाध्यक्ष ने श्रीमती राम देवी के बड़े भाई के लड़के को बुलाया और उसके सुपुर्द उसे कर दिया । मान्यवर, उस महिला ने एस०पी० को बताया तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई । मैं उस दिन लखनऊ में था । वहां पुलिस कप्तान ने सी०ओ० को जांच के लिये भेजा । तो तथ्य सही पाये गये । उसके पश्चात् 23/99 सेक्शन .....

(इस समय 3 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुये ।)

376 में उसकी रिपोर्ट लिखी गई और तब केस रजिस्टर्ड हुआ । इस संबंध में डा० से निरीक्षण कराया गया । डा० ने निरीक्षण में पाया कि महिला के कपड़े पेटीकोट खराब थे जिसे सील नहीं किया गया । इसमें सिलाइड जो ली गई वह 12 तारीख को अलीगढ़ के सी०एम०एस० डा० एम०पी० बंसल के पास भेजी गई । सिलाइड और रिपोर्ट बदलने का प्रयास किया गया । आज तक 4 दिन हो गये हैं लेकिन उसकी परीक्षण रिपोर्ट नहीं भेजी गई है । मैंने इस संबंध में वहां के एस०पी० से अनुरोध किया था कि उस महिला की और उसके परिवार की सुरक्षा की जाये लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है तथा केस को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है ।

मान्यवर, जब थानाध्यक्ष दलित महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहा है तो संविधान, दलितों और गरीबों की कौन रक्षा करेगा । मान्यवर, अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिनियम का यह सरकार विरोध कर रही है । इस सरकार के समय में दलितों के साथ अनाचार और अत्याचार किया जा रहा है ।

मान्यवर, चूंकि मैं [× × ×] और मेरी कान्स्टीटयून्सी और [× × ×] को कान्स्टीटयून्सी आसपास है इसलिये मेरे साथ भी अत्याचार किया जा रहा है और मेरे खिलाफ झूठे मुकदमें दर्ज कराये गये हैं । इसलिये मैं आपका संरक्षण चाहता हूं चूंकि आप हमारे अधिकारों के और संविधान के रक्षक हैं । इसलिये इस सरकार में दलितों शोषित और महिलाओं के साथ जो अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है उसमें आपसे अनुरोध है कि निष्पक्ष जांच करायें और डा० से निष्पक्ष मुआयना करायें ।

* श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, नियम 311 की सूचना पर बोलते हुये आज जो अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के ऊपर उत्तर प्रदेश में हर जिले में अन्याय, अत्याचार और महिलाओं के साथ बलात्कार की जो तमाम घटनायें हो रही हैं यह पूरे प्रदेश में दलित और शोषित समाज के ऊपर हो रहा है । इसका मुख्य कारण प्रदेश में जैसे ही श्री कल्याण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी और सरकार के बनते ही अनुसूचित जाति, जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम को निष्प्रभावी करने के लिये शासनादेश जारी किया गया । उन शासनादेशों के जारी होते ही पूरे प्रदेश में एक सन्देश गया कि अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को मारने-पीटने तथा उनका अपमान करने एवम् उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार करने पर इस ऐक्ट के अन्तर्गत अब कोई कार्यवाही नहीं होगी । इसी का परिणाम है कि इस प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों का निर्भयतापूर्वक उत्पीड़न का सिलसिला शुरू हो गया । हमारे विधान मण्डल के नेता श्री मौर्या जी ने एक घटना का यहां पर उल्लेख किया । जनपद जालौन, झांसी मण्डल और चित्रकूट मण्डल में भी कई घटनायें घटित हुई हैं परन्तु उनकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है । अभी झांसी रेंज के डी०आई०जी० हमारे जनपद में समीक्षा के लिये आये थे, उन्होंने कहा कि इस मण्डल में हत्याओं की घटनायें तो दर्ज हुई हैं लेकिन गम्भीर चोट और उत्पीड़न के मामलों की घटनायें दर्ज नहीं हुई हैं । यह बात समझ में नहीं आ रही है । स्वयं डी०आई०जी० महोदय ने शंका जाहिर की इस पर तमाम पुलिस थानों के थानाध्यक्षों ने कहना शुरू कर दिया कि सरकार से निर्देश मिला है कि पहले दोनों पक्षों को बुलाकर धमकायें और एफ०आई०आर० दर्ज न करें अगर ज्यादा दबाव पड़े तो एन०सी०आर० में दर्ज करें एक्सरे रिपोर्ट पर मुकदमा 325 में दर्ज न करें और उसे किसी गम्भीर धारा में परिवर्तित न किया जाय ।

आज स्थिति यह है कि जो अपराधी हैं वह गरीबों और शोषितों को मार रहे हैं और अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । मेरा कालपी निर्वाचन क्षेत्र है अभी वहां पर सफाई कर्मचारियों को सामूहिक रूप से मारा पीटा गया । सी०ओ० और एडीशनल तक से जांच हुई । कालपी तहसील में 5 अनुसूचित जाति के लेखपालों को सामूहिक रूप से मारा पीटा गया । एस०सी० और एस०टी० का मुकदमा भी दर्ज हुआ परन्तु बाद में उसे एक्सपन्ज कर दिया गया । इसी प्रकार हजरतपुरा, ककहरा, थाना चिरखी में दो व्यक्तियों की हड्डियां तोड़ दी गई । एस०सी०, एस०टी० का मुकदमा दर्ज किया गया परन्तु रिपोर्ट आने के बाद भी 325 में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ । दो लोगों की हाईकोर्ट से बेल हुई । आई०ओ० ने मुकदमें से उनका नाम ही निकाल दिया । इस प्रकार की कई और अन्य घटनायें हुई हैं । पिछले हफ्ते एक दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ । जब बलात्कारियों को रोका गया तो उसके पूरी बिरादरी के लोगों पर सामूहिक रूप से गोली चलाकर दर्जनों अनुसूचित जाति के लोगों को घायल कर दिया । इस तरह का सिलसिला पूरे उत्तर प्रदेश में जारी है जब से यह सरकार चल रही है । आज बजट सत्र है । माननीय मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह जी जब गृह विभाग के बजट के बारे में बोलेंगे तो कहेंगे कि इस वर्ष की तुलना में इस वर्ष इतनी हत्यायें हुई, इतनी डकैतियां हुई और इतने मुकदमें दर्ज किये गये । जब गभीर घटनाओं की एफ०आई०आर० दर्ज नहीं हो रही है और अपराधी छुट्टे होकर घूम रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है । आज सारे प्रदेश में शोषितों का उत्पीड़न किया जा रहा है । इसलिये इस गम्भीर विषय पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

[× × ×] :–यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री भगवती प्रसाद सागर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये कहना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र बिल्हौर के अन्तर्गत थाना बिल्हौर के अन्दर 12 फरवरी को सुबह साढ़े आठ बजे एक 14 साल की दलित समाज की लड़की जब शौंच क्रिया के लिये जा रही थी उसे खेत में बलपूर्वक सामन्तवादी लोगों ने उसके साथ बलात्कार करने की चेष्टा की । जब उसने विरोध किया तो मान्यवर, उसके मुख में उसका दुपट्टा ठूंस दिया गया और उसकी शलवार निकाल करके उसके गले में बांध करके उसका फन्दा डाल करके उन्होंने उसकी हत्या कर दी । मान्यवर, इतनी बढ़ी घटना हुई इसके बाद पुलिस अभी तक निष्क्रिय है । मान्यवर, मैंने भी 13 तारीख को घटनास्थल का दौरा किया और वहां की जो स्थिति है । गांव के लोग बहुत ही भयभीत हैं । दलित समाज के लोग आज मुजरिमों के खिलाफ जबान खोलने की स्थिति में नहीं हैं । मान्यवर, इस तरह की जो घटना हुई यह सिर्फ एक घटना ही नहीं है । इस तरह की घटनायें पूरे प्रदेश में दलित समाज के साथ हो रही हैं । और इनका सिलसिला जारी है ।

मान्यवर, इसी क्रम में मैं बताना चाहता हूं कि जब बहिन मायावती इस प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तब वर्तमान मुख्य मंत्री जी यह कहा करते थे कि प्रदेश में दलित उत्पीड़न के नाम पर फर्जी मुकदमें लिखे जा रहे हैं । एस०सी०, एस०टी० ऐक्ट का दुरुपयोग हो रहा है । मान्यवर, कानपुर देहात के अन्तर्गत शिवराजपुर में 22 फरवरी की एक घटना बताना चाहता हूं । एक कोरी समाज के फूसेलाल नामक व्यक्ति जिसके भाई और भाभी खत्म हो गये थे उसने उनकी दो पुत्रियों को पाला और पालन पोषण के बाद मान्यवर, अभी 22 तारीख को उसके गांव के कुछ ठाकुर समाज के लोगों ने बड़ी लड़की को जबरन घर से ले गये और छोटी लड़की जो 14 साल की थी उसको भी जबरदस्ती उठवा लिया । यह सामन्तवादी राज्य आज आजादी के 51 साल बाद थी विद्यमान है । इस घटना की जब शिकायत उसके चाचा ने थाने में जाकर की तो शिवराजपुर में दोनों पार्टियों को 151 में बन्द कर दिया गया । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस तरह से अत्याचार दलितों के साथ किया जा रहा है । उस व्यक्ति की दोनों भतीजियों को जबरदस्ती ठाकुरों ने अपने घर में रख लिया और जब वह मुकदमा लिखाने गया तो रिपोर्ट न लिखकर उल्टा उनके दो चाचा और उनके लड़के के खिलाफ और उनकी चाची के खिलाफ 30-1-99 को 376 का मुकदमा लिख दिया गया । मान्यवर, आज यह स्थिति है । कहा जाता था कि दलित उत्पीड़न के नाम पर अत्याचार हो रहा है । दलित उत्पीड़न ऐक्ट का दुरुपयोग हो रहा है । इस समय क्या हो रहा है यह समान्तवादी लोग दलितों की लड़कियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं और उल्टा उनके खिलाफ 376 का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं । मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि जब से कल्याण सिंह जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री बने हैं जैसे ही यह गद्दी पर बैठे हैं इन्होंने एस०सी०, एस०टी० ऐक्ट को निष्प्रभावी करने के लिये शासनादेश लागू किया जिसके कारण आज पूरे प्रदेश में गुण्डाराज कायम है, माफिया राज कायम है । दलित, पिछड़े वर्ग के लोग आज कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं । इस तरह की घटनाओं का सिलसिला आज जारी है । यह सिर्फ दलितों का ही उत्पीड़न नहीं कर रहे हैं दलित समाज से जो ताल्लुक रखता है उनके साथ भी बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं । मान्यवर, जैसा सर्वविदित है जब अपराधी पकड़े जाते हैं तो सत्ता में बैठे लोगों द्वारा अपराधियों को छुड़ाया जाता है पूरे प्रदेश की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह जो पूरे प्रदेश में दलित उत्पीड़न हो रहा है जुल्म-ज्यादती चरम-सीमा पर है, प्रदेश में कोई अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है इसमें नियमों को शिथिल करते हुए इस पर चर्चा करायें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री जगदीश नारायण–

मान्यवर, जब से सरकार ने सत्ता संभाली है क्रमवार साजिश के तहत, अभी पूर्व वक्ताओं ने इस पर विस्तृत जानकारी दी है, मान्यवर, साजिश के तहत दलितों का उत्पीड़न कर रही है । सरकार का मानना है जंगल राज्य कायम हो व्यवहारिक रूप में कुछ लेना देना नहीं है अनुसूचित जाति अधिनियम मूल रूप से विद्यमान है इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है बावजूद इसके इस सरकार के लोग इस सरकार के अधिकारीगण यह मानकर चल रहे हैं कि इस अधिनियम का काम नहीं रह गया है उसको निष्प्रभावी कर दिया गया है जिसके कारण इस प्रदेश में जंगलराज्य कायम हुआ है । अपराधी भयमुक्त हैं गरीबों, पिछड़ों दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं परसों विधान सभा में मेरे क्षेत्र की बात आई थी टिसौरी गांव में पुलिस के लोग गोली चला रहे हैं अगर कानून का भय होता तो ऐसी स्थिति न आती, वह गोली चलाकर टहल रहे हैं । सरकार सी०आई०डी० की इन्क्वारी की बात करती है आप देख लें सीधा साफ मामला है दलित उत्पीड़न हुआ है लेकिन दलित ऐक्ट की धारा नहीं लगाई गई है जो नियम है एफ०आई०आर० लिखनी चाहिए वह नहीं लिखी गई है कानून का राज्य इस प्रदेश से समाप्त हो चुका है । जंगल राज्य कायम हो चुका है इसलिए इस अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले पर चर्चा की मांग करता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी वैसे विस्तार से चर्चा करने का अवसर तो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते समय सारी कानून व्यवस्था पर चर्चा होनी चाहिए थी लेकिन माननीय नेता बहुजन समाजवादी पार्टी ने चिर-परिचित अंदाज में जोश के साथ प्रकरण उठाये विशेष रूप से अनुसूचित जाति, दलित वर्ग अत्याचार हो रहा है यह कहा, मैं कुछ फीगर्स रखना चाहता हूं तीन वर्ष के आंकड़े हैं यह अनुसूचित जाति, जन जाति के उत्पीड़न से संबंध मामले हैं सरकार ने कड़े निर्देश दिए हैं कि शत-प्रतिशत मामलों का पंजीकरण किया जाए इसके पालन करने के बावजूद जो स्थिति है वह रखना चाहता हूं । श्रीमन् 1996 में हत्या की 400 घटनायें हुई, बलात्कार की 363 घटनायें, आगजनी की 351 घटनायें दर्ज हुई । 1997 में हत्याओं की 367, बलात्कार की 335, आगजनी की 378 घटनायें दर्ज हुई । 1998 में हत्या की 350 घटनायें 400 के अगेंस्ट दर्ज हुई बलात्कार की 255 घटनायें 363 के अगेंस्ट और आगजनी की 362 घटनायें दर्ज हुई ।

(एक माननीय सदस्य–आंकड़ों से क्या करना है ।)

शत प्रतिशत पंजीकरण करने के बाद यह स्थिति है कानून व्यवस्था की बात करते हैं लेकिन किसी के लिए प्राथमिकता कानून व्यवस्था की नहीं थी कुछ और प्राथमिकतायें थीं ।

स्थिति जब संभली, उन प्राथमिकताओं को बदलना था और सर्वोच्च प्राथमिकता यह थी कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरूस्त हो और उसके तहत आज राजनीतिक कारणों से आप उसे चाहें न स्वीकार करें यह आपकी बात है, लेकिन आम जनता आज राहत की सांस ले रही है इस शासन में । हमने माफिया राज को समाप्त किया है, हमने उन लोगों को पकड़ने का काम किया जो दलितों पर अत्याचार करते थे । हमने उनको चिन्हित किया और उनके खिलाफ कार्यवाही की । इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस प्रदेश की जनता है और आज वह राहत सांस ले रही है । एक घटना का जिक्र किया माननीय रामवीर उपाध्याय जी ने, हाथरस में बलात्कार की घटना का जिक्र किया । हमने उसकी जांच खास तौर से करायी और यह पाया कि यह सारी घटना गलत है और फर्जी है । एक काल्पनिक इतिहास रच करके बात कही गयी है । आज प्रदेश की कानून व्यवस्था पहले से कई गुना ज्यादा बेहतर है और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी, श्री कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में यह और अच्छी होगी ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह [×××] आकंड़ा दे करके सदन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं । [×××] निश्चिन्त हो गये हैं और साथ ही [×××] हो जायेंगे तो फिर क्या होगा । इसलिये मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि सदन को फर्जी आंकड़ों से गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा गन्दा खेल खेला जा रहा है यह बहुत ही निन्दनीय है, शर्मनाक है और इसकी जितनी भी निन्दा की जाय वह बहुत कम है । मान्यवर, इस घटना को झुठलाने के लिए, क्योंकि यह [×××] हैं, इनका [×××] बात करते हैं, इनकी कथनी और करनी में अन्तर है, जो फर्जी आंकड़े दिये गये हैं इससे इनका दोहरा चरित्र उजागर होता है । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर, जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है, सारे नियमों को निलम्बित करते हुए इसमें चर्चा करायें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, यदि आप अनुमति दें तो मैं एक स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूं । मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है प्रदेश की कानून व्यवस्था के संबंध में । खास तौर से अनुसूचित जाति और जनजाति के ऊपर जो अन्याय हुए हैं उसका आंकड़ा प्रस्तुत किया है कि यह बहुत ही कम होता जा रहा है । यह बहुत अच्छी बात है । अन्याय और अत्याचार जरूर कम हो जायेंगे अगर वह थाने में दर्ज नहीं होंगे । यही हमारे माननीय सदस्य श्री रामपाल जी ने उदाहरण देकर कही है और इस बात को जानते हुए, माननीय कल्याण सिंह जी ने गद्दी संभालते हुए एक काम किया था, एक शासनादेश जारी किया था एक शासनादेश जारी किया गया उस शासनादेश में यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि आज उत्तर प्रदेश की गद्दी पर माननीय कल्याण सिंह जी बैठ गये हैं आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के साथ माइनरिटी के साथ आप खुले आम अत्याचार और बलात्कार कर सकते हो यह थाने में दर्ज नहीं होगा । (व्यवधान)

[सत्ता पक्ष की ओर से कई आवाजें–ये कहां लिखा है]

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शांति बनाए रखें । आप स्पष्टीकरण पूछें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

अगर ऐक्ट में कोई खामी है तो पार्लियामेंट में भी आपकी सरकार है आप उसकी कमी को खत्म करायें ।

एक जो संदेश दिया गया उससे अनुसूचित जाति जन जाति के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं हत्यायें हो रही हैं । अभी हमारे सदस्यों ने गांवों के व्यक्तियों के नाम बताये अगर माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी संवेदनशील हैं और उसको रोकना चाहते हैं तो उसे स्वीकार करने पर परहेज नहीं होगा ।

मान्यवर, आज इसकी परिणति है कि अन्याय हो रहा है अत्याचार हो रहा है जो कह दिया गया कि रिपोर्ट दर्ज थाने में नहीं होगी ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपकी बात आ गई ।

नोट :–[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, स्पष्टीकरण इस वजह से पूछना चाहता हूं कि अशंका व्यक्त की थी उसमें इस बात की पुष्टि की है कि अब इसमें अन्याय अत्याचार की रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी और इसलिए रिपोर्ट की संख्या कम हो रही है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी घोषणा करें कि जो घटनायें हो रही हैं उनकी एफ० आई० आर० लिखी जाये और जांच होगी ।

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री जी स्पष्ट कह चुके हैं कि यह स्पष्ट आदेश दिये गये हैं कि वे सूचीबद्ध की जायें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, हमने पूरे ब्यौरेवार सूचना रखी है ।

श्री अधिष्ठाता–

अगर उनकी एफ०आई०आर० न लिखी गयी हो और ऐसी घटनायें संज्ञान में हों तो आप उन्हें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बता दीजियेगा ।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, बलात्कार की घटना हुई 376 के अन्तर्गत उसे लिखा गया थानाध्यक्ष को निलम्बित किया गया उसमें मेडिकल एक्जामिनेशन कराया गया । जब उन्हें पता चला कि यह महिला बहुजन समाज पार्टी की है जाटव महिला है और इसमें मैं सिफारिश कर रहा हूं तो जांच को जानबूझकर दबा दिया गया यह सरकार ऐसा काम कर रही है । एक घंटे पहले मेरे घर पर उनका पूरा परिवार था आप निष्पक्ष जांच करायें किसी दूसरे जिले की पुलिस से करायें या पांच विधायकों की कमेटी बनाकर करायें । मान्यवर, अगर मेरी बात झूठ पायी जाये तो मैं इस सदन से इस्तीफा देने को तैयार हूं और यदि सच पाई जाय तो इस सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश करने की जरूरत होगी ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण के रूप में बड़ा लम्बा वक्तव्य माननीय वर्मा जी का हुआ । उन्होंने शासनादेश का हवाला दिया । यह बात सही है कि यह सरकार किसी भी कानून का दुरुपयोग करने के पक्ष में नहीं है । जो एक संदेश यहां पूरे प्रदेश में गया था समरसता को बरबाद करने का, देश में सामंजस्य को तोड़ने का तो मान्यवर, यह जरूर निर्देश दिये गये थे कि किसी भी गलत आदमी को न फसाया जाय उससे संदेश ठीक ही गया होगा । पाजिटिव संदेश गया होगा । श्रीमन् 3 आदेश मेरे पास में हैं बार-बार जिनके ऊपर बल दिया गया है विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति पर (व्यवधान) श्रीमन्, एक भी शिकायत ऐसी नहीं आई है कि कोई ज्यादती हुई हो । अपराध हो और उसका पंजीकरण न हो ऐसा नहीं है । सरकार बराबर इस पर सजग है और बल देती रहती है । एक घटना के बारे में रामवीर जी ने बल दिया है । इसकी विस्तृत जांच करा ली गयी है । जांच में यह बात गलत पाई गयी है । बाकी उनका निर्णय है कि वह क्या करें । श्रीमन्, जांच करा ली गयी है और वह शिकायत निराधार पाई गयी है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, माननीय उपाध्याय जी ने सदन के 5 माननीय सदस्यों से जांच कराने की मांग रखी है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि हमने जांच करा ली है तो यह वही है कि

"जो [x x x] वही डोली के संग" बलात्कारी के खिलाफ उनके आका जांच कर रहे हैं इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इस सदन के माध्यम से इस प्रदेश को एक अच्छा संदेश जाय और यह संदेश जाय कि निष्पक्ष जांच उनको सौंप दी गयी है तो मैं मांग करता हूं कि यदि सरकार वास्तव में निष्पक्ष जांच की पक्षधर है । तो रामवीर जी की जांच की मांग मान ली जाय और इस सदन के 5 सदस्यों की समिति उसकी जांच करे जिससे दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने आ जाय । मान्यवर, इस सरकार को रंच मात्र भी शर्म नहीं रह गयी है । इस सरकार की कथनी और करनी में अन्तर है इसलिए हम आपका संरक्षण चाहते हैं । आपके माध्यम से हम न्याय चाहते हैं । हमारी इस बात को स्वीकारते हुए इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

नियम 311 के अन्तर्गत यह प्रथम सूचना माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी..

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बड़ी न्याय की दुहाई दी है । मैं कहना चाहता हूं कि 2 फरवरी की घटना रानीपुर थाना पहाड़पुर की है जिसमें अलगू राम चौधरी की हत्या दिन में एक बजे कर दी गयी है और उसमें अपराध संख्या 12/99 धारा 302 आई० पी० सी०, एससी, एसटी ऐक्ट लगा हुआ है । हत्यारा टाप टेन की सूची का अपराधी है, वह 15 हत्या का अपराधी है लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है । यह अपराधियों की सरकार है । मान्यवर, दलितों का उत्पीड़न हो रहा है इसके लिये मैं सदन से अपने साथियों के साथ बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री अधिष्ठाता–

शासन का पक्ष सुनने के पश्चात् 311 के अन्तर्गत यह सूचना मैं अग्राह्य करता हूं ।

प्रदेश में कार्यरत सभी राजकीय नलकूपों का हस्तान्तरण ग्राम सभाओं को कर दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता–

दूसरी सूचना श्री समरपाल सिंह, श्री राजपाल सिंह, श्री कौकब हमीद, श्री गजेन्द्र कुमार पुन्ना, श्री परवेज हलीम एवं श्री बनारसी दास चांदना की है । प्रदेश में कार्यरत सभी राजकीय नलकूपों का हस्तान्तरण ग्राम प्रधानों को कर दिये जाने के बारे में । मेरा निवेदन है कि संक्षेप में आप इसको रख दें और कोई एक माननीय सदस्य जिसे कौकब जी ठीक समझे वह अपनी बात रखे ।

श्री समरपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे आपने अत्यन्त लोकमहत्व के प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रदेश के करोड़ों लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ है । प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया कि प्रदेश के अन्दर जितने राजकीय नलकूप हैं उनका हस्तान्तरण ग्राम सभाओं को कर दिया जाये । हमारे प्रदेश के अन्दर 29 हजार राजकीय नलकूप हैं जिनके द्वारा 15 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो रही है ।

सरकार इन सरकारी नलकूपों को चलाने में सक्षम नहीं है । प्रशासनिक भ्रष्टाचार के कारण इनका रख-रखाव, इनका संचालन ठीक प्रकार से सरकार नहीं कर पा रही है । तो सरकार को चाहिए था कि

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

वह भ्रष्टाचार को कम करती । अपने काम में दक्षता लाती और इन नलकूपों को अच्छी तरह से चलाने का काम करती लेकिन अपनी असफलता को छिपाने के लिए इन राजकीय नलकूपों का हस्तान्तरण ग्राम सभाओं को कर दिया गया है । जब राज्य सरकार इसको चलाने में असमर्थ है तो ग्राम प्रधानों की क्या ताकत है ? इसके लिए 544 करोड़ रुपये का बजट पूरे साल भर का है । ग्राम प्रधानों के पास कौन से साधन हैं जिससे वह ट्यूबवेल का संचालन करेंगे । सरकार के पास स्किल्ड लेबर है । इन्जीनियर्स है–जिससे सुधार किया जा सकता है । रख-रखाव ठीक से किया जा सकता है । लेकिन ग्राम प्रधान के पास ऐसी कोई चीज नहीं है । आप जानते हैं कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और कृषि प्रधान प्रदेश में अगर किसानों की कमर तोड़ने की बात की जायेगी और कृषि उत्पादन घटेगा तो केवल किसानों के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा । पूरे प्रदेश की जनसंख्या भुखमरी के कगार पर पहुंच जायेगी । किसान केवल अपना पेट नहीं भरता । 29 हजार नलकूप इस निर्णय के लागू होने से बन्द हो जायेंगे । सरकार ने सख्ती के साथ कहा है कि 31 मार्च तक सारे राजकीय नलकूपों का हस्तान्तरण ग्राम सभाओं को कर दिया जाये अगर कोई असहमति व्यक्त करे तो उसकी नीलामी कर दी जाये । तो यह निश्चित है कि 31 मार्च के बाद राजकीय नलकूपों का रख-रखाव और संचालन सरकार नहीं करेगी और यह निश्चित रूप से बन्द हो जायेंगे । इसके बन्द होने से 15 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होने से वंचित हो जायेगी । प्रदेश में तमाम प्रयासों के बावजूद बहुत बड़ा भूभाग ऐसा है जो सिंचित नहीं है । हमारा प्रस्ताव है कि उसको भी सिंचित किया जाये जिससे कृषि उत्पादन बढ़े ।

सरकार का प्रयास यह होना चाहिए था कि ज्यादा से ज्यादा नलकूप लगाये जायें और जो हैं उनका रख-रखाव ठीक से किया जाये । लेकिन सरकार ऐसा न करके करोड़ों लोगों के पेट में लात मारने का काम कर रही है । एक राजकीय नलकूप के अन्तर्गत 300 किसान होते हैं जो अपनी जमीन की सिंचाई करते हैं लगभग 90 हजार किसान सिंचाई करने से वंचित हो जायेंगे । यह सारे किसान सीमान्त और लघु हैं । हमारे प्रदेश के बड़े किसानों ने प्राईवेट ट्यूबवेल लगा रखे हैं उन्होंने सिंचाई के साधन खुद बना रखे हैं । लेकिन जिनकी एक एकड़, आधी एकड़ और दो एकड़ जमीन है, जो निजी नलकूप नहीं लगा सकते वे राजकीय नलकूपों पर निर्भर हैं । यदि सरकारी नलकूपों का हस्तान्तरण ग्राम सभाओं को कर दिया गया तो सिंचाई नहीं हो पायेगी जिससे कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । मान्यवर, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों बात चल रही थी । डी०ए०पी० के खाद की कमी की और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जवाब में कहा था कि हमारे प्रदेश के अन्दर कृषि उत्पादन बढ़ा है । वह संसदीय कार्यमंत्री जी के भाषण देने से नहीं बढ़ा है और न मुख्य मंत्री के भाषण देने से बढ़ा है जो बढ़ा है वह किसानों की मेहनत से बढ़ा है । किसानों ने मेहनत करके कृषि उत्पादन को पूरे देश और प्रदेश में बढ़ाया है । अगर आपको पीठ थपथपानी थी तो किसानों की पीठ को थपथपाते लेकिन आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं ।

कृषि उत्पादन बढ़ा । उसके लिये आपने किसानों के लिये क्या किया ।

श्री अधिष्ठाता–

आप ग्राह्यता पर ही बोलें ।

श्री समरपाल सिंह–

मैं ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं । तो जो कृषि का उत्पादन बढ़ा । इसके लिये सरकार को चाहिये था कि उनको प्रोत्साहन देती लेकिन इस सरकार ने किसानों के लिये कुछ नहीं किया । सरकार ने उनको समय से खाद नहीं दिया । समय से बीज नहीं दिया और अब यह सरकार उनको सिंचाई के संसाधनों से वंचित करने का काम कर रही है । इसलिये मैं कहता हूं कि यह अति लोक महत्व का विषय है । आप इस पर चर्चा करा दें ।

* श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, यह कल्याणकारी सरकार है । यह दावा सरकार करती है । यह सरकार दावा करती है कि यह सरकार संवेदनशील सरकार है । लेकिन जब किसानों की बात आती है तो यह सरकार अपने हाथ खड़े कर लेती है और उनसे इस सरकार का कोई सरोकार नहीं है ।

मान्यवर, आप 29 हजार नलकूप ग्राम प्रधानों को देने जा रहे हैं । 545 करोड़ रुपये का आपका बजट है और यह पैसा वह कहां से देंगे । वह कैसे इनको चलायेंगे । कुछ समझ में नहीं आता है । यह विभाग घाटे में चल रहा है । इससे मसला तो हल नहीं होगा । किसानों के हित का कोई काम नहीं किया जा रहा है । यह दुकान नहीं है कि घाटे और मुनाफे की बात की जाये । आप किसानों के लिये कुछ न कुछ कर जाइये । इससे 90 लाख किसान प्रभावित हो रहे हैं । आपने इस पर कोई विचार नहीं किया है कि अगर ग्राम सभायें इनको चलायेंगी तो किस प्रकार से चलायेगी । उनके पास कोई योजना नहीं है । प्रधानों के पास कोई मिस्त्री नहीं है । अगर वह खराब हो जायेंगे तो उनको कौन ठीक करेगा । नतीजा यह होगा कि वह खराब पड़े रहेंगे और उससे किसान प्रभावित होगा । पानी किस प्रकार से बटेगा । इस पर विचार नहीं किया है । इन सारी चीजों पर गौर करना चाहिए । हजारों रूपये की सम्पत्ति जो नलकूप विभाग की है वह बरबाद हो जायेगी और किसानों का क्या होगा । उनको पानी नहीं मिलेगा । यह सारी चीजें मेरी समझ में नहीं आती हैं । यह महत्वपूर्ण सवाल है । इस पर आप चर्चा करा दें और सरकार गौर करे ।

मान्यवर, यह कैसी सरकार है । चाहिये तो यह था कि आप किसान को सुविधा देते आपने बिजली विभाग के जरिये प्राइवेट ट्यूबवेल पर बैन लगा दी । सरकारी ट्यूबवेल ग्राम सभा को सौंप रहे हैं । नये ट्यूबवेल लगा नहीं रहे हैं तो यह आपका कौन सा तरीका है कि किसान जो हमारा पेट भरता है उसके पीछे आप क्यों पड़े हैं । उसको नाश करने का आपने बेड़ा क्यों उठा रखा है । मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस पर चर्चा कराइये और सरकार जवाब दे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, कार्य-स्थगन या नियम 311 के रूप में जो प्रश्न उठाया गया है और कहा गया है कि नलकूप स्थानान्तरित हो रहे हैं । यह बन्द हो जायेंगे तो मान्यवर, इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि एक विचार चल रहा है आज से नहीं बल्कि जबसे सरकार सत्ता में आयी है कि इसमें सहभागिता कैसे सुनिश्चित की जाय । पीपुल्स पार्टीसिपेशन कैसे सुनिश्चित किया जाय । यदि यह बात करनी है तो कहीं न कहीं से शुरूआत करनी पड़ेगी । किसी न किसी पर विश्वास करना पड़ेगा । हमारा विश्वास तो गांवों पर है । गांव के निर्वाचित प्रतिनिधियों पर है पर यह कुछ लोग हैं जिनका विश्वास गांव पर नहीं है । मान्यवर, जब उनको भागीदारी दी जायेगी तो व्यवस्था भी की जायेगी । अभी कोई स्थानान्तरण का निर्णय नहीं हुआ है ।

मान्यवर, हमारा विचार है कि ग्राम सभा को कैसे सक्रिय बना सकें उस पर जिम्मेदारी कैसे डाल सकें । इस सारे परिप्रेक्ष्य पर चिन्तन हो रहा है । इसमें यह कहना कि मिस्त्री कहां से आयेगा । चलाने वाला कहां से आयेगा । मान्यवर, यह कोई विलायत से तो आयेंगे नहीं । मिस्त्री भी गांव में हैं और चलाने वाले भी गांवों में हैं । अगर नहीं हैं तो गांव में मिस्त्री और चलाने वाले भी आ जायेंगे । आप विश्वास तो करके देखिये हम तो गांव पर विश्वास करते हैं । आप गांव की बात करते हैं लेकिन शैली आपकी साहबों जैसी है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं या [x x x] रहे हैं । मेरा नशा वेलेंटाइन डे का मंत्री जी पर अभी चढ़ा हुआ है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, हमारा विश्वास भाषण में नहीं है । हमारी सरकार कृतसंकल्प है । एक व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था का स्वागत हो रहा है । खाद की व्यवस्था किसानों के लिये की गयी है । सारी प्रतिकूल परिस्थितियों के होते हुये भी डी० ए० पी०, यूरिया की व्यवस्था की गयी है । आपको शिकायत है कि खाद नहीं है लेकिन किसान को कोई शिकायत नहीं है । यह पहली सरकार है जिसने किसानों को सबसे अधिक गन्ने का मूल्य दिलवाया ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि हमारा कोई निर्णय नहीं है । आप स्पष्ट करें कि आप नलकूपों को ग्राम सभा को नहीं देने जा रहे हैं । इतना बड़ा इरीगेशन विभाग इन्तजाम नहीं कर सका तो गांव सभा कैसे करेगी । आप वर्ल्ड बैंक के दबाव में आकर ग्राम सभाओं को देने जा रहे हैं । जब इतना बड़ा विभाग इंजीनियर और मैकेनिक उपलब्ध नहीं करा पाता है तो ग्राम सभाएं कहां से उपलब्ध कराएंगी ।

श्री हुकुम सिंह–

कुछ लोगों को हिन्दुस्तान नजर नहीं आता है उनको वर्ल्ड बैंक नजर आता है । कभी देश को भी देख लिया करो । देश की क्षमता गांवों में है, उसको भी देख लें । उस पर विश्वास करें । हम भागीदारी पर विचार कर रहे हैं, इसमें कौन सा पाप कर रहे हैं ? इतनी बड़ी आबादी गांव की उसको मेनटेन नहीं कर पाएगी ऐसा मैं नहीं समझता । अभी पूरे परिप्रेक्ष्य में चिन्तन चल रहा है । कैसे सहभागिता बढ़ाई जाए उसी का यह भी एक हिस्सा है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया शांत रहें ।

श्री समर पाल सिंह–

राजकीय नलकूप ग्राम सभाओं को सौंपे जाने का जी० ओ० हो चुका है कि 31-3-99 तक राजकीय नलकूप ग्राम सभाओं को सौंप दिया जाए अगर ग्राम सभाएं लेने को न तैयार हों तो उसकी नीलामी कर दी जाए ।

श्री कौकब हमीद–

क्या ऐसा कोई जी० ओ० हुआ है ?

श्री अधिष्ठाता–

कोई स्पष्टीकरण अब इस पर नहीं होगा । अगर आप को कोई प्रश्न करना हो तो प्रश्न लगाकर दे दें । इस पर आपके और संसदीय कार्यमंत्री जी के विचार आ गए ।

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री कौकब हमीद–

जब इतनी बड़ी ग्राम सभाएं दो हैण्ड पम्प का मेंटीनेंस नहीं कर पाती तो इतने बड़े नलकूप का मेंटीनेंस कैसे करेंगी ? क्या इस पर कोई जी० ओ० हुआ है, मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं ? यह अजीब बात है ।

श्री समर पाल सिंह–

मैं विशेषाधिकार हनन की नोटिस देता हूं । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

श्री कौकब हमीद–

सरकार ने सही जानकारी नहीं दी है । मैं विशेषाधिकार हनन की नोटिस भेज रहा हूं । मंत्री जी सदन को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं अतः मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार कर रहे हैं ।....

(व्यवधान)

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का मेरा प्रश्न आप सुन लें । मैं संसदीय कार्य मंत्री जी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की सूचना दे रहा हूं । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं निर्णय सुन रहा हूं और वह सुना लूं तब आप व्यवस्था का प्रश्न उठायें । अभी तो मैं निर्णय दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 63 और 65 को देखें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं निर्णय दे रहा हूं । मैंने श्री समर पाल सिंह, श्री कौकब हमीद और मा० संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना । सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह विषय नियम 311 में नहीं आता है, इसलिए इसे मैं अग्राह्य करता हूं ।

श्री समर पाल सिंह–

मैं मा० संसदीय कार्य मंत्री जी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की नोटिस देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

नियमों के तहत आप लिखकर सूचना देंगे तो उस पर विचार कर लिया जाएगा । आप सूचना भेज दें । कृपया शांत रहें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, आपने जो व्यवस्था दिया है उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है । मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी सदन के समक्ष विशेषाधिकार का हनन हुआ है । जो नियमावली में व्यवस्था है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने पहले ही निवेदन किया है कि इस तरह की बात है तो आप लिखित सूचना दे दें तो सम्यक कर लिया जाएगा, इसलिये सूचना तो आने दें।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, नियमावली के नियम 63 में स्पष्ट लिखा है।

परन्तु यदि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ हो तो सदन अध्यक्ष की सम्मति से, बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा।

श्री अधिष्ठाता–

आप सूचना लिखित दे दें तो सम्यक विचार होगा।

अगली सूचना श्री गौरी शंकर एडवोकेट, श्री शिव पाल सिंह यादव तथा श्री बाबू राम जी की है। चूंकि ये लोग सदन से निलम्बित हैं, इसलिये इसे अग्राह्य करता हूं।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

नियम–301 के अन्तर्गत आज दिनांक 16 फरवरी, 1999 को 9 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गईं–श्री जय प्रकाश निषाद, डा० राम बाबू हरित, श्री सुधाकर सिंह, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री जय प्रकाश, श्री मोहन सिंह रावत गांववासी तथा श्री श्रीराम पाल। इनमें से श्री जय प्रकाश निषाद जी तथा श्री सुधाकर सिंह जी सदन में उपस्थित नहीं है, इसलिये इनकी सूचनायें अस्वीकार हुईं और श्री राम औतार शाक्य तथा श्री समरपाल सिंह जी की सूचना भी अस्वीकृत हुई। डा० राम बाबू हरित, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री जय प्रकाश, श्री मोहन सिंह रावत गांववासी तथा श्री श्रीराम पाल जी की सूचना को पढ़ा हुआ माना गया।

(सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण कोटे को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० राम बाबू हरित–

[मान्यवर, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा पूर्ण नहीं हैं। उक्त विभाग में समूह "क" में लगभग 200 पद, समूह "ख" में लगभग 250 पद तथा समूह "ग" एवं "घ" में लगभग 9,000 पद आरक्षण कोटे के रिक्त हैं। इस समय देश मे स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही हैं। संविधान में उक्त जातियों के आरक्षण कोटे का प्रविधान किया गया है तथा समय-समय पर अनेकों शासनादेश आरक्षण कोटे को पूर्ण करने हेतु जारी किये गये हैं किन्तु आज तक उक्त विभाग में आरक्षण कोटा पूर्ण नहीं किया गया है। अनुसूचित जाति/जनजाति के वर्ग के नवजवान शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार घूम रहे हैं। विभाग में आरक्षित

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पदों पर पदोन्नति नहीं प्रदान की जा रही है । जिससे कर्मचारियों/अधिकारियों को मानसिक कष्टों को झेलना पड़ रहा है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण कोटे को पूर्ण किये जाने सम्बन्धी गम्भीर समस्या का समाधान कराने का कष्ट करें ।]

मेरठ में लड़कियों एवं महिलाओं के साथ छेड़खानी एवं अभद्र व्यवहार की घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[मान्यवर, पिछले 1 माह से मेरठ में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ व अभद्र व्यवहार एवं सड़क चलते उनके फोटो खींचने की प्रवृत्ति बढ़ रही है । कुछ ग्रुप नियोजित ढंग से भी इस कार्य में लगे हैं । स्थानीय पुलिस के संज्ञान में होते हुये भी पुलिस अकर्मण्यता एवं लापरवाही के कारण प्रभावी कार्यवाही नहीं कर रही है । इस प्रकार की घटना किसी भी दिन मेरठ में कोई बड़ा रूप लेने की निश्चित सम्भावना है ।

इस अविलम्बिनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुये तत्काल प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

निदेशक होम्योपैथी एवं शिक्षक चिकित्सकों द्वारा कालेज का शैक्षिक वातावरण एवं अनुशासन भंग करने की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री जय प्रकाश–

[मान्यवर, निदेशक (होम्योपैथी), उत्तर प्रदेश के सह संरक्षण व इशारे पर राजकीय मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, लखनऊ के ही प्रवक्ता डा० पी० एन० मिश्र व आवासीय चिकित्साधिकारी डा० एस० पी० सिंह द्वारा न पढ़ने वाले चन्द छात्रों को तन, मन व धन से सहयोग देकर प्राचार्य के विरुद्ध झूठी मनगढ़न्त शिकायतें करा रहे हैं व झूठी समाचार पत्रों में प्रकाशित करा रहे हैं । प्राचार्य द्वारा छात्र-छात्राओं को पढ़ने, शिक्षकों को पढ़ाने, चिकित्सकों का चिकित्सकीय कार्य हेतु अनवरत् प्रेषित किया जा रहा है । यही कारण है कि छात्रों, प्रवक्ता, आवासीय चिकित्साधिकारी के असन्तोष का पढ़ने के लिये जिम्मेदार, छात्र पढ़ाने के लिये जिम्मेदार प्रवक्ता व चिकित्सकीय कार्य के लिये उत्तरदायी आवासीय चिकित्साधिकारी का असन्तोष कितना उचित अनुचित हैं । यह सम्मानित सदन ही विचार करे ।

ऐसे असंतुष्टों को निदेशक होम्योपैथी उत्तर प्रदेश का संरक्षण उचित अथवा अनुचित है, सदन ही विचार करे । यहां यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि आवासीय चिकित्साधिकारी, निदेशक होम्योपैथी उ०प्र० के सगे सम्बन्धी भी है । आम छात्र-छात्राओं, शिक्षक, चिकित्सक उनसे जुड़े लोग सामाजिक व राजनैतिक कार्यकर्ता एवं बुद्धजीवी व जनप्रतिनिधिगण इस घटना से क्षुब्ध असन्तुष्ट एवं स्तब्ध हैं । जनहित में इस घटना को अत्यन्त गम्भीरता से लिया जाना चाहिये ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस मामले को सदन के संज्ञान में लाते हुये शैक्षिक चिकित्सकीय अनुशासन के वातावरण को भंग करने के प्रयास में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनपद पौड़ी के विकास क्षेत्र कलजीमाल के अन्तर्गत मुण्डनेश्वर पेयजल पम्पिंग योजना को स्वीकृत करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

[मान्यवर, यह अत्यधिक लोक महत्व का विषय है कि जनपद पौड़ी के विकास क्षेत्र कलजीमाल के अन्तर्गत अनेक पेयजल के अभाव ग्रस्त गांवों को पेयजल उपलब्ध करने के लिये मुण्डनेश्वर पेयजल पम्पिंग योजना को स्वीकृत करने का प्राक्कलन शासन में लम्बित है । इस पेयजल योजना को बनाने की मांग अनेक वर्षों से उक्त अभाव ग्रस्त क्षेत्र की जनता कर रही है ।

अतः इस लोक महत्व विषयक मुण्डनेश्वर पेयजल पम्पिंग योजना को स्वीकृत करने का निर्देश शासन को देने की कृपा कीजिए ।]

जनपद जालौन के परिषदीय/प्राइमरी/सीनियर बेसिक विद्यालयों के अध्यापकों के स्थानान्तरण आदेश जारी करके कथित रूप से अवैध धन वसूली की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्रीराम पाल–

[मान्यवर, जनपद जालौन के ग्रामीण अंचलों में परिषदीय प्राइमरी विद्यालयों/सीनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत् अध्यापकों के माह जून, 1998 से जनवरी, 1999 तक लगातार स्थानान्तरण किये जा रहे हैं । स्थानान्तरण आदेश सहायक बेसिक शिक्षाधिकारियों के माध्यम से जारी कराये जाते हैं जिनमें पत्रांक व दिनांक न होने से अवैध धन की वसूली करके या तो स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर दिये जाते हैं या नजदीक के विद्यालय में तैनाती कर दी जाती है । जिसके कारण दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापकों की कमी होने से शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है । स्थानान्तरण आदेश की छाया प्रति संलग्न है ।

अतः इस लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, 311 में हमने एक सूचना दी है विधायक निधि के बारे में । यह विषय माननीय सदस्यों के विकास तथा उनके असन्तुलन को दूर करने के संबंध में है । इसको आप सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अध्यक्ष महोदय ने उसे नियम 300 में परिवर्तित कर दिया है । 300 में उस पर सुन लिया जायेगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

311 में ही आप इसे सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

नियम 300 में परिवर्तित कर दिया गया है । नियम 300 के अन्तर्गत पहली सूचना श्री रेवती रमण सिंह तथा अम्बरीष कुमार जी की है । चूंकि ये सदस्य सदन से निलम्बित हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

विधायक निधि की धनराशि अवमुक्त न किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता–

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव जी आप अपनी बात रखें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, इस सूचना के माध्यम से मैं एक अत्यन्त लोक महत्व के प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, विगत जून माह, 1998 के बजट सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सम्मानित सदन में सम्पूर्ण प्रदेश के विकास के संदर्भ में सम्मानित विधायकों के लिये 50 लाख रुपये की विधायक निधि की घोषणा की थी । जून, 98 में घोषणा हो जाने से लेकर आज की तारीख तक उसे प्रदेश सरकार अमली जामा नहीं पहना सकी है । मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि जनतंत्र में चुनी हुई सरकारें लोक लाज से चलती हैं और यही हमारे देश के महापुरुषों की अवधारणा रही है । लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोक लाज से [x x x] हो गया है और उसके द्वारा इस सदन के अन्दर की गई घोषणा तथा बाहर की गई घोषणा के बारे में भी उसे कोई चिन्ता नहीं है और घोर [x x x] का आचरण यह प्रदेश सरकार कर रही है । श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार और उसका समूचा मंत्रि मण्डल भारत के संविधान के 164 (2) की व्यवस्था के मुताबिक इस सम्मानित सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है किन्तु आज उस संवैधानिक व्यवस्था की खुली अवहेलना प्रदेश की सरकार कर रही है । श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश की सरकार के माननीय मुखिया ने आज के कई महीने पहले प्रदेश के सभी ग्राम सभाओं के प्रधानों को पत्र लिखकर अवगत करा दिया कि विधायक निधि 50 लाख रुपये की बना दी गयी है । पत्र में ग्राम प्रधानों को मा० मुख्य मंत्री जी द्वारा कहा गया है कि आप अपने क्षेत्र के निर्वाचित विधायक से सम्पर्क करके विकास के कार्यों के लिए परियोजनाओं को स्वीकृत करायें और विकास के कार्य करायें । श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज की तारीख तक केवल इस प्रदेश की सरकार ने सम्पूर्ण जिलों के जिलाधिकारियों को केवल दिशा निर्देश उपलब्ध करायी है । तथा अवगत की है कि 50 लाख रुपये की विधायक निधि बना दी गयी है उसके सापेक्ष अपने जिले के मा० विधायकों से प्रस्ताव लेकर विकास कार्य करायें ।

इस 50 लाख की धनराशि के साक्षेप 50 नये पैसे भी प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष के समापन पर निर्गत नहीं किया है । श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जो सबसे बड़ा संकट निर्वाचित सदस्यों के सामने यह है कि विधायक निधि में 50 लाख रुपये दिये जाने की सरकार की घोषणा के बाद मा० विधायकों ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विभिन्न विकास की योजनाओं को पूरा करने का वायदा कर लिया है । प्रदेश के मा० मुख्य मंत्री जी ने विगत दिनों प्रदेश के समस्त ग्राम प्रधानों को अवगत करा दिया कि मैंने 50 लाख रुपये विधायक निधि की धनराशि भेज दी है । श्रीमन्, मैं बहुत आदर के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार, इस सदन के प्रति जो उसकी जवाबदेही है वह उसकी खुली अवहेलना करके न केवल इस सर्वोच्च सदन की अवमानना कर रही है बल्कि जिस लोक लाज से लोक राज के अनुशासित और मर्यादित होने की परम्परा रही है उसका भी खुला उल्लंघन कर रही है । आज परिणाम यह है कि विधायक निधि की घोषणा करने के 7-8 महीने बाद भी आज तक उस निधि की घोषित धनराशि नहीं भेजी गयी ।

नोट :–[x x x] यह अंश अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें। आपकी बात आ गयी है।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

आज सम्पूर्ण प्रदेश में मा० विधायकों के सामने यह समस्या है कि सरकार की घोषणा के अनुसार उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जनता से विकास कार्य कराने के जो वायदे किये हैं वे सरकार की वादा खिलाफी के चलते नहीं करा पा रहे हैं। घोषणा करने के बाद आज की तारीख तक कोई धनराशि निर्गत नहीं की गयी है। अन्तिम बात कह कर समाप्त करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की यह सरकार इस वित्तीय वर्ष के समापन पर यहां बैठी है।

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि यह वित्तीय वर्ष समापन की ओर है और विगत वर्ष 1998 में 50 लाख रुपये की विधायक निधि की घोषणा सरकार ने की थी लेकिन इस वित्तीय वर्ष की समापन की अवधि में भी आज तक वह धनराशि नहीं दी गयी। जब यह सदन आहूत हुआ तो इस डर से कि सदन नहीं चल पायेगा मा० विधायकगण मांग करेंगे परिणाम स्वरूप 25 लाख रुपये पहली किश्त निर्गत करने की घोषणा कर दी गयी। आज भी सरकार की यह 25 लाख रुपये की पहली किश्त निर्गत किये जाने की घोषणा सत्य से परे है। पूर्वांचल के किसी भी जनपद में 25 लाख रुपये अभी तक घोषणा के मुताबिक नहीं पहुंच पाया है। सम्पूर्ण प्रदेश में विकास के कार्य सरकार की इस नीति के चलते ठप्प हैं। सम्मानित जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का उत्तर प्रदेश की सरकार अपमान कर रही है। मान्यवर, मैं औचित्य के इस प्रश्न पर सुनिश्चित व्यवस्था चाहता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह अत्यन्त लोक महत्व का विषय है इसी सदन में स्पष्ट घोषणा हुई थी सदन के सभी सम्मानित सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिए विधायक विकास निधि की घोषणा की गयी थी पुर्नावृत्ति नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो गाइड लाइन शासन के निर्देशों के अनुसार प्राप्त हुई है 25 लाख के सम्बन्ध में उसमें यह है कि जो प्रस्ताव माननीय सदस्यों के द्वारा दिया जायेगा उसके अनुसार यदि 31 मार्च तक धनराशि खर्चा नहीं की गयी तो वह खत्म हो जायेगी। जबकि मान्यवर, सांसद निधि का भी गठन हुआ है, इसमें यह व्यवस्था है कि यदि लोक सभा भंग हो जाए तो उस सांसद का अवशेष धन जो होगा वह लोक सभा के नये निर्वाचित सांसद को आहरित करने का अधिकार होगा और उनके द्वारा बाकी प्रस्ताव पर धन खर्चा किया जा सकेगा।

मान्यवर, 24 मार्च तक सदन चल रहा है 25 लाख पर जो प्रस्ताव की मांग की गई है मैं समझता हूं 25 मार्च को हम क्षेत्रों में जाएं तो 31 मार्च तक तो यह संभव ही नहीं है। प्रदेश की जनता समझती है कि प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में 25 लाख का धन शासन ने अवमुक्त कर दिया है लेकिन आज भी विधायक विकास निधि का धन आहरित नहीं हुआ है। एक गाइड लाइन हम लोगों को दी गई है अगर प्रस्ताव दिया जाए तो 25 मार्च से पहले कार्य प्रारम्भ नहीं होगा इसका मतलब यह निकलता है कि पिछले बजट सत्र में घोषणा की गई इसलिये माननीय सदस्यों द्वारा क्षोभ और रोष व्यक्त न किया जाए, जो सत्तारूढ़ सरकार के माननीय सदस्य हैं उनके गुस्से से बचने के लिये यह कोरी कल्पना है अगर सरकार की नीयत होती हर क्षेत्र के विकास की नीयत होती तो जब विधायक विकास निधि की घोषणा की गई थी तो जिस तरह अप्रैल माह में वित्तीय स्वीकृतियां विभागीय स्वीकृतियां होती हैं उसी तरह से करते लेकिन अब दूसरा बजट सत्र आ गया है लेकिन कुछ नहीं हुआ है। जिसकी घोषणा एक साल पहले की गई इसमें एक किश्त अवमुक्त हो गई होती तो काफी कार्य हो गया होता प्रदेश की जनता की प्राथमिकताओं का क्रियान्यन कर सकते थे। यह सरकार सदन के प्रति जबावदेह है और हम जनता के

प्रति जबावदेह हैं । हम जनता से चुनकर आते हैं जनता की भावनाओं को प्रतिबिंबित करने का इससे सही और कोई स्थान नहीं है और सरकार की संवेदनशीलता यह है कि वह अपने स्वयं लिये गये निर्णयों जिसको स्पष्ट रूप से सदन में उल्लिखित किया गया उसमें कोई धन आहरित नहीं हुआ है, कोई धन स्वीकृत नहीं किया गया है । दूसरा बजट सत्र प्रारम्भ कर रहे हैं लेकिन धन आहरित नहीं हुआ । क्षेत्र के लोग जब किसी कार्य के लिये आते हैं और कहते हैं कि आपको 25 लाख रुपया मिला है आपने कुछ नहीं किया अगर उनसे हम कहते हैं कि अभी एक पैसा नहीं मिला है तो लोग समझते हैं हम झूठ बोल रहे हैं हमारी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है । पिछले बजट सत्र में स्पष्ट रूप से निर्णय लेने के बाद कोई धन नहीं दिया है । मान्यवर, यह पूरे क्षेत्र की जनता के सामने स्पष्ट होना चाहिये । सरकार की मंशा स्पष्ट होनी चाहिये कि सरकार की नीति और नियत में कोई फर्क नहीं है । तो 50 लाख रुपये जो पिछले बजट में दिया था इस बजट के पूर्व देने की घोषणा करें और यह भी घोषणा करें कि वह 31 मार्च के बाद व्यपगत नहीं होगा वह अगले वित्तीय वर्ष में कैरी फारवर्ड हो जायेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जब मैंने यह विषय उठाया था तो उसके पीछे मेरी कोई राजनीतिक मंशा नहीं थी । बल्कि उत्तर प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए सभी ने प्रयास किया था । हम इसे पिछले पांच वर्षों से उठाते रहे हैं । श्रीमन्, इसमें कोई दो राय नहीं है, इतिहास साक्षी है, कल्याण सिंह जी की सरकार का जन्म ही विश्वासघात धोखा और फरेब में हुआ है और जो सरकार इसमें जन्म लेती है वह ईमानदारी से काम करे इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है । शायद इतना बड़ा धोखा संसदीय इतिहास में नहीं होगा । इन्होंने जो अपने बजट भाषण में कहा है मैं उसको पढ़कर सुना रहा हूं ।

मैं चाहूंगा कि इसका स्पष्ट उत्तर आये । वर्ष 1998-99 के बजट अनुमानों में माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार ने इसी बजट में बैठकर कहा था कि मैं इस सम्मानित सदन में यह घोषणा करता हूं कि वर्ष 1998-99 से विधान सभा तथा विधान परिषद् के प्रत्येक माननीय सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिये प्रति वर्ष 50 लाख रुपया उपलब्ध कराये जाने हेतु लगभग 260 करोड़ की विकास निधि बनायी जायेगी । यह कार्यवाही का अंग है । मान्यवर, 98-99 आ गया, 260 करोड़ का एमाउन्ट आ गया, 50 लाख रुपया प्रतिवर्ष आ गया । मान्यवर, इसकी घोषणा नेता सदन ने की है, मुख्य मंत्री ने करी है । आगे उन्होंने यह कहा है कि विकास कार्यों को तेज करने हेतु यह किया गया है । मान्यवर, जब यह हुआ था तो सभी सम्मानित सदस्यों ने मेजें थपथपायी थीं । आप देख लें कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब दोनों पक्षों ने एक साथ समर्थन किया हो । हमने इस विधायक निधि का समर्थन किया था । लेकिन इस सरकार ने केवल हमको ही धोखा नहीं दिया बल्कि उन सब लोगों को भी धोखा दिया जिन्होंने इनका समर्थन किया है । लेकिन चल रही है यह सरकार, मान्यवर कहते यह कुछ हैं करते कुछ हैं । कल्प योजना की जो बात थी जब मुख्यमंत्री जी की अपनी गर्दन फंसने लगी तो एक राज्य मंत्री की बलि करके अपना उससे अलग हो गये वह कार्यवाही का अंग है । एक करोड़ जब माननीय सांसदों को मिलता था तो हमें 50 लाख रु० दिया गया और जब उनका बढ़कर 2 करोड़ हो गया है तो हमारा घटकर 25 लाख हो गया है । हमसे 50 लाख के प्रस्ताव मांग लिये गये, उसमें बैठकर तय कर दिया गया वायदा कर दिया गया कि इसमें से एक लाख में यह सड़क बनेगी, यह स्कूल बनेगा । लेकिन यह वायदाखिलाफी के कारण हर विधायक का सम्मान अपने क्षेत्र मे खंडित हो गया है । इससे उसकी बात पर विश्वास नहीं रहेगा । जो 25 लाख की भी बात है, वह 31 मार्च, को धनराशि समाप्त मान ली जायेगी । आज 16 फरवरी है मान्यवर, प्रस्ताव का कार्य होते-होते फरवरी-मार्च निकल जायेगा फिर यह 31 मार्च को समाप्त समझी जायेगी । इसकी कथनी और करनी में कितना अंतर है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपकी बात आ गयी है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इनके पास रजिस्ट्रेशन विभाग है फूड एण्ड सिविल सप्लाई डिपार्टमेन्ट है, मंत्री हैं, चाहे जितनी व्यवस्था करा लें, लेकिन विधायकों का क्या होगा जिनको दुबारा चुनाव लड़ना है । सरकार ने जो कहा है वह पूरा करे । रही बात पैसे की तो इसमें तीन लोगों की कमेटी बन जायें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी स्वयं हो जायें वित्त मंत्री जी के रूप में माननीय मुख्य मंत्री जी हो जायें और किसी को रख लें मैं वचन देता हूं कि कहां से रुपया निकाला जाये यह बता दूंगा । माननीय विधायकों की भावनाओं से खिलवाड़ न करें । सरकार की विश्वसनीयता हो या न हो हमारी विश्वसनीयता हमारे मतदाताओं के बीच में है । यह सरकार तो जायेगी आज नहीं तो एक महीने चार महीने बाद चली जायेगी लेकिन इतिहास याद रखेगा कि विधान सभा में खड़े होकर मुख्यमंत्री जी ने राशि बतायी, वर्ष बताया उसके बाद मुकर गये, संसदीय कार्य मंत्री जी का जबाव भी याद रखा जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्नगत मामला नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है अतः मैं इसे अस्वीकार करता हूं । जहां तक विधायक निधि में धनराशि अवमुक्त न किये जाने का प्रश्न है, मुझे यह जानकारी मिली है कि उक्त धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है ।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह अत्यन्त गम्भीर मामला है । विधायकों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है पूरे प्रदेश के विकास से जुड़ा हुआ है । दोनों तरफ के माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है । यह [xxx] बोलकर सरकार किस तरीके से माननीय विधायकों की प्रतिष्ठा को उनके क्षेत्रों में जनता के बीच गिरा रही है । यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है, इस पर चर्चा अवश्य करायी जाये ।

(व्यवधान)

इस पर सरकार का वक्तव्य आ जाये ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जो जानकारी माननीय सदस्यों के संज्ञान में थी वह जानकारी आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की वजह से माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही है । इस पर सरकार की ओर से आ जाय कि वह 50 लाख रुपया दे रहे हैं कि नहीं । जो बजट स्पीच थी माननीय मुख्य मंत्री जी की जिसको प्रमोद तिवारी जी ने पढ़ा वह विधान सभा की कार्यवाही का अंग बन चुकी है । मैं एक चीज जानना चाहता हूं इसमें सरकार का पक्ष तो आ जाय फिर जो भी निर्णय आपका होगा वह शिरोधार्य होगा ।

श्री कौकब हमीद–

इसमें सरकार का बयान आना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

विधायक निधि के अवमुक्त होने के बारे में जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, वह अवमुक्त कर दी गयी है ।

(व्यवधान)

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री बी० आर० वर्मा–

इसमें सरकार का बयान आना चाहिए । जिस दिन से विधायक निधि की घोषणा की गयी है उसी दिन से इस सदन को गुमराह किया गया और माननीय विधायकों की विश्वसनीयता से खिड़वाड़ किया गया है । बजट में घोषणा तो बड़े शानदार रूप में की गयी थी लेकिन बजट में टोकन मनी के रूप में एक हजार रुपया रखा गया था । उसी समय यह पता था कि यह पैसा माननीय सदस्यों को नहीं मिलेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका यह जो कथन है, यह कैसे रिकार्ड किया जाय, किस आधार पर रिकार्ड किया जाय । जिन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर थे उनकी बात सुन ली गयी है ।

श्री प्रमोद कुमार–

यह ऐसा मुद्दा नहीं है ।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने आपको बोलने के लिए अनुमति नहीं दिया था । वर्मा जी मेरा निवेदन है कि मान लीजिये जिन माननीय सदस्यों के सूचना पर हस्ताक्षर हैं उनको सुना गया अब बाकी माननीय सदस्य भी बोलना शुरू करेंगे तो इधर उधर दोनों पक्ष के लोग बोलेंगे तो यह विषय लम्बा खिचेगा ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, उस पक्ष की भी राय आ जाय इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इस पर सभी लोग बोलना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री जी अगर कुछ कहना चाहते हों तो कहें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, औचित्य के प्रश्न के रूप में यह प्रकरण उठाया गया और माननीय सदस्य ने बजट भाषण का अंश भी पढ़कर सुनाया और इस पर आलोचना भी की कि वादा किया, धनराशि का भी उल्लेख किया, लेकिन उसका पालन नहीं किया । माननीय बी० आर० वर्मा जी ने इशारा भी कर दिया कि बजट में प्राविधान प्रतीकात्मक था, 1000 रुपये का प्राविधान किया गया था स्वाभाविक है कि इसके लिए धनराशि जुटानी थी, कोई बजट में प्राविधान नहीं था अलग से धनराशि जुटानी थी । मान्यवर, पिछले 6 महीने से लगभग प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति रही है ।

.....और जैसी चरमराती स्थिति मिली थी,.....

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

ऐसे नहीं चलेगा ।

श्री हुकुम सिंह–

हर काम कहने से नहीं होता है । हमने बड़े धैर्य से आप सभी की बातों को सुना है, तो मुझे भी 5 मिनट अपनी ओर से बात रखने दें, अपनी बात रखने का अवसर दें । मैंने वादा किया था और घोषणा किया था कि विधायक निधि देना चाहते थे ।

श्री प्रमोद कुमार–

आपने 50 लाख से 25 लाख क्यों कर दिया । आप इसे घटा क्यों रहे हैं । हमारी अपने क्षेत्र में क्या विश्वसनीयता रह जायेगी । हमने जनता से वादा कर दिया है कि स्कूल बनवा देंगे, सड़क बनवा देंगे, वह अब हम नहीं कर पायेंगे । हम आपके रहमो करम पर नहीं हैं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

सारे के सारे विधायकों की प्रतिष्ठा धूमिल हो गयी है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, उनको अपनी बात कह लेने दें ।

श्री हुकुम सिंह–

यह केवल अपनी बात कहना चाहते हैं, दूसरे की नहीं सुनना चाहते हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

आप यह कहिये कि 50 लाख रुपये की धनराशि दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, यह बता दें और सब कुछ छोड़ दें ।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

यह सस्ती लोकप्रियता के लिए किया है ।

श्री समर पाल सिंह–

इन्हें स्पष्ट कह देना चाहिए, दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बता रहे हैं, उनको आप सुन लें ।

श्री हुकुम सिंह–

25 लाख रुपये की किश्त हर जिले में जा चुकी है ।

(विपक्ष की ओर से झूठ-झूठ की आवाजें)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

25 लाख की किश्त पक्ष के विधायकों के यहां गयी होगी, विपक्ष के विधायकों के यहां पर तो गयी नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह–

मैं उन विधायकों की बात कह रहा हूं जो अपने-अपने क्षेत्रों में रहते हैं, जो यहीं से राजनीति करते हैं, उनको क्या पता ।

श्री कौकब हमीद–

बागपत में पता लगा लें, अभी टेलीफोन से पता लगा लें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको अपनी सूचना के आधार पर बता रहा हूं कि जब मैं आज कानपुर से लखनऊ को चल रहा था तो जिलाधिकारी का फोन आया था कि आपके कोटे का 25 लाख रुपया आ गया है ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, 25 लाख रुपये की बात नहीं होनी चाहिये । घोषणा के मुताबिक 50 लाख रुपये मा० संसदीय कार्य मंत्री किस तारीख को निर्गत करायेंगे ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो धनराशि निर्गत हुई है उससे इनको कुछ लेना देना नहीं है । हमने एक घोषणा की थी और हमने एक किश्त 25 लाख रुपये की निर्गत की । यह इस सरकार का साहस है कि इन परिस्थितियों में भी अपने वादे को पूरा किया है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

झूठी घोषणा करने का दुस्साहस यदि किसी में है तो वह भा०ज०पा० की सरकार में है । इस घोषणा से हमारा अपमान हुआ है । (शोर)

(श्री प्रमोद कुमार, श्री कौकब हमीद, श्री श्रीराम पाल, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री रामवीर उपाध्याय आदि सदस्यगण सदन के वेल में आ गये और नारे लगाने लगे ।)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया अपने आसन पर चलिये ।

(शोर-नारे लगाये जाते रहे ।)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो घोषणा की गई है उसका पालन करवायें ।

श्री प्रमोद कुमार–

50 लाख देने की घोषणा की गई थी । कल्याण सिंह जी माफी मांगे कि उन्होंने सदन को गुमराह किया है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य अपने स्थान पर चलें ।

श्री प्रमोद कुमार–

कल्याण सिंह जी इस्तीफा दें कि उन्होंने सदन को गुमराह किया है तब तक हमारा यह धरना चलता रहेगा । मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोग सत्याग्रह करेंगे । सरकार ने झूठी घोषणा की है ।

(वेल में उपस्थित सदस्यगण सदन के वेल में बैठ गये ।)

श्री हुकुम सिंह–

हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया है । यह इशूलेस हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय प्रमोद कुमार जी, पाल जी कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें ।

(सदन के वेल से सदस्य अपनी-अपनी बात कहते रहे)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, केवल दो बिन्दुओं पर सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आ जाये । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने 25 लाख रुपये उपलब्ध कराने की बात कही है । अपने बजट भाषण की प्रतिबद्धता के अनुरूप जो 25 लाख रुपया अवशेष है यह वायदा करें और घोषणा करें कि इस वर्ष का पैसा (25 लाख) अगले वित्तीय वर्ष में देंगे । मान्यवर, आप इस सदन में लिये गये निर्णयों के संरक्षक हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में प्रतिबद्धता दोहरायी थी कि 50-50 लाख रुपया प्रत्येक माननीय विधायक को दिये जायेंगे । किसी वित्तीय संकट के कारण अगर 25 लाख रुपया अभी दे पाये हैं तो जो अवशेष 25 लाख रुपया है उसको बाद में दे दें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, हम लोगों को भी आप निकलवाकर बाहर करवा दीजिये और आप विपक्ष रहित सदन चलायें । अगर सरकार अपने वायदे से मुकर रही है तो सरकार से घोषणा करवायें कि जो बजट सत्र में घोषणा की थी उसे लागू करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता जी, विधायकों का अपमान किया गया है सरकार ने 50 लाख रुपये की घोषणा की थी उसके अनुरूप सरकार 50 लाख रुपया देने की घोषणा करे तभी सुव्यवस्थित ढंग से यह सदन चलेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण अपने-अपने आसन पर चलें । सदन को सुव्यवस्थित करें । दूसरी सूचना श्री राम औतार शाक्य जी की है चूंकि श्री शाक्य जी सदन की सेवा से निलम्बित हैं इसलिये अब मैं तीसरी सूचना ले रहा हूं । तीसरी सूचना श्री राम वीर उपाध्याय जी की है । श्री राम वीर उपाध्याय जी अपनी सूचना के बारे में कुछ कहना चाहें तो कहें ।

(श्री राम वीर उपाध्याय द्वारा कुछ न कहने पर)

श्री अधिष्ठाता–

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री अनीस खां तथा श्री समरपाल सिंह की सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं । मद संख्या–3, 4 व 5 में कुछ नहीं है अब मैं मद संख्या–6 ले रहा हूं ।

उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों को यू०जी०सी० वेतनमान स्वीकृत किये जाने के संबंध में वक्तव्य

उच्च शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, प्रदेश सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों तथा उनसे सम्बद्ध सहयुक्त महाविद्यालयों के शिक्षकों हेतु पुनरीक्षित वेतनमान 1 जनवरी, 1996 से लागू करने का शासनादेश जारी कर दिया है।....

एक माननीय सदस्य–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है। इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

[यह पुनरीक्षित वेतनमान केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कतिपय शर्तों के अधीन स्वीकृत किये गये हैं। वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप 1 जनवरी, 1996 से 30-06-98 तक का अवशेष वेतन अध्यापकों के भविष्य/अंशदायी भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी जिनके भविष्य निधि न खुले हों उनको अवशेष बकाया धनराशि राष्ट्रीय बचत-पत्र के रूप में दी जायेगी।

अवशेष देय धनराशि के संबंध में नियमानुसार आयकर की कटौती स्रोत पर करने के उपरान्त यदि आयकर 20 प्रतिशत तथा उससे अधिक देय हो तो समस्त आयकर कटौती के उपरान्त अवशेष धनराशि शिक्षकों के भविष्य निधि खाते में जमा होगी। आयकर 20 प्रतिशत से कम होने की दशा में वास्तविक आयकर में कटौती के उपरान्त 20 प्रतिशत की धनराशि की सीमा तक नकद भुगतान कर अवशेष धनराशि भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी।

दिनांक 1 जनवरी, 1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के संबंध में शिक्षकों को निर्धारित प्रारूप यह विकल्प देना होगा कि वे या तो 1-1-96 से वेतनमान के लिये विकल्प चुन सकते हैं या किसी अनुवर्ती तिथि से 1-1-96 के बाद नियुक्त शिक्षकों को विकल्प देने की आवश्यकता नहीं होगी :–

पुनरीक्षित वेतनमानों का विवरण :–

प्रवक्ता	2200-75-2800-100-4000	8000-275-13500
प्रवक्ता (सीनियर स्केल)	3000-100-3500-125-5000	10000-325-15200
प्रवक्ता (सीनियर ग्रेड रीडर)	3700-125-4950-150-5700	12000-420-18300
प्रोफेसर	4500-150-5700-200-7300	16400-450-20900-500-22400
प्रधानाचार्य डिग्री कालेज (1)	3700-125-4950-150-5700	12000-420-18300 (कम से कम 12840 पर निर्धारित किया जाय।)
(2)	4500-150-5700-200-7300	16400-450-20900-500-22400 (कम से कम 17300 पर निर्धारित किया जाय।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कुलपति	7600 (निर्धारित)	25000 (निर्धारित)
पुस्तकालयाध्यक्ष	4500-150-5700-200-7300	16400-450-20900-500-22400
विश्वविद्यालय		
उप-पुस्तकालयाध्यक्ष	3700-125-4950-150-5700	12000-450-18300
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	2200-75-2800-100-4000	8000-275-13500
कालेज		
कालेज पुस्तकालयाध्यक्ष	2200-75-2800-100-4000	8000-275-13500
डिमान्स ट्रेटर/ट्यूटर्स केवल कार्यरत कर्मचारी के लिये ।	1740-60-2700-द०रो०-75-3000	5500-175-9000

प्रवक्ता चयन वेतन/रीडर को 12000-18300 के वेतनमान में 1-1-96 को 14940 के स्तर पर निर्धारित किया जायेगा । चयन वेतनमान/रीडर के पद पर 5 वर्ष की सेवा के बाद न्यूनतम रु० 14940 अनुमन्य होगा । पी०एच०डी० तथा एम०फिल० पद धारकों को प्रोत्साहित किया गया है । भविष्य में नियुक्त होने वाले पी०एच०डी० तथा एम०फिल० डिग्री धारकों को नियुक्ति के समय 4 अथवा 2 वेतन वृद्धियां देय होगी । नियुक्ति के 2 वर्ष के भीतर एम०फिल० धारक यदि पी०एच०डी० प्राप्त कर लेते हैं तो 1 वेतन वृद्धि देय होगी । पी०एच०डी० धारक को चयन वेतनमान एवं रीडर पदनाम के स्वीकृति के समय प्रवक्ताओं को दो अग्रिम वेतन वृद्धियां देय होंगी ।

कैरियर एडवांसमेंट योजना के अन्तर्गत पी०एच०डी० तथा एम०फिल० धारक प्रवक्ताओं को अब क्रमशः 4 तथा 6 वर्ष की सेवा के बाद वरिष्ठ वेतनमान अनुमन्य किया गया है । पहले यह अवधि क्रमशः 5 वर्ष तथा 7 वर्ष की थी । चयन वेतनमान रीडर पद के लिये वरिष्ठ वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा सभी के लिये अनिवार्य है । रीडर पदनाम के लिये पी०एच०डी० आवश्यक कर दी गई है ।

शिक्षकों की अधिवर्षता आयु राजकीय महाविद्यालयों के संबंध में 58 वर्ष तथा अन्य शिक्षकों के लिये यदि वे राजकीय शिक्षकों की भांति पेंशन तथा ग्रेच्युटी का विकल्प चुनते हैं तो 58 वर्ष अन्यथा 60 वर्ष होगी । 60 वर्ष के उपरान्त किसी भी दशा में सेवा विस्तार नहीं दिया जायेगा । 58 वर्ष के विकल्प देने वालों को सत्रान्त तक का लाभ पेंशन के लिये अन्य अनुमन्य होगा । 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु शिक्षकों को सत्रान्त लाभ पेंशन के लिये अनुमन्य नहीं होगी ।

पुनरीक्षित वेतनमान में दी गई योजना के अनुसार कैरियर एडवांसमेंट, पी०एच०डी०/एम०फिल० के प्रोत्साहन आदि के संबंध में राज्य विश्वविद्यालय इसकी व्यवस्था परिनियमों/अध्यादेशों आदि में 03 माह के भीतर आवश्यक प्राविधान कर लेंगे ।]

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता विरोधी दल सदन से निलम्बित हैं कोई अन्य माननीय सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विचार रखना चाहें ।

(किसी अन्य सदस्य द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार न रखने पर)

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 16-2-99 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 6 सूचनायें प्राप्त हुईं :–

पहली सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई की प्रदेश में निर्धारित परिव्ययों से सड़कों के पुनर्निर्माण पर रोक लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। यह सूचना वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

दूसरी सूचना श्री समरपाल सिंह की जनपद बागपत में विनौली से अमीरनगर सराय तथा बड़ौत से बुढ़ाना मार्ग के निर्माण में अधिग्रहीत कृषकों की जमीन का मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। यह सूचना केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

शेष सूचनायें अस्वीकृत की जाती हैं।

अब हम कल 11.00 बजे तक के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 32 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

16 फरवरी, 1999

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये अता०प्र०सं०–78 का उत्तर पीछे पृष्ठ 45 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के पहले मंगल के लिये निर्धारित श्री रामपाल वर्मा, मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–78 का संलग्नक 'क'

क्र०सं०	तल	स्थान	वाटर कूलर की संख्या	वाटर कूलर के अतिरिक्त नल की संख्या
1	प्रथम तल	कक्ष संख्या–112 के बरामदे के पास	1	1
		कक्ष संख्या–116 के पास	1	1
2	द्वितीय तल	कक्ष संख्या–212 के पास	1	1
		कक्ष संख्या–220 के पास	1	1
3	तृतीय तल	कक्ष संख्या–312 के पास	1	1
4	चतुर्थ तल	कक्ष संख्या–412 के पास	1	1
		कक्ष संख्या 420 के पास		
5	पंचम तल	कक्ष संख्या–512 के बरामदे के पास	1	1
		कक्ष संख्या–520 के पास	1	1
6	छठा तल	कक्ष संख्या–612 के पास	1	1
		कक्ष संख्या–620 के पास	1	1
7	सप्तम तल	कक्ष संख्या–712 के पास	1	1
		कक्ष संख्या–720 के पास	1	1
8	आठवां तल	कक्ष संख्या–812 के पास	1	1
		कक्ष संख्या–820 के पास	1	1
9	नवम तल	कक्ष संख्या–912 के पास	1	1
		कक्ष संख्या–920 के पास	1	1
10	दसम तल	कक्ष संख्या–1012 के पास	1	1
		कक्ष संख्या–1020 के पास	1	1

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिये अता०प्र०सं०–124 का उत्तर पीछे पृष्ठ 60 पर)

वर्ष 1992 के पूर्व खोले गये पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की भवनहीन विद्यालय की सूची

विकास क्षेत्र–जलालाबाद

1–पू० मा० वि०, आजमपुरं
2–,, ,, ,, अल्लागंज
3–,, ,, ,, ककरालां
4–,, ,, ,, मऊ शाहजहांपुर

विकास क्षेत्र–मिर्जापुर

1–पू० मा० वि०, गोपालपुर ढाई
2–,, ,, ,, चौरावांगरखेत
3–,, ,, ,, भरतपुर
4–,, ,, ,, सिगहांयुसुफपुर

विकास क्षेत्र–कलान

1–पू० मा० वि०, कवेरपुर
2–,, ,, ,, खजरी
3–,, ,, ,, जखिया
4–,, ,, ,, विक्रमपुर
5–,, ,, ,, बेहटाजगल
6–,, ,, ,, कुडरिया

विकास क्षेत्र–जैतीपुर

1–पू० मा० वि०, जैतीपुर
2–,, ,, ,, वीरी
3–,, ,, ,, सैनाखेड़ा
4–,, ,, ,, नवदियारामपुर
5–,, ,, ,, डभौरा
6–,, ,, ,, वरीप्रसिद्धपुर
7–,, ,, ,, खमरिया
8–,, ,, ,, शंकरपुर पिटरिहाई

विकास क्षेत्र–तिलहर

1–पू० मा० वि०, वीरमपुर
2–,, ,, ,, राजनपुर
3–कन्या ,, राजनपुर
4–पू० मा० वि० चौढ़ेरा-चौदेरी
5–कन्या जू०हा०स्कूल नगरी क्षेत्र माजमपुर

विकास क्षेत्र–कटरा-खुदागंज

1–पू० मा० वि०, कसरक
2–कन्या जू० हा० स्कूल खुदागंज

विकास क्षेत्र–निगोही

1–पू० मा० वि०, चन्योरा
2–,, ,, ,, जिन्दपुरा

विकास क्षेत्र–सिधौली

1–पू० मा० वि०, सिधौली
2–,, ,, ,, मडियापमार
3–,, ,, ,, विलन्दपुर-गदीपुर
4–,, ,, ,, कोटावारी

विकास क्षेत्र–वन्डा

1–पू० मा० वि०, इन्दलपुर
2–,, ,, ,, भार्भी
3–,, ,, ,, पकड़िया दलेलपुर
4–,, ,, ,, देवकली
5–,, ,, ,, आटावजुर्ग

विकास क्षेत्र–पुवायां

1–पू० मा० वि०, बद्रीपुर हदीरा
2–,, ,, ,, नाहिल
3–,, ,, ,, सतवां वुजुर्ग
4–,, ,, ,, डमलिया
5–,, ,, ,, बेहटा सम्बात

विकास क्षेत्र–खुटार

1–पू० मा० वि०, केशरपुर कलां

2–,, ,, ,, मुरादपुर माती

विकास क्षेत्र–कांट

1–पू० मा० वि०, चन्योरा बहादुरपरु

2–,, ,, ,, खटरिया

3–,, ,, ,, सरधौली

4–,, ,, ,, बरेडा

विकास क्षेत्र–ददरील

1–पू० मा० वि०, धसगंवा

2–कन्या ,, शहवाजनगर

विकास क्षेत्र–भावलखेड़ा

1–पू० मा० वि०, पैनाववुजुर्ग

2–,, ,, ,, शाहगंज

3–,, ,, ,, शहजापुर

4–,, ,, ,, बादशाहनगर

5–,, ,, ,, पडरा सिकन्दरपुर

नगर क्षेत्र–शाहजहांपुर

1–नवीन कन्या जू०हा० स्कूल मोहम्मद नगला नगर क्षेत्र, शाहजहांपुर

2–क्रमोत्तर जू०हा० स्कूल, दिलाजाक, नगर क्षेत्र, शाहजहांपुर ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–एल० 135 विधान सभा (262)–1999–813 कम्प्यूटर/आफसेट ।